खण्ड-276, अंक-5
शुक्रवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1890
(21 मार्च, 1969 ई0)

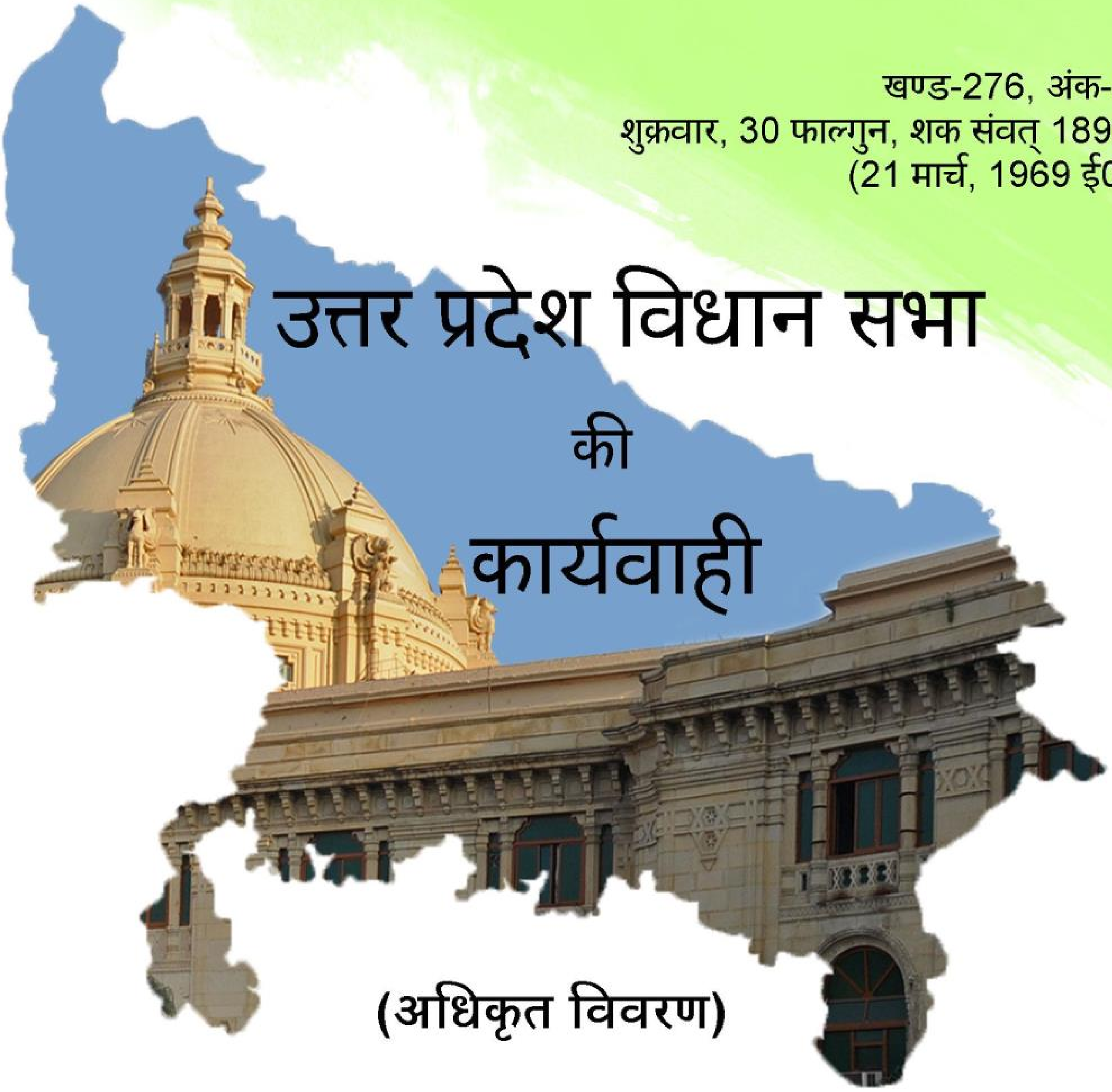

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--४०६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्दमणी, श्री
इन्दमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किसन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खखेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० डोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूरा प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेत राम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनेहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती

प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्र ताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्ज़ूर अहमद, श्री
मलि खान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल बेहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राम, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—फूलपुर)
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लोलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री

शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिव लाल, श्री
शिववक्ष सिंह, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री रामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिबंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा—फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा—पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य मंत्री श्री मंगलाप्रसाद भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश सभा

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज कोई प्रश्न तो हैं नहीं। श्री हलीमुद्दीन साहब राहत मौलाई हैं उन्होंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की इजाजत मांगी है। उसमें लिखा है—

"मैंने ६ दूसरे सदस्यों के साथ १७ मार्च, १९६९ को करीब ढाई बजे दिन के कमरे में आपकी मौजदगी में आर्टिकिल १८८ दस्तूर हिन्द के बमूजिब अपनी मादरी जबान उर्दू, और सिर्फ उर्दू में हलफ लिया और हिन्दी में हरगिज हलफ नहीं लिया। इसके बावजूद आज २० मार्च, १९६९ को अखबारों में श्री मेहरबान सिंह का, जिन्होंने मुझे कायदे के बमूजिब खड़े होकर उर्दू में हलफ दिलाया था, एक बयान छपा है कि हम लोगों ने हिन्दी में हलफ लिया है। इस तरह अखबारों में यह भी छपा है कि श्री डी० एन० मित्तल, सेक्रेटरी असेम्बली ने यह बयान दिया है कि रेकार्ड से यह जाहिर है कि मैंने और दूसरे ६ मेम्बरान ने हिन्दी में हलफ लिया है। श्री मित्तल ने ऐसा बयान देकर असेम्बली के रेकार्ड का झूठा होना जाहिर नहीं किया बल्कि मेरे विशेष अधिकार को पामाल किया है और सदन की तौहीन की है। मेरा वह हलफनामे का फार्म जिस पर मेरे दस्तखत हैं, मुलाहजा किया जा सकता है, जिस पर मैंने साफ अल्फाज में लिखा है कि मैंने उर्दू में हलफ लिया है। इस शक्ल में श्री डी० एन० मित्तल को रेकार्ड देख कर कोई बयान देना चाहिये था। श्री मेहरबान सिंह को इस कदर गलत बयान नहीं देना चाहिए था। मैं आज भी यह ऐलान करता हूं कि मैंने अपनी मादरी जबान उर्दू में और सिर्फ उर्दू में हलफ लिया है। इन दोनों अफसरान ने नियमों की खिलाफवरजी की है, गलत बयानी की है और सदन के और मेरे विशेष अधिकारों का खून किया है। आपसे निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही जाब्ते की की जाकर मेरे हकूक का तहफ्फुज किया जाय।"

मैं उस वक्त मौजूद था जिस वक्त कि माननीय राहत मौलाई ने हलफ लिया और श्री लक्ष्मीरमण आचार्य भी मौजूद थे और श्री मेहरबान सिंह भी मौजूद थे जिन्होंने हलफ दिलाया। ऐसी हालत में मैं सब मामलात को जानता हूं। वाकया यह है कि आप (श्री मौलाई) उर्दू में हलफ लेना चाहते थे, सभी ५–६ माननीय सदस्य जो उस समय थे वे उर्दू में हलफ लेना चाहते थे। श्री मेहरबानसिंह जी ने कहा कि आप उर्दू में नियम के मुताबिक यह हलफ नहीं ले सकते हैं। श्री मौलाई साहब ने उर्दू में हलफ पढ़ कर सुनाया और श्री मेहरबान सिंह से यह कहा कि यह आपको मन्जूर करना चाहिये क्योंकि वह पूरा हिन्दी का ही ट्रान्सलेशन था। जब वह हिन्दी का ही अनुवाद है तो आपको एतराज क्या होना चाहिये। तब श्री मेहरबानसिंह जी ने उन्हें यह कहा कि आपने उर्दू में तो पढ़ दिया, लेकिन इस फार्म के ऊपर जो शब्द लिखे हुये हैं उसी के अनुसार आपको हलफ पढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा कि आपने हलफ लिया। इस पर श्री हलीम साहब ने फिर कहा कि हम तो उर्दू में ही पढ़ेंगे। और दुबारा हलफ उन्होंने उर्दू में पढ़ कर सुनाया। इस पर मेहरबान सिंह जी ने फिर कहा कि आप इसको हिन्दी में पढ़ दीजिये। यह कह कर उन्होंने हिन्दी में शपथ को पढ़ दिया, इस तरह जो माननीय सदस्य आये थे जिनमें राहत मौलाई साहब भी थे, उन्होंने जो शब्द हिन्दी में मेहरबानसिंह पढ़ते गये उसी को दोहराया। और जब श्री मेहरबानसिंह ने मान लिया कि शपथ हिन्दी में ली गई और चूंकि आपने भी इसी तरह हिन्दी में शपथ दुहराई इसलिये आपने हलफनामे पर दस्तखत कर दिये और सब ने दस्तखत कर दिये पर परशियन स्क्रिप्ट में दस्तखत किये। यह बात अब मालूम हुई चूंकि आपने जो विशेषाधिकार का सवाल उठाया उसमें कहा है कि आपने यह दस्तखत करते समय यह शब्द दर्ज कर दिए कि आपने उर्दू में शपथ ली है, लेकिन उस समय मेहरबान सिंह जी ने सिर्फ यह समझ कर कि आपने सिर्फ दस्तखत किये हैं उसके ऊपर ध्यान

नहीं दिया और हलफनामे का फार्म रख लिया। उस समय वह फार्म वैसे ही बिला दस्तखत को पढ़े रख दिया। दस्तखत सब के हिन्दी के फार्म के ऊपर हैं। श्री मेहरबानसिंह ही हलफ दिलाने के लिये जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने उनको ही यह अधिकार दिया था कि वे हलफ दिलायें। मैं वहां बैठा था, मुझ से मौलाई साहब ने यह कहा कि आप गवाह हैं कि मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि आप दस दफा उर्दू में पढ़ दें, लेकिन श्री मेहरबान चाहते थे कि आप हलफ हिन्दी में पढ़ें, मुझे इस वक्त कोई अधिकार नहीं है इस विषय में कुछ कहने का। इस पर जब मौलाई साहब ने पहले उर्दू में और बाद में हलफ हिन्दी में दुहराया तो उनको तसल्ली हो गयी। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि कोई भी प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का उठता नहीं है। प्राइमाफेसाई केस भी बनता नहीं है किसी के खिलाफ। न मित्तल साहब के खिलाफ, क्योंकि वे भी बैठे सुन रहे थे जो बात हुई और सत्य बात यह है कि श्री मौलाई साहब ने पहिले हलफ उर्दू में भी पढ़ा और श्री मेहरबानसिंह के सामने पढ़ा। वह भी बराबर कहते रहे कि शपथ हिन्दी में लेनी पड़ेगी। मैं पढ़े दे रहा हूं अगर आपको हिन्दी में पढ़ना नहीं आता। यह कहकर श्री मेहरबानसिंह शपथ हिन्दी में पढ़ते गये और श्री मौलाई उसे दुहराते गये। यह बातें मेरे सामने हुईं। इसीलिए मैं निर्णय देता हूं कि कोई विशेषधिकार का सवाल नहीं उठता।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष की रूलिंग के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री रामगोपाल संड--

मैं यह कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपने अभी यह कहा कि जब शपथ को दोहराया गया तो माननीय सदस्य राहत मौलाई ने उसको दोहराया, बाकी सदस्यों के बारे में आपने नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष--

सब ने हिन्दी में दोहराया।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)--

क्या रिकार्ड के खिलाफ श्री मित्तल साहब ने स्टेटमेन्ट नहीं दिया, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

एक रजिस्टर भी है और एक फार्म है। फार्म पढ़ कर उन्होंने देखा। आपने क्या लिखा है इसको नहीं पढ़ा। यह तो मैंने अभी पढ़ाया मंगा कर। क्योंकि आपने अभी कहा कि मैंने उसमें वर्ज कर दिया है लेकिन, सब ने यह समझा कि आपने केवल दस्तखत किये हैं।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई--

अगर रिकार्ड देखकर प्रेस को स्टेटमेन्ट दे दिया, यह कह कर कि रिकार्ड से मालूम हुआ है, तो रिकार्ड तो यह बतलाता है कि ऐसी बात नहीं है। मुझे यह गुजारिश करनी है कि जिस हलफनामे में दस्तखत किये हैं यह हलफनामा नहीं है, यह तो एक एविडेन्स है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी राय है। आप कृपा करके बैठ जाइये। आप इसी पर तसल्ली कर लीजिये कि आपने अन्तःकरण के हिसाब से उर्दू में पढ़ा और कायदे से हिन्दी में हलफ लिया जैसा कि मेहरबानसिंह जी ने कहा। इसमें दोनों की तसल्ली हो जायेगी।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

रिकार्ड बगैर देखे मित्तल साहब ने स्टेटमेन्ट दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

अगर रिकार्ड नहीं देखा इतनी गलती हुई तो उनकी गलती हो सकती है।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

बगैर रिकार्ड देखे स्टेटमेंट क्यों दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त मेहरबानसिंह जी का फर्ज था मित्तल साहब का कोई फर्ज नहीं था।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि माननीय सदस्य श्री मेहरबानसिंह श्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने पर शपथ-पत्र पढ़ते गये और राहत मौलाई साहब ने उसको दोहराया और हस्ताक्षर किये। आपने स्वयं कहा है कि उन्होंने दस्तखत करते समय वह लिख दिया कि मैंने उर्दू में शपथ ली। तो जिस शपथ को आपने हिन्दी में मान्यता दी है या श्री मेहरबानसिंह द्वारा शपथ पढ़ाई गई है वह अवैध हो गई है या नहीं ? उसे आप शपथ मानेंगे या नहीं ? राहत मौलाई साहब ने बगैर उनकी जानकारी के लिखा कि वे उर्दू में शपथ ले रहे हैं। क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है। मैंने बता दिया कि वाकया क्या हुआ। श्री मेहरबानसिंह ने यही समझा था कि इन्होंने सिर्फ दस्तखत किये। सब लोग दस्तखत करते गये। यह भी यह समझकर उन्होंने मान लिया कि आपने शपथ ली है और रजिस्टर पर भी दस्तखत कर दिये गये, कि आपने शपथ बाकायदा ले ली है। अब यह आप कहते हैं कि आपने दस्तखत करते समय यह लिखा है कि आपने उर्दू में ली, दस्तखत करते मय आपने यह नहीं कहा था। ऐसी हालत में आगे क्या उसका नतीजा होगा, इस पर मैं इस वक्त फैसला देने को तैयार नहीं हूं। लेकिन आपने जो कहा कि विशेषाधिकार का सवाल उठता है, वह नहीं उठता।

प्रश्नों के कार्यक्रम में न छपने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा हुआ है—"प्रश्नों के लिये समय, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक उपवेशन का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा और अल्प सूचित प्रश्नों को अन्य प्रश्नों की अपेक्षा अग्रता मिलेगी।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्न नहीं आये, अथवा उनके जवाब नहीं आये क्योंकि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का उत्तर तो ३ दिन के अन्दर आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न जो स्वीकृत किये जाते हैं, वह उस सूरत म स्वीकृत होते हैं कि संबंधित मंत्री उसका उत्तर समय से दे सकें। अगर वह उत्तर नहीं दे सकते तो वे हमको लिख देते हैं कि उसका उत्तर हम इतने समय में नहीं दे सकते। तब वे सवाल यहां उत्तर के लिये नहीं आते। उनको साधारण तारांकित प्रश्न समझ लिया जाता है। इस प्रकार से आज के लिये कोई भी प्रश्न पोस्टेड नहीं था, इसलिये एजेन्डा में नहीं रखा गया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव† (क्रमागत)

*श्री मुन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैं हरिजनों के संबंध में बात कह ही चुका हूं। यहां पर कहा गया कि राज्यपाल जी ने सुरक्षा की बात की है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी चोरियां और डकैतियां बढ़ गयी हैं कि उससे हमारे गांवों की व्यवस्था पुलिस नहीं कर पा रही है। हमारे ग्रामीण भाई जो बंदूकों और असलाह के लिये एप्लीकेशन देते हैं, ६–६ महीने तक पुलिस थानों से उनको नहीं भेजा जाता। जिस कायदे से प्रधान गांव पंचायत की प्रथम इकाई है, वह तथा अदालती पंचायतों के पंच लोग सब जनता के चुने हुए लोग हैं और जिस कायदे से हम विधान सभा के सदस्य हैं, जनता ने हमको चुन कर भेजा है, उसी कायदे से हमको रिवाल्वर और असलाह के लाइसेंस दिये जाने चाहिये। राज्यपाल महोदय ने २०–२० साल के प्रधानों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये अपने अभिभाषण में यह नहीं जोड़ा कि वे चुने हैं अतः उनको बन्दूक या रिवाल्वर के लाइसेन्स मिलना चाहिये। जनता की सुरक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है।

जहां तक नसबन्दी का सवाल है, मैं उसके टोटली खिलाफ हूं। अगर हमारे देश में हिन्दू परम्परा ने इसको अपनाया होता तो हमारे यहां के बहुत बड़े-बड़े विद्वान तो उत्पन्न ही न हुए होते, श्री कृष्ण और श्री राम तक न पैदा हुए होते। इस व्यवस्था पर जो भी कुछ खर्च किया जा रहा है, वह बिलकुल गलत खर्च किया जा रहा है। अगर यही रुपया मिलों और कारखानों की स्थापना पर खर्च किया जाय तो यहां के नौजवानों और बेकार किसानों को रोजगार मिल सकता है और उनको राहत मिल सकती है जहां तक नसबन्दी का सवाल है, इस विभाग के कर्मचारियों के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर वह मास में २ आपरेशन के केसेज नहीं लायेंगे तो वह मोअत्तल और नौकरी से अलग कर दिये जायेंगे। ऐसी धमकी और नौकरी को कायम रखने के डर से यह कर्मचारी ८० साल के बुड्ढे और ९० साल के डोकर को लाकर आपरेशन के लिये खड़ा कर देते हैं और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। महामहिम राज्यपाल ने जो अपने अभिभाषण में नसबन्दी का जिक्र किया है, मैं उसका उसूली तौर पर ही विरोध करता हूं। जहां तक मास्टरों का सवाल है हमारे मास्टर प्रायः ९०–९७ रुपया वेतन पाते हैं, जो बहुत ही कम है हम लोग इन्हीं प्राथमिक टीचर्स के पढ़ाये हुये हैं और आज इन कुर्सियों पर आकर बैठे हैं, चाहे भारत के प्रधान मंत्री हों या राष्ट्रपति हों सभी इन्हीं टीचर्स के द्वारा शिक्षा पाये हैं परन्तु इतने विद्वान लोगों को भी कोठारी आयोग की सिफारिश से भी कम वेतन देना एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि एक विधायक के वेतन के बराबर ही इन मास्टरों का वेतन होना चाहिये। हम यहां चुन कर आते हैं और हमारा वेतन ३०० रुपया मासिक है। जो प्राथमिक शिक्षा देते हैं और जो हमारी भावी संतान और विद्यार्थियों को काबिल बनाते हैं और जिन के कंधों पर देश का भावी भार आने वाला है उन का निर्माण वह करते हैं उनके टीचर्स को थोड़ी-सी बढ़ोत्तरी देकर राहत दी गई है जो बहुत ही कम है। मेरी समझ से इन प्राथमिक अध्यापकों का वेतन उतना ही होना चाहिये जो मध्य प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार देती है। जो कुछ उनको दिया गया है, वह बहुत ही कम है।

---

†२० मार्च, १९६९ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुन्शीलाल चमार]

जहां तक उर्दू का सवाल है, महामहिम राज्यपाल द्वारा स्कूलों में उर्दू पढ़ाये जाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि उर्दू को भी स्कूलों में उतनी ही प्राथमिकता दी जाय जितनी कि स्कूलों में हिन्दी को दी जाती है। मैं उर्दू का पूर्ण समर्थक हूं और मैं अपना यह भाषण साफ तौर से उर्दू के पक्ष में कर रहा हूं और बतलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारे मुसलमान भाइयों का सवाल है और हरिजन भाइयों का सवाल है, हिन्दुओं का सवाल है सब चाहेंगे कि उर्दू को उसका उचित स्थान मिले। हरिजन भाइयों को जो ग्रान्ट दी जाती है वह आखिर में एक सप्ताह में जल्दी-जल्दी निबटाई जाती है, होता यह है कि आधा हिस्सा उसमें से हरिजन अफसर लेकर चलते-फिरते ८ दिन में खर्च करते हैं और हरिजनों तक वह पैसा नहीं पहुंच पाता। मैं चाहूंगा कि जो ग्रान्ट हरिजनों को दी जाती है और जो उनको सहायता दी जाती है उसके खर्च का हिसाब ६ मास पहले मीटिंग करके बांट दिया जाय ताकि ठीक लोगों को पैसा मिल सके। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है वह तो एक खिलवाड़ ही है और कोई ला ऐण्ड आर्डर नहीं है। सब्जियों पर और बीज और रासायनिक खादों पर आज बहुत अधिक खर्च हो रहा है लेकिन हमारे यहां लोगों ने आलू का बीज १४० रुपये में लेकर रखा है, मैनपुरी जिले के सिरसवा क्षेत्र में और उसको आज ३ रुपया मन पर भी कोई नहीं उठा रहा है पिछली सरकार ने आलू की कीमत १० रुपया मन से कम नहीं होने दी। आज किसान का आर्थिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन तो सभी जगह है, लेकिन अब किसान का भी नैतिक पतन हो रहा है। मैं कहना चाहता कि आलू की गिरती हुई कीमतों के कारण किसान की आर्थिक दशा खराब हो रही है। उसका बहुत खर्च आलू की बुवाई और खेती पर आता है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसके भाव स्थिर करे और किसान की हानि न होने दे। इन शब्दों के साथ में मैं उन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं जो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस सदन में रखे हैं।

*नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सम्मानित सदन की सहज उदारता को प्रेरित कर के माननीय सदस्यों से आग्रह करने के लिये उपस्थित हुआ हूं कि वे इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर सद्भावनापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। साथ ही साथ धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो धन्यवादात्मक संशोधन लाये हैं, उनको भी बधाई देते हुए, उन सभी वक्ताओं के समक्ष धन्यवाद देने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं उन सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने पहली बार इस सदन की शोभा बढ़ायी और एक मर्यादा का स्तर कायम किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो प्रथम भाषण होते हैं चाहे वे इस तरफ के दल वालों के हों या उस तरफ के बैठने वालों के हों, उनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं रहता है। विरोधी पक्ष की ओर से जो भाषण हुए वे दो प्रकार के हुए—एक तो वे जो रचनात्मक सुझावों से परिपूर्ण थे चाहे वे सुझाव दूर गामी हों या चाहे वे निकटवर्ती हों और दूसरी प्रकार के वे भाषण हुए, जैसा कि श्री चर्चिल ने कहा था कि विरोधी दल के सदस्यों का कार्य सरकार का समर्थन नहीं बल्कि विरोध ही करना होता है। इसी परम्परा को अपनाकर उन्होंने आलोचना की। विरोधी दल के नेता ने जो परसों भाषण दिया, उसके सम्बन्ध में उन्होंने अपनी पुस्तिका जो "इंडियाज पावर्टी ऐंड इट्स सोल्युशन" के नाम से है और जो उन्होंने अपने कृषि मंत्रित्वकाल में लिखी थी, का रेफरेन्स दिया। उसमें उन्होंने प्रदेश की गरीबी के ५ बुनियादी कारण बताये। उन में से २ और बुनियादी जो कारण हैं, समझ में नहीं आया कि उनका उल्लेख क्यों नहीं किया। उनमें से मैं एक लाइन सदन में पढ़ देना चाहता हूं। इन ५ कारणों के अतिरिक्त एक कारण यह है कि पूंजी का निर्माण, सोशल इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिये वह नहीं बन रहा और दूसरा फेमिली प्लानिंग। ये दो बातें गरीबी के बारे में बतायीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"If *per capita* income or output has to be raised the rate of capital investments will have to be increased at a rate higher than the rate of population growth"..... .....

अगर प्रति व्यक्ति आमदनी या उत्पादन बढ़ाना है तो जो पूंजी लगी है वह बढ़ानी पड़ेगी और उसका अनुपात जनसंख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा होगा।

"If capital formation cannot keep pace with, rather ahead of population, there will be a retrogression of economic standard, retrogression of even the miserable standards that we enjoy to day,"

अगर पूंजी का निर्माण जनसंख्या के अनुपात से नहीं होगा तो आज हमें पीछे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें इन दो बातों को भी ध्यान में रखना होगा।

यह आरोप भी लगाया गया है कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयत्न नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं जिनका उपयोग माननीय नेता विरोधीदल ने भी किया है, उनको देखते हुये यह स्पष्ट है कि जितना धन पिछले वर्षों में प्रति एकड़ व्यय हुआ है सन ५५ से ५८ में प्रति एकड़ खेती की पैदावार बढ़ाने में ६ रुपये से ऊपर खर्च होता था और सन ५८–६८ में प्रति एकड़ ८ रुपये के ऊपर खर्च हुआ। जिस समय माननीय चरण सिंह की सरकार थी उसका बजट भाषण मेरे पास है और उन्होंने उसमें खुद कबूल किया है कि चौथी योजना इसी लक्ष्य के मुताबिक बनाई जा रही है जो इस प्रकार है–"चौथी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को दी गई है। गेहूं तथा धान की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खेती शुरू कर के तथा संकर (हाइब्रिड) मक्का, ज्वार और बाजरा की बुआई करके प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की एक नई विधि अपनाई जा रही है। इस विधि में उपज में कम से कम तीन गुनी अधिक वृद्धि होने की संभावना है। पर इसके लिये प्रचुर मात्रा में उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों आदि की आवश्यकता होगी"। फिर आगे चल कर इसमें कहा गया है कि "चौथी आयोजना में अस्थाई रूप से कुल २२८.२१ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।" यह चरण सिंह की सरकार का प्रस्ताव था और आज उसी योजना में कुछ वृद्धि करके यह प्रस्ताव यहां लाया गया है, जिसकी तारीफ पिछले वर्ष विरोधी दल के नेता ने की थी। उसमें और ज्यादा अनुदान बढ़ा कर यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। मैं उसके आंकड़े रखना चाहता हूं। अब जो प्रस्ताव है उसके आधार पर २८९ करोड़ रुपया कर दिया गया है। २८९ करोड़ तो पैदावार बढ़ाने के लिये और बिजली के लिये ३७५ करोड़ की आयोजना चौथी योजना है। इस तरह से सिंचाई और बिजली दोनों में ६६४ करोड़ रुपया प्रस्तावित है ९६० करोड़ की चौथी योजना में से। इस प्रकार हमारे उद्देश्य और विरोधी दल के दोस्तों के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है।

एक एतराज यह उठाया गया कि हम भीख मांग रहे हैं। कर्ज लेने की परिपाटी हमारे देश और प्रदेश में कोई नई नहीं है। विदेशों में भी यह परिपाटी है। जापान में कुल राष्ट्रीय कर्ज २९८६ करोड़ रुपये का है। फ्रान्स पर १ खरब २१ अरब का राष्ट्रीय कर्ज है। अमेरिका जो सब से धनी मुल्क माना जाता है उसपर भी २८ खरब और ३५ अरब का राष्ट्रीय कर्ज है। पश्चिमी जर्मनी पर १ खरब २८ अरब का राष्ट्रीय कर्ज है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कोई ऋण विदेशी सरकार का भी है अथवा वहीं की जनता का है ?

श्री नारायण दत्त—

देश की जनता का भी है और विदेशों का भी है। जापान पर विदेशी कर्ज ११३ करोड़ रुपया है, इंगलैंड पर विदेशी कर्ज ३,२३१ करोड़ रुपया है, पश्चिमी जर्मनी पर विदेशी कर्ज ६६३ करोड़ रुपया है, फ्रांस पर विदेशी कर्ज ७२८ करोड़ रुपया है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

जापान और फ्रान्स का कर्ज दूसरे देशों पर कितना है और उनका ऋण दूसरे देशों पर जो है, उसे घटा कर बतला दें कि स्थिति क्या है ?

श्री नारायण दत्त---

महीलाल जी अगर मुझे मौका देंगे तो मैं सारे आंकड़े उनके सामने रख दूंगा। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि आज सामान्य वित्तीय परिपाटी है, इंटरनेशनल परिपाटी है, इंटरनेशनल मानेटरी सिस्टम आज चल रही है।

फ्रांस की सत्ता को जब खतरा होगा तो उसको कायम रखने के लिये इंगलैंड का पाउंड भी आयेगा, डालर भी आयेगा, रूबल भी आयेगा। इंगलैंड के पाउंड को अगर खतरा होगा तो सारे बैंकों को उसकी मदद के लिये आना पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक इसीलिये कायम किये जा रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर हम अगर यह कहें कि हम भीख मांग रहे हैं तो मैं समझता हूं यह बहुत व्यावहारिक बात नहीं है।

श्रीमन्, करप्शन की बात बहुत की गयी। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल के जो उद्गार हैं, उनसे इस सदन का कौन सम्मानित सदस्य सहमत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिये। उन्होंने एक आर्डिनेन्स का जिक्र किया। बड़ी मेहनत के बाद वह तैयार हुआ था। २१ अक्तूबर, १९६७ को वह आर्डिनेन्स लागू हुआ और २५ फरवरी तक हमारे माननीय नेता विरोधी दल चीफ मिनिस्टर रहे। चार महीने तक वह आर्डिनेन्स जनता के सामने रहा लेकिन इस बीच में इतने बड़े प्रदेश में एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत किसी भी व्यक्ति ने नहीं की। आखिर इसका क्या कारण है। हम सब को मिल कर इस पर विचार करना चाहिए। इससे यह जाहिर है कि खाली आर्डिनेन्स जारी करने से या कमीशन या ट्रिब्यूनल बना देने से यह काम होने वाला नहीं है। इसलिये हमें सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कैसे दूर हो।

गेहूं के बारे में कहा गया कि इस सरकार के आते ही बाजार के दाम बढ़ गये। मेरे पास उन्हीं विभाग के आंकड़े हैं जिनको हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने दिये। गेहूं के दाम इन्हीं दिनों में १९६७ में १.५६ रुपये प्रति किलो था, १९६८ में ९९ पैसे प्रति किलो और आज १९६९ में ८८ पैसे प्रति किलो है। इसी तरह चावल का दाम १९६७ में १.६४ रुपये प्रति किलो था, १९६८ में १.२० रुपये प्रति किलो, थे और आज १.१४ रुपये प्रति किलो है। चने का दाम १९६७ में १.४७ रुपये प्रति किलो था और आज ८० पैसे प्रति किलो है। जौ १९६७ में १.२४ रुपये प्रति किलो था और आज ५८ पैसे प्रति किलो है। तो मैं बड़ी गम्भीरतापूर्वक निवेदन करूंगा कि पिछले वर्षों में जो महंगाई थी, उसकी तुलना में इस वर्ष दाम बढ़े नहीं हैं बल्कि घटे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

उन्होंने यह नहीं कहा था बल्कि यह कहा था कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनने की सम्भावना हुई तब भाव बढ़ने शुरू हुये।

श्री नारायण दत्त---

बहुत धन्यवाद। आपने मेरे आंकड़े स्वीकार कर लिये। मैं तो यह कह रहा था कि आंकड़े यह साबित करते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में खाद्यान्नों के भाव कम हो रहे हैं, इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि कौन सरकार आयी।

(कुछ सदस्यों द्वारा खड़े हो कर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नारायणदत्त जी, अगर आप इस तरह से हर एक का जवाब देंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको अधिक समय नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त—

मुझे यह नहीं मालूम था कि हमारे मित्रों को आंकड़े कुछ चुभते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि उनको इस बात का अवसर प्राप्त न होता (व्यवधान) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में एक शिकायत यह भी है कि इस में ब्योरे की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नेता विरोधी दल और उनकी पार्टी के सदस्यों की दो राय हैं। नेता विरोधी दल ने यह कहा कि हमें तफसील में नहीं जाना चाहिये और संशोधन भी तीन सूत्र लेकर पेश किया और उन्होंने परम्परा का अनुसरण किया क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तफसील की बात नहीं होती है। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्ष में एक बार विधान मंडल को सम्बोधित करेंगे और कारण बतायेंगे कि यह क्यों बुलाया जा रहा है। यह न तो कोई बजट का भाषण है और न कोई योजना का भाषण है बल्कि यह तो केवल विधान मंडल को बुलाये जाने का कारण बताने के लिये भाषण है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपना भाषण दिया और नेता विरोधी दल ने तीन सूत्रों का संशोधन रखा है। लेकिन हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि उन बातों की तरफ ध्यान दिया जाता माननीय सदस्यों ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि किसी राज्य में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी सरकार के रहते हुये इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसको लेकर हम सारे प्रदेश के सभी जिलों और सारे क्षेत्र की समस्याओं का वर्णन कर सकें। यह असम्भव है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि इस आने वाले सत्र के लिये, इस आने वाले समय के लिये यह सरकार का चरण चिन्ह है जिसपर चलकर वह आगे बढ़ेगी। इसमें वह भी कहा गया है कि और जो नीति संबंधी बातें होंगी वे बजट भाषण में आयेंगी। बहुत सी बातें श्रम विभाग के संबंध में, योजना विभाग के संबंध में कही गई हैं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं जिससे प्रदेश की योजना और सुन्दर बन सके और इस प्रकार योजना में समन्वय कर सकें और क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके और प्रदेश से गरीबी को दूर कर सकें, इसके लिये मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को आमंत्रित करता हूं कि वे इस संबंध में अपने सुझाव दें। हमारा हर प्रकार का सहयोग उनके साथ रहेगा इसमें कोई दलीय मनोवृत्ति नहीं रहेगी क्योंकि यह सारे प्रदेश की योजना है। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे।

श्रम कानूनों के संबंध में कड़ाई से पालन करने के माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। हम हर प्रकार से कड़ाई के साथ उनका पालन करेंगे। अन्त में माननीय सदस्यों ने जो जिज्ञासा दिखाई उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उनसे अपील करूंगा कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और एक ऐसी परम्परा कायम करेंगे जैसी कि माननीय अध्यक्ष महोदय के चुनाव में कायम की गई है और उपाध्यक्ष के चुनाव में करने जा रहे हैं। हम इस धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करें और वही परम्परा निभायें और हम सब मिलजुल कर इस प्रदेश को आगे ले जायं।

श्री नसीम उद्दीन (जिला कानपुर)—

स्पीच देने के लिये कल आपके पास स्लिप भेजी थी और कल से आज तक मुझे तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया। आप मेहरबानी करके बतायें कि क्या हाउस में इसके बारे में कोई प्रोसीजर है या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। मुझे कल भी मौका नहीं मिला और आज भी मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपके स्लिप देने के बाद जिस समय मैंने आपकी तरफ देखने के लिये नजर उठायी तो आप सदन क बाहर चल दिये। कल तो यह बात हुई ही।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अवस्था से कहीं अधिक चिन्ताजनक उसकी आर्थिक अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुसार और राज्यों के श्रेणी अन्तर के आधार पर मैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार को छोड़ कर भारत के सब राज्यों से ज्यादा गरीब हूं। यह निर्विवाद सत्य है कि इसका एक बड़ा कारण पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रदेश में कम धन का खर्च करना और अन्य प्रदेशों के मुकाबले में केन्द्र से कम धन प्राप्त करना है। परन्तु इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भी श्रीमन्, जो प्रारूप हमारे सामने है उसमें भी बिहार को छोड़ कर सब प्रदेशों से कम हम उत्तर प्रदेश में खर्च करने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद उत्तर प्रदेश आर्थिक अवस्था की दृष्टि से सारे भारत से औसतन १० साल पीछे पिछड़ जायगा और भारत के प्रगतिशील प्रदेशों में से १५ से २० साल पीछे पिछड़ जायगा। यह बहुत जटिल समस्या है। मान्यवर, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनका यह विश्वास है कि हर समस्या का एक हल है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने विशेषज्ञों के विवेक पर विश्वास करते हुए इस सदन के सामूहिक विवेक पर भी विश्वास करें और चौथी योजना का प्रारूप विचार करने के लिये शीघ्र से शीघ्र सदन मे प्रस्तुत करें। अभिभाषण के आठवें पेज को देख कर मुझे अमेरिकन राइटर डब्लू० एस० वारहिस्की की किताब "इंडिया दि अवेकेनिंग नाइंट" की बात याद आती है। उसने भारत के पिछड़ेपन का एक विशेष कारण यह बताया है कि यहां की राजनीति सत्ता शहरी लोगों के अधिकार में है। वे भले आदमी हैं लेकिन उनके सामने शहर गांवों से पहले आते हैं। माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने मुख्य मंत्री का पद संभालते ही एक उच्चस्तरीय कमेटी का निर्माण किया जिसका उद्देश्य उद्योगपतियों की सुविधाओं में इजाफा करना है। उनको योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं को उनके घर बैठे पहुंचना है। उनको शीघ्र से शीघ्र नये-नये लाइसेंस प्राप्त कराना है।

मान्यवर, नियोजन की उद्योगीकरण की तकनीकी दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से मैं माननीय मुख्य मंत्री के इस कृत्य को ऐसा समझता हूं जैसे घोड़े के आगे गाड़ी रख दी जाय। १९६५–६६ के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रदेश की कुल आय का ६५.९ प्रतिशत कृषि द्वारा प्राप्त हुआ है। और केवल ६ प्रतिशत निजी बड़े उद्योगों से। तकनीकी दृष्टि से उद्योगीकरण इस प्रदेश का महज लाइसेंस प्राप्त करने से नहीं होगा। उसके लिये विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ताना-बाना) की जरूरत है जो कच्चे माल के रुप में, कृषि उत्पादन और खपत के रूप में किसानों की क्रय शक्ति और शुद्ध आय पर निर्भर करता है। उद्योगपति इस प्रदेश में अधिकांश शिक्षित और धनवान हैं। उनको संचार और वाहन की सुविधायें प्राप्त हैं। वे केवल कुछ शहरों में रहते हैं। उनकी सरकार में पहुंच है। गांव के बसने वाले किसान अधिकांश अशिक्षित, निर्धन, टेलीफोन और वाहन की सुविधाओं से रहित, दूर दूर गांवों में बिखरे हुये हैं। सरकारी पहुंच भी उनकी पहुंच के बाहर है। इसलिये मैं माननीय गुप्ता जी से अपील करूंगा कि वह इस सदन की एक समिति का निर्माण करें जिसके विचारार्थ यह प्रश्न हो कि किसान को और सुविधायें कैसे पहुंचायी जायं और उनको मिलने वाली सुविधायें किस प्रकार सुलभ करायी जायं।

माननीय कृषि मंत्री नहीं हैं। वह अमेरिका पलट ही नहीं है, बल्कि अमेरिका शिक्षित भी हैं और वह एक कृषक परिवार के हैं, यह मेरे लिये संतोष की बात है। वह इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश जलवायु, भूमि और पानी से बिजली बनाने की सम्भावनाओं की दृष्टि से न केवल भारत में अपितु अमेरिका की तमाम रियासतों में सबसे अच्छा प्रदेश है और इस बात से स्पष्ट होता है कि यहां के अच्छे किसानों की पैदावार दुनिया के अच्छे किसानों की पैदावार से

मुकाबला करती है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश कृषि की औसत पैदावार और कृषकों की आर्थिक स्थिति के ख्याल से अन्तर्राष्ट्रीय जगत और अन्तर्प्रदेशी जगत में बहुत पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं और गन्ने की प्रति एकड़ औसत पैदावार के आंकड़े भारत के औसत पैदावार के आंकड़ों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। प्रदेश के किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रति कृषक परिवार की पैदावार का मूल्य रुपये में यदि आप देखें जो इस पत्रिका में दिया हुआ है तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान विभिन्न राज्यों के श्रेणी अन्तर में आठवां है। पंजाब, गुजरात, मैसूर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास हमारे प्रदेश से आगे हैं, आगे ही नहीं बहुत आगे हैं। प्रति एकड़ पैदावार का कुल मूल्य रुपये में यदि आप देखें तो इसमें भी श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का स्थान राज्यों में छठा है। केरल, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, आसाम, पंजाब हमसे बहुत आगे हैं। इसका कारण क्या है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में उत्तरोत्तर कृषि कार्य में प्रयोग करने वाले सामग्री के दाम निरन्तर ही बढ़ते गये, जिसके कारण कृषकों की शुद्ध आय और फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति घटती गयी और उनके लिये कृषि के साधन दुर्लभ होते गये। इसलिये यह दुश्चक्र पैदा हुआ। कृषि की उन्नति के लिये सबसे प्रमुख एक सामग्री है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। यों ही भारत में अन्य देशों के मुकाबले में फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत कम होता है, जो कि नगण्य के बराबर है, इसके भी आप आंकड़े देखें।

मैं केवल एक देश जापान की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष १९६०-६१ में जापान में २३३.६९ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग होता था जबकि भारत में यह केवल २.४३ था। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान आठवां है। इसी तरह से भारत में अन्य देशों की अपेक्षा उर्वरकों के मूल्य भी बहुत ज्यादा हैं। भारतवर्ष में जो फर्टिलाइजर का प्रयोग है, उसमें भी अन्य प्रदेशों की तुलना में यह प्रदेश बहुत पिछड़ा है और उसमें भी इसका आठवां स्थान है। मद्रास, पंजाब, ए० पी०, केरल, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मैसूर इसमें हमसे कहीं आगे हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने समय समय पर उत्तरोत्तर फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते चले गये। हमारे पास आंकड़े हैं। यहां भारत में उर्वरकों के दाम अन्य देशों से ज्यादा हैं। मैं यू० के० के दाम आपके सामने रखूंगा। वहां पर नट्रोजन उर्वरक के दाम ६९३ रूपये प्रति मैट्रिक टन थे जबकि भारत में यह दाम १८८२ रुपये प्रति मैट्रिक टन थे। इसी तरह से सुपर फास्फेट फार्टलाइजर के दाम ५५२ रुपये यू० के० में थे और १६०० रुपये भारत में थे। इतना ही नहीं और तब से बराबर उर्वरक के दाम बढ़ते ही गये हैं १-२-६६ से उर्वरकों के मूल्य में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके कारण अमोनियम सल्फेट के दाम ३३० रुपये प्रति टन से ४१६ रुपये हो गये, अमोनियम सल्फेट १-४-६८ को बढ़ा कर ४९५ रुपये और १-४-६९ को बढ़ा कर ५५० रुपये कर दिये। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के दाम ४०० रुपये से ५७५ रुपये हो गये और काल० अमोनियम नाइट्रेट के दाम २७८ रुपये से ३६५ रुपये प्रति टन हो गये। ऐसी दशा में आज उर्वरक छोटे किसानों की पहुंच के बाहर होता जा रहा है।

उर्वरक के बाद बिजली जो कृषि का एक बड़ा साधन है, उस पर हमें विचार करना है। बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, लेकिन खेद की बात है कि जितनी बिजली इस प्रदेश में पैदा हुई है, उसका अधिकांश भाग उद्योगों में गया है, सिंचाई के क्षेत्र में बहुत कम हिस्सा आया है। सन् ५०-५१ को यदि हम बेस ईयर मान लें और सिंचाई और उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली बिजली की मात्रा को १०० मान लें तो १९६६-६७ में यह आंकड़ा सिंचाई और उद्योगों के संबंध में ३११ और ६०७ हो गये। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्योगों में बिजली ६ गुना ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। जब कि सिंचाई में केवल तीन गुनी बढ़ी इस आंकड़े को प्रस्तुत करके मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि अब जो बिजली अधिक पैदा हो उसका बेहतर हिस्सा उनको सिंचाई पर इस्तेमाल करना चाहिये।

[श्री शिवराज सिंह---]

श्रीमन्, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो बिजली की दरें हैं वह अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा हैं। यदि आप तालिका का अवलोकन करेंगे तो आप पायेंगे कि उत्तर प्रदेश की बिजली की दरें मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र, मद्रास, केरल और मैसूर इन सब राज्यों से कहीं बहुत अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली प्रति किलोवाट १२ से १५ पैसे तक है जबकि मध्य प्रदेश में ९ से ११ पैसे प्रति किलोवाट तक, पंजाब में ७ से ९.३८ पैसे प्रति किलोवाट, उड़ीसा में ८ से ९ पैसे प्रति किलोवाट, आंध्र में ८ पैसे प्रति किलोवाट, मद्रास में ७ पैसे प्रति किलोवाट, केरल में ६ पैसे प्रति किलोवाट और मैसूर में ३ से ५ पैसे प्रति किलोवाट तक ही है।

मान्यवर, तीसरी चीज सिंचाई की दरें हैं। हमारे प्रदेश में वह दरें उत्तरोत्तर बढ़ती गयी हैं। माननीय पंडित कमलापति जी हमारे समक्ष बैठे हुये हैं शुरू-शुरू में वह काफी अरसे तक सिंचाई मंत्री रहे हैं। उनको याद होगा कि शुरू शुरू में ट्यूबवेल से पानी २० हजार गैलन प्रति रुपया मिलता था, उसके बाद वह १६ हजार गैलन प्रति रुपया कर दिया गया और उसके पश्चात् अब १३५४० गैलन प्रति रुपया कर दिया गया।

इसी प्रकार, श्रीमन् बीज के क्षेत्र में देखिये। पन्त नगर विश्वविद्यालय को पूरी छूट है कि जिन दामों पर वह चाहें बीज बेंचे।

इस तरह से कृषि कार्य में प्रयोग में आने वाली सभी सामग्रियों के दाम शनैः शनैः इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उनका समुचित प्रयोग छोटे किसानों के वश के बाहर की बात होती जा रही है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाली सामग्रियों की दर कम की जायं, इस पर सरकार को बहुत गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करना चाहिये और कुछ काल के लिये उन्हें स्थिर कर देना चाहिये। बीज के सम्बन्ध में केन्द्र ने सीड ऐक्ट बहुत पहले पास कर दिया था लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे नहीं अपनाया है और न इस संबोधन में अपनाने की बात कही गयी है।

मैं दो बातें और कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। एक तो यह कि आज प्रदेश के अन्दर जहां अभाव उत्पादन में है वहां कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ओवर प्रोडक्शन हो गया है। जहां सरकार को अन्डर प्रोडक्शन यानी कम पैदावार की समस्या पर विचार करना अनिवार्य है वहां ओवर प्रोडक्शन की समस्या पर भी ध्यान देना पड़ेगा। गन्ना और आलू ये चीजें ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश में ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। गन्ने के सम्बन्ध में इस सरकार ने मिलमालिकों को पूरी छूट दे दी है और सारे कानून और रूल्स को हवा में फेंक दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात की जांच करावें कि कहां कहां गन्ना क्रय सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन हुआ है और कहां कहां उन कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं बधाई देता हूं कृषि विभाग को कि उसने आलू के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह पैदावार की दृष्टि से प्रशंसनीय है निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आलू के मामले में न केवल स्वावलम्बी है बल्कि हम आवश्यकता से ज्यादा आलू पैदा करते हैं लेकिन, श्रीमन् इसका जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वह यह है कि हम आलू के भाव को गिरने से रोक नहीं पा रहे हैं और न केवल रोक नहीं पा रहे हैं बल्कि उस दिशा में सरकार ने अब तक कोई कदम ही नहीं उठाया है। इससे इस बात की पूरी शंका उत्पन्न हो गयी है कि अगले वर्ष आलू की पैदावार पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़े। मैं आलू के भाव के आंकड़े दो मंडियों के केवल आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्रुखाबाद के अन्दर जिस आलू का भाव गत वर्ष ३१ रुपये प्रति क्विन्टल था वह इस वर्ष इस समय १४ रुपये ५० पैसे प्रति क्विन्टल हो गया है और बरेली की मंडी में जहां गत वर्ष ३० रुपये प्रति क्विन्टल था वहां अब १८ रुपये ५० पैसे प्रति क्विन्टल हो गया है और यह बहुत ही शोचनीय और चिन्ताजनक बात है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए आलू रखने का किराया ८-१० रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ कर १५ रुपये प्रति क्विन्टल तक हो गया है। इस ओर से भी सरकार उदासीन है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और शीघ्रातिशीघ्र आलू की समस्या का निराकरण करने के प्रति कदम उठावे। श्रीमन्, हमारे प्रदेश के कुछ भाग में सूखा पड़ा

हुआ है। उस पर आज सांयकाल को विचार किया जायगा। उस सम्बन्ध में केवल मेरा एक ही सुझाव है। वह यह है कि जो भी टेस्ट वर्क सरकार इसके लिये चलाती है। उस टेस्ट वर्क के लिये दीर्घकालीन अहमियत होनी चाहिये। पिछले समय में जितने भी काम इस टेस्ट वर्क के अन्तर्गत हुये हैं चाहे वह किसी सड़क के विषय में हों या कहीं पर मिट्टी डालने के लिये हों वह कुछ समय के बाद रखरखाव न होने के कारण खतम हो गये हैं और उन सब का कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उसको दीर्घकालीन महत्व देने के लिये मेरा निवेदन यह है कि जितने भी टेस्ट वर्क प्रदेश में किये जायं किसी भी प्रदेश के हिस्से में उनकी दीर्घकालीन अहमियत होनी चाहिये। उसके बाद उसकी मरम्मत का कार्य भी होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का आपने समय दिया। मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन इस अभिभाषण में इस प्रदेश के पूर्वी अंचल के अविकसित क्षेत्रों के विकास की योजना का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रदेश का पूर्वी अंचल आज भी ऐसा है जहां पर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये जो साधन उपलब्ध होने चाहिये वे उनको उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले के अन्दर पूर्वी हिस्से में और आजमगढ़ के पच्छिमी हिस्से कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां की जनता आज भी बाढ़ और सूखे के कारण अपना उत्पादन नहीं कर पाती है। उनको सरकार की ओर से कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है जिससे वह अपने जीवन को यापन कर सकें। जलालपुर के नजदीक कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोग बहुत कष्ट का जीवन व्यतीत करते हैं उन गांवों का नाम मैंने १९६७ के बजट भाषण के समय बताया था और आज भी बतलाना चाहता हूं। उमरियापुर और नवानगर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ आ जाने से लोगों की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। सरकार की तरफ से आज तक वहां पर बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई उपाय नहीं किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से मन्त्रि परिषद् के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की तरफ अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि उत्पादन के विषय में। उत्पादन के लिये सिंचाई के साधन और खाद के साधन पर्याप्त रूप से होने चाहिये। सिंचाई के साधन हमारी संविद सरकार के जमाने में हमारे जिले फैजाबाद में नहीं हो पाये। डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत एक भी नलकूप वहां पर नहीं बन सका। पहले जो डिपाजिट करने की योजना थी उस योजना के अन्तर्गत कोई भी किसान डिपाजिट नहीं कर सका। इसका परिणाम यही हुआ कि कोई नलकूप नहीं बन सका। ४ नलकूप बनने की योजना थी, लेकिन इस डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत वह काम नहीं हो सका। इस कारण सिंचाई के कोई भी साधन उस दौरान वहां पर नहीं हो सके। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इन बातों का अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। जो राजकीय नलकूप बनने थे वह भी वहां पर नहीं बन सके जिसके कारण आज भी वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो सके हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस कारण से बड़ी भारी असुविधा उत्पन्न हो गई है।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के लिये संविद सरकार ने जो डिपाजिट स्कीम चलाई, उस स्कीम के कारण जो हमारे साथी प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना चाहते थे वे भी नहीं लगा सके क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे इतना रुपया जमा करें। महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में इसका भी कोई जिक्र नहीं है जबकि कांग्रेस के एलेक्शन

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

मेनिफेस्टो में इस बात को कहा गया था कि इस डिपाजिट स्कीम को समाप्त कर देंगे। उसके लिये मैं आपके माध्यम से मंत्रि-परिषद् से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस स्कीम को समाप्त करें जिससे सिंचाई के साधन अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो सकें और जो लोग अपना प्राइवेट ट्यूबवेल डाइरेक्ट लगाना चाहते हैं, वे इसे लगा सकें।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि उत्पादन को सबसे पहली प्राथमिकता दी गयी है इसके लिये आवश्यक है कि सिंचाई के साधन पूरी मात्रा में उपलब्ध हों।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जलालपुर से बसखरी तक १०-१२ मील के क्षेत्र में दवा वगैरह के लिये कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है और पिछली बार से बराबर निवेदन करते रहने के बाद भी आज तक एक आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खुल सका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कोई औषधालय न होने के कारण उस क्षेत्र की जनता के लिये चिकित्सा के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं कि वे अपनी जरूरत के वक्त कुछ दवा वगैरह का प्रबन्ध कर सकें।

इसके अलावा प्रदेश में भूमि भवन कर और व्यवसाय कर जो लगा हुआ है जिसको संविद सरकार ने समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज के जमाने में उनकी वसूली हो रही है। दो-तीन वर्ष के भूमि-भवन कर लोगों से वसूल किये जा रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंत्रि-परिषद् के सदस्य भूमि-भवन कर तथा व्यवसाय कर को समाप्त करने की दिशा में उचित कदम उठावें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कही गयी है, लेकिन इस दिशा में कोई भी कदम अब तक नहीं उठाया गया है। राज्यपाल के शासन काल में भी इधर भ्रष्टाचार बढ़ा है जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री ने भी बतलाया है।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आज हम उस कांग्रेस शासन की नीतियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके २० वर्ष के शासन के परिणाम स्वरूप यह उत्तर प्रदेश देश के सारे अन्य प्रदेशों से कहीं पीछे ढकेला हुआ है। इसके पहले कि इसके विषय में मैं कुछ चर्चा करूं, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे नियोजन मंत्री जिन्होंने अभी अपना विचार व्यक्त किया है, वे भी उस आंकड़े के जाल में फंस जाना चाहते हैं जिसमें फंस जाने के कारण पिछली दुर्घटनायें इस प्रदेश के साथ हुई हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन के साथ कह देना चाहता हूं कि इस देश को इस कांग्रेस शासन ने इतना बड़ा कर्जदार बना दिया है, जिसकी वजह से कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में मान्यवर तिवारी जी ने कहा कि आज संसार के अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने आज की परिस्थिति में कर्ज लिया। उदाहरण स्वरूप उन्होंने जर्मनी और जापान की मिसाल सदन के सामने रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इसका भी खयाल किया कि जर्मनी और जापान की उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में क्या अन्तर हुआ? क्या उनके पास इतनी भी सामर्थ नहीं रही कि जो कर्ज उन्होंने लिया उस कर्ज का सूद भी अदा कर सकें? उनको मालूम होना चाहिये कि पोस्ट वार और सारे डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी क्या वे कहीं ऊंची स्थिति में नहीं पहुंचे? क्या यही स्थिति आज जापान की नहीं है? पता नहीं यह अंश अपने भाषण में उन्होंने क्यों छोड़ दिया? चौधरी साहब के लिये उन्होंने कहा कि पांच कारणों में से दो कारण उन्होंने नहीं बतलाये। लेकिन उन्होंने तो इसको सोचा नहीं और वे तो नियोजन मंत्री हैं। उनको इस पर विचार करना चाहिये था। अगर नहीं करेंगे, केवल कुर्सी लेने के पहलू पर विचार करेंगे तो इस प्रदेश का कल्याण भगवान के हाथ में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे, मैंने बड़े ध्यान से पूज्य कमलापति त्रिपाठी का भाषण अखबारों में पढ़ा, संयोग से मैं मौजूद नहीं था। जब कोई लचर दलील होता है जो जिस प्रकार उसको एक सुन्दर बहुत गम्भीर ललित भाषा में ड्रेस किया जाता है, उसको वस्त्र-आभूषण दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने कल अपने विचार प्रकट किये। परन्तु मैं तो ऐसा समझता हूं कि कि सच्चे होने के नाते उनके मुंह से एक बात निकल गयी, जिसके कहने के बाद मैं ऐसा समझता हूं इस पर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि यह सर्वमान्य है कि सर्वतोन्मुखी हमारा अधःपतन हुआ है। इस अधःपतन की स्वीकृति २० वर्षों के बाद किसकी देन है? इस स्वीकारोक्ति के बाद मुझे इन नीतियों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस सर्वतोन्मुखी अधःपतन को खोज रहे हैं कि इसके कारण क्या हैं। उनका अनुसंधान विभाग फेल हो गया, अनुसंधानशाला फेल कर गयी जो इधर की अनुसंधानशाला पर विचार कीजिये——उन बातों पर जो कि सुझाव के रूप में रखी जाती है। उन्हें सुनिये, अगर पसन्द आयें। मैं समझता हूं कि अब कोई विकल्प नहीं है। अगर हो तो आप इसको न अपनायें। इतनी स्वीकारोक्ति जो वह एक उप मुख्य मंत्री होने के नाते किये वह उनकी अपने प्रदेश के प्रति सदेच्छा और सद्भावना का प्रतीक है और उसी नीति से किये। आज प्रशासन में अपनी नीतियों को सफलतापूर्वक वह क्यों नहीं चला पाये इसकी पृष्ठभूमि है। हमारे स्वर्गीय पन्त जी तो दूसरे गुट के संचालन में लगे थे। जब सम्पूर्णानन्द जी आये तो एक गुट से मुकाबला करने में उनके मस्तिष्क को जुटना पड़ा। गुप्ता जी आये तो क्षमा करें, मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, वह त्रिपाठी जी के गुट के संघर्ष में जुट गये और जब सुचेता जी आयीं तो वे त्रिपाठी जी और गुप्ता जी, दोनों गुटों से भिड़ गयीं और उनको समय नहीं मिला कि प्रदेश की ओर ध्यान दें। जब रेड्डी साहब आये तो उन्होंने अपने इरादे के अनुसार काम करना चाहा, लेकिन उनका ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर चला गया। चरण सिंह जी आये तो उनको समय बहुत कम मिला। संविद सरकार आयी तो समय बहुत कम मिला। अधिक कहना नहीं चाहता।

अब मैं एक बात कहता हूं। त्रिपाठी जी ने कहा कि सहयोग होना चाहिये। ऐसी कठिन परिस्थिति में सहयोग होना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हैं। पर सवाल यह है कि सहयोग लेने के लिये आपने हाथ बढ़ाया है या नहीं। आज संविद सरकार ने, एक पापुलर सरकार ने जो निर्णय लिये, आपने सब पैरों तले कुचल डाले, उनमें जीवन नहीं रहने दिया चाहे वह भूमि भवन कर था या पब्लिक इंक्वायरी बिल था। तिवारी जी ने जो आज कहा उसके बारे में बाद में कहूंगा उस ओर उनका ध्यान नहीं गया है। तो मैं यह कहना चाहता था कि सहयोग एक-पक्षी नहीं होता, दोनों पक्षी होता है।

अब मैं थोड़े से समय में संक्षेप में हर विषय पर स्पर्श करते हुए चलता हूं। इस संबोधन में पहली बात उन्होंने यह कही है कि अपने ऊपर का बोझ केन्द्र पर डाल दिया है। क्या करते रहे २० वर्ष आप? मि० गैडगिल सितम्बर में आये और योजना कमीशन में कहा कि यू० पी० सरकार का कथन निराधार है कि हमने रुपया नहीं दिया इसलिए काम जल्दी नहीं हो पाया। दो प्रदेश हिन्दुस्तान में हैं एक तो उन्होंने कहा कि बिहार जो सबसे अधिक योजना निधि रखते हुए भी चल नहीं पाया और पिछड़ गया और दूसरा पंजाब जो सब से कम योजना निधि प्राप्त करते हुए भी सबसे आगे दौड़ गया है। अपनी अकुशलता और इनएफिश्यैंसी और इस प्रशासन का भ्रष्टाचार ही इसका कारण है जिसको छिपाकर आप दोष दूसरों पर डालते हैं, यह उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कर निर्धारण की प्रवृत्ति के बारे में। इस अभिभाषण में कहा गया है कि १७५ करोड़ रुपये के हम कर लगायेंगे। क्या आधार रखा आपने उसका? क्या आपने यह देखा कि जिससे आप कर लेना चाहते हैं, उसमें कर देने की शक्ति है भी कि नहीं। यह जो विषमता है गरीबी और अमीरी की, इस ओर आपने कौन सा संकेत इस अभिभाषण में किया है, मैं पूछना चाहता हूं। आप वेस्टेड इन्टरेस्ट को छूना नहीं चाहते। अन्न, वस्त्र, भोजन और मकान जो जीवन की मुख्य चीजें हैं

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—]

इनकी ओर आपने कौन सा संकेत इसमें किया है ? फिर आप कहां से यह १७५ करोड़ रुपया लायेंगे इसका कोई संकेत आपने नहीं किया है ?

श्रीमन्, तीसरी बात यह है कि यह प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है और यहां सबसे अधिक कर भार है । कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि हमारे यहां कर भार सैचुरेशन प्वाइन्ट तक पहुंच गया है और उसका आल डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया है । सन् १९६७—६८ में जब केन्द्रीय सरकार ने कर बहुत बढ़ाया तो उस वर्ष करीब १६०करोड़ रुपया कम वसूल हुआ पिछले साल के मुकाबले में । इससे आपने क्या सबक सीखा । आपकी तो प्रवृत्ति यह है कि आप अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लेंगे, दूसरों से सबक नहीं लेंगे, इतिहास से सबक नहीं लेंगे ।

श्रीमन्, पहले एक उत्तर प्रदेश की जांच समिति बैठी थी । उसने अपनी रिपोर्ट शासन को दी है । उसने कहा कि शासन आदि के खर्चे में कमी करने से करीब ६० करोड़ की बचत होगी । उस रिपोर्ट को यह, श्रीमन्, निगल गये । वह जांच समिति की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आयी । क्यों नहीं आयी ? मैं कुछ अब सुझाव देना चाहता हूं ।

श्रीमन् ,आज सरकारी प्रतिष्ठान घाटे पर चल रहे हैं । उसमें जो प्रशासनिक खर्चे हैं, उनको कम किया जाय । इस तरह से उनको घाटे से बचाया जा सकता है । इसके अलावा अनावश्यक खर्चे को खत्म किया जाय । प्रशासन के खर्चे में कमी की जाय । इस तरह से काफी रुपया बचाया जा सकता है । मैं पूछता हूं इस ओर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती ।

श्रीमन्, जो इनकी योजनायें हैं व केन्द्रीय सरकार के इशारे पर चलती हैं । मैं कहता हूं कि जो आपकी अन-प्रोडक्टिव स्कीम्स हैं उनको आप क्यों नहीं खत्म कर देते । उनको खत्म करके जिनको प्राथमिकता देनी चाहिये, उन स्कीमों को लाना चाहिये । अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अन-प्रोडक्टिव स्कीम्स को आप छोड़ दीजिये । आज चारों तरफ निराशा छाई हुई है । किसी को भोजन नहीं मिल रहा है किसी को वस्त्र नहीं मिल रहा है, किसी को मकान नहीं मिल रहा है । फिर भी कर का भार दिनों-दिन बढ़ाया जा रहा है । आपकी प्लान्स जब तक आपकी आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होंगी, वे कभी सफल नहीं होंगी । बड़े बड़े लोगों पर, जिन पर लाखों करोड़ रुपया टैक्स का बाकी है अगर आप उनसे वह वसूल करें, और टैक्स इवेजन को रोकने का उपाय करें तो आपको नये कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी । जो भी ब्रेन वेव आपकी मस्तिष्क में आयी, उसी के अनुसार आपने प्लान बना दी ।

श्रीमन्, आज गरीबी और बेकारी की बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है । मैं माननीय चरण सिंह जी की बहुत सी बातों से इत्तफाक करता हूं । यह ठीक है कि आज हमारे यहां एग्रीकल्चरल बेस्ड इन्डस्ट्री होनी चाहिये । मैं इसको मानता हूं । एग्रीकल्चर को हमें प्रायरिटी देनी होगी । माननीय तिवारी जी ने कहा खर्चे देख लीजिये, पहले इतना लगा था अब इतना लगा । मैं कहता हूं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना बढ़ा इस पर भी आपने गौर किया । आप सरकारी फार्म के आंकड़े देखिये । मैंने चेयरमैन, लोक लेखा समिति, की हैसियत से देखा, वह देखने योग्य नहीं है । तो मैं यह कहता हूं कि हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि इस उन्नत खेती के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये । मैं मानता हूं कि आपने उन्हें इसके लिये पानी चाहिये, उन्नत बीज चाहिये, खाद चाहिये, यह सब दिया । आप कहते हैं कि उसे ट्रैक्टर भी चाहिये । मुझे एक किस्सा याद आता है कि स्वर्गीय महामना मालवीय जी एक बार भाषण दे रहे थे । मैं भी बैठा हुआ था । मैं भी गरीब स्थिति में था । बहुत से लोग बैठे थे । उन्होंने कहा कि दंड बैठक लगाकर और दो मुगदर घुमाकर एक मोदक और एक दूध का गिलास भी पीओ तुम हट्टे-कट्टे हो जाओगे । मैं तो उस समय कुछ न बोल पाया परन्तु एक विद्यार्थी उसमें मान्यवर कहने लगा कि उपाय तो बहुत अच्छा है परन्तु मुझे तो एक मोदक और गिलास दूध मिलेगा कहां से ? तो आज आप कैसे एक काश्तकार के लिये ट्रैक्टर की बात करते हैं

ठीक-ठीक आंकड़ा तो नहीं बता सकता माननीय चौधरी चरण सिंह जी इसका ठीक आंकड़ा बता देंगे कि जब हमारे यहां ८५ प्रतिशत काश्तकार ३ एकड़ से भी कम काश्त वाले हैं? तो क्या वे कर्ज के भरोसे ट्रैक्टर चलायेंगे अपने खेतों में। और कर्जा आपका एडमिनिस्ट्रेशन बांटता कैसे है कभी गौर किया आपने ? जो देता है वह उसी के पास पहुंच जाता है। इस सम्बन्ध में आपने जो दिया वह मैं बताता हूं कि आपकी जो कोआपरेटिव की संस्थायें हैं, उनकी आज तक टोटल रूरल लीड है सवा पन्द्रह परसेन्ट, इन कोआपरेटिव्स को गवर्नमेंट स्तर पर जो दिया गया है वह नगण्य है, सरकार ने दिया वह २५ फीसदी निकाल कर तब मिलता है काश्तकार को और मैं पूछता हूं कि कामर्शियल बैंक्स केवल कागजी घोड़े दौड़ाने के आदी हैं, काश्तकार की आज क्रैडिट वर्दीनेस क्या है ? वह कामर्शियल बैंक से मांगने जायेगा तो कौन देगा। उसकी जमानत देने के लिये कौन तैयार होगा। मैं चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योगों का आप गांव-गांव में जाल बिछा दें ताकि हर हाथ को काम मिले और हर खेत को पानी मिल सके। मैं कहना चाहता था कि आज दुनिया में सबसे गरीब किसान भारतवर्ष का है और फर्टीलाइजर कम भारतवर्ष का है और उस पर भी दस परसेन्ट एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। कभी आप अन्तर्मुखी होकर सोचते भी हैं, खेतों से हजारों मील दूर रहने वाले व्यक्ति वस्तुस्थिति को क्यों नहीं सोचते ?

इन्डस्ट्री के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आप बड़े-बड़े उद्योग नहीं लगा पाये तो कहते हैं कि छोटे-छोटे उद्योग लगायेंगे। अब भी हमारा विचार छोटे उद्योगों की तरफ नहीं है। एग्रो इन्डस्ट्रीज सैट अप करिये जिनका मैटीरियल देहातों में ही मिले जिससे हर एक हाथ को काम मिले। क्या आप पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ? भगवान के दिये हुये दोनों मशीनों से ये हाथ वाले लाखों, करोड़ों की तादाद में बेकार हुए जा रहे हैं। आपकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, ऐसी इन्डस्ट्रीज कायम होनी चाहिये, जिससे हर हाथ को काम मिले और हर आदमी को दाम मिले। यह तो डिटेल्ड योजना की बात है। मगर मान्यवर मैं कहता हूं कि आपको यह सब अपनाना पड़ेगा। आप महात्मा गांधी की कही हुई बातें क्यों भूल गये ? आप महात्मा गांधी की जय बोलकर ही वोट मांगते हैं जब तो उनके सारे उसूलों को सत्य कर डालो। वे कहते हैं छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज का जाल बिछा डालो। बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज और बड़े-बड़े मिलों पर ध्यान मत दो। उसकी रिपोर्ट में ऐसा है—"एम्प्लायमेंट पोटेन्शल इन हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज इज ट्वन्टी टाइम्स व्हाट इज इन मिल इन्डस्ट्रीज" इससे परिणाम यह होता है कि बेकारी की समस्या बढ़ती है और बेकारों की संख्या १९६९ में एक करोड़ २० लाख जब है तो ७४ में कहीं ज्यादा हो जायेगी और सन् ७९ में यह ६० करोड़ हो जायेगी। इसके अलावा ७० या ८० मिलियन ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लायड हैं या खेतिहर हैं। खेतिहर मजदूर की तो बात ही छोड़ दीजिये, इस भीषण महंगाई में आपने किसी ओर भी ध्यान नहीं दिया है। आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करें जिससे कोई एम्प्लायमेंट का ख्वाहिशगार न रहे। जैसे जापान में है, जर्मनी में है।

कर्जे के बारे में तो कह दिया लेकिन उसकी असलियत के बारे में नहीं कहा। प्लान सभी अच्छे हैं लेकिन एक्जीक्यूट कौन करता है। एक्जीक्यूट करने वाला प्रशासन है। प्रशासन कितना भ्रष्ट है। मैं प्रशासन के भ्रष्टाचार की ओर कुछ नहीं कहता। अभी तिवारी जी ने कहा कि एक आर्डिनेंन्स बनाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या यह जस्टिफिकेशन है, क्या यह औचित्य है। कहना कि यह आज एकेन्डेवियन कन्ट्रीज हैं, स्टिजरलैन्ड है, जो अमीरों की देखरेख करें, पर्सनालिटीज की देखरेख करे उसकी आवश्यकता नहीं थी। आज कोई भी मंत्री हरिश्चन्द्र का अवतार नहीं है। मैं भी गिर सकता हूं लेकिन आपको जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी कानून के हाथ से बच नहीं सकता। उसके लिये भी आपको कानून की व्यवस्था करना चाहिये। यह ही आवश्यक नहीं है कि न्याय हो, परन्तु ऐसा मालूम भी होना चाहिये कि न्याय किया जा रहा है। हमारे मंत्रियों को भी अब बोल्ड होना चाहिये ? क्या इसके लिये आप पब्लिक इंक्वायरी आर्डिनेंस को आवश्यक नहीं समझते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमीशन बैठाया, उसमें बहुत से बड़े-बड़े लोगों की गवाही हुई। कमीशन ने अपनी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

रिपोर्ट भी दी कि अगर यह सरकार जनतंत्र को बचाना चाहती है तो उसे इस प्रकार का पब्लिक इंक्वायरी कमीशन कायम करना चाहिये। लेकिन वह आज तक कायम नहीं हुआ। और इस सरकार ने जो पहला कदम उठाया वह उस आर्डिनेंस को भी खत्म करने के बाबत ही उठाया।

इन्द्रा जी पार्टी के काम से यहां आयीं और उन पर २० लाख रुपया खर्च किया गया। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो शुक्ला जी ने कहा कि केन्द्र की सरकार अगर कांग्रेस से उस रुपये को मांगेगी तो अवश्य दे दिया जायगा। कांग्रेस के प्रचार के लिये यह गरीबों का लाखों रुपया क्यों इस प्रकार से खर्च किया जा रहा है। अनेक बार यह बात कही गयी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब किसी का मस्तिष्क ठीक होगा तो उसके पैर भी ठीक ही पड़ेंगे अन्यथा वे आग में पड़ सकते हैं। मैं छोटे लोगों की चर्चा नहीं करता, वे ज्यादा से ज्यादा रिश्वत लेंगे भी तो ४–६ रुपया ले लेंगे लेकिन मंत्री लोगों के इस प्रकार के कामों पर रोक होनी चाहिये। अगर उनके विरुद्ध एक्शन लिया गया तो नीचे के लोग तो अपने आपही कांप जायेंगे। अब तो एक डिफेक्टर्स की भी ब्राइबरी चलने लगी है, खूब जोरों से चल रही है। अपनी कुर्सी को संभालने के लिये आप सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं कहता हूं कि आप शासन से भले ही खिसक जायं लेकिन अपने उसूल से न खिसकिये। आपको तो देश के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये था। ऐसा न करना बिलकुल ब्राइबरी है। आज कल चन्द्रशेखर हीरो बने हुये हैं। किसी की हिम्मत नहीं है मिनिस्ट्री के खिलाफ कुछ कहे। वह कहते हैं तो उनके खिलाफ हल्ला मचा हुआ है।

सिविल सर्वेन्ट के बारे में जो कोड और नियम बने हुए हैं, वे सदियों पुराने हैं। इस विषय में संथानम कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि ये लोग डेवलपमेन्ट के काम में बिलकुल दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जो समझ में आता है करते हैं। हमारे देश की तरक्की में यह भी बहुत बाधक हो रहा है। उनके नियमों को बदला जाना चाहिये।

हमारी शिक्षा प्रणाली को भी बदले जाने की परमावश्यकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिससे यहां के नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना, अनुशासन की भावना जाग्रत हो और देश की प्रतिभा को उभरने का अवसर मिले। इसके अलावा हमें शिक्षकों की मांगों को पूरा करना चाहिये। मान्यवर यह बात ठीक है कि माइनोरिटीज की रक्षा की जानी चाहिये, उनको सहायता पहुंचानी चाहिये, ऊपर उठाना चाहिये। लेकिन उसके लिए एक माइनोरिटी कमीशन की स्थापना की जयी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं क्या लोगों में सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी पैदा करना चाहते हैं। आप सब जगह योग्यता के आधार पर ही लोगों को लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश में विघटनकारी शक्तियों को पनपने का मौका मिलेगा।

चुनाव के बारे में जांच की मांग बहुत से लोगों की तरफ से की गयी है। उसकी जांच होनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और कोआपरेटिव बैंक की गाड़ियों को हम लोगों के खिलाफ प्रचार करने के लिये इस्तेमाल किया गया है। यह प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं है आपको मालूम है कि अभी १३ मार्च को श्री संजीवा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस देश को सही नेतृत्व देने में असफल रही है और प्रजातंत्र को अब यह कांग्रेस न बचा सकेगी। यह जो डिफेक्शनन्स की बीमारी चली, उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस ही है, इसका भी श्रीगणेश कांग्रेस ने ही किया और जिस तरह के कदम कांग्रेस ने उठाए हैं उनको हम आसानी से पोलिटिकल ब्राइबरी की संज्ञा दे सकते हैं। जिस तरह से आप जिम्मेदार हैं राजनीतिक करप्शन के वह इससे जाहिर है कि क्या चुनाव का खर्च सही दाखिल होता है, हम सब इसके लिये जिम्मेदार हैं, करप्शन हमसे ही शुरु होता है और नतीजा होता है कि पैसे वाले ही जीतते हैं।

तीसरी बात यह है कि यह भी देखने की बात है कि विघटनकारी प्रवृत्तियां किस तरह से बढ़ती हैं। हम देखें कि हम आज जनता के सामने क्या आदर्श रखते हैं हम अपने तमाम कैंडीडेट जाति के आधार पर खड़े करते हैं, सारा देश देखता है सारी नियुक्तियां, मिनिस्टरों के विभागों

का और पदों का बंटन जातिवाद के आधार पर होता है, सारे एलेक्शन जाति के आधार पर लड़े जा रहे हैं और हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। यदि हम अपने आदर्शों, अपने प्रोग्राम और स्कीमों से यह साबित करते और जनता को समझाते कि जातियों के नाम पर कोई कार्य न हों तब हम एक सही दिशा दे सकते थे और प्रजातंत्र की रक्षा कर सकते थे। जैसा आप देश के लोगों को नेतृत्व देंगे वैसे ही वह बनेंगे। दोष तो आप का ही है। मैं अन्त में पुनः आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जानबूझकर कोई कटु शब्द नहीं कहे हैं अगर निकल गये हों तो क्षमा करें, वैसे विरोधी पक्ष सबल नहीं है कि आप के सामने आ सके, यह आपकी ही जिम्मेदारी है और जिस तरह से कि देश के महाजन चलते हैं वैसे ही उनके अनुगामी नीचे के लोग भी चलते हैं. आप इस पर विचार करें कि आपको सार्वजनिक जीवन में किस तरह से चलना है।

*श्रीमती इन्द्र मोहिनी (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। माननीय नेता विरोधी दल और विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन पर काफी रोशनी डाली है। इसी विषय में दो बातें मुझे भी अर्ज करनी हैं। हमारे सूबे के पिछड़ेपन की दो वजह हैं। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरे हमारा कैपिटल इनवेस्टमेंट शुरू से ही बहुत कम रहा है। जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। यह जरूर है कि हमारा प्रोडक्शन पहले से जरूर कुछ बढ़ा है जैसे पिछले साल हमारी पैदावार काफी अधिक हुई, लेकिन वह भी इतनी आफी नहीं हुई जिससे हमारी भूख और गरीबी मिट जाय। हमारा प्रदेश बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रदेश है, जब तक एग्रीकल्चर पर उचित ध्यान नहीं दिया जायगा, किसानों को ज्यादा सुविधायें और सहायता न दी जायगी तब तक हमारे सूबे की तरक्की नहीं हो सकेगी। इस विषय में एक और चीज भी बहुत जरूरी है और वह है हमारी सड़कें। हमारे किसानों के पास ज्यादातर छोटी छोटी होल्डिंग्ज हैं और उनकी जो थोड़ी बहुत पैदावार होती है उसको भी वह गरीब आसानी से मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते और उसका ज्यादातर हिस्सा चूहे खा जाते हैं और जो कुछ बचता है औने पौने दामों में आढ़ती उनका माल तुला ले जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अधिक से अधिक सड़कें गांव से कस्बों तक और शहरों की मंडियों तक बनाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ स्टोरेज का भी माकूल इंतजाम होना चाहिये, अगर अनाज के रखने का प्रबन्ध न होगा तो उसको चूहे खा जायेंगे और किसान का और सूबे का दोनों का ही नुकसान होगा। मैं चाहती हूं कि वेयरहाउसेज ज्यादा बनाये जायं, वह बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि मंडियों में और हर ५–६ गांवों के बीच में एक वेयरहाउस बनाया जाय जिसकी कैपेसिटी वहां की जरूरत के हिसाब से हो। इससे अनाज जाया न होगा और किसान को भी लाभ होगा।

इसके साथ ही पानी भी खेती के लिये बहुत जरूरी चीज है। पानी की कमी के कारण आज किसान को ईश्वर पर भी निर्भर रहना पड़ता है, वह परमात्मा से प्रार्थना करता रहता है कि बारिश हो और हमारी खेती अच्छी हो। पानी के लिये कुछ तो सरकार नलकूप लगा ही रही है पर उन्हें, जो तादाद इस समय है, उसे बढ़ाना चाहिये। इसके साथ ही साथ जो निजी नलकूप लगाना चाहते हैं, उनको भी हर प्रकार की सहूलियतें मिलनी चाहिये। अभी तक उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिनकी वजह से वे लोग इधर-उधर भागते रहते हैं, रुपया भी खर्चा करते हैं परन्तु रेड टेपिज्म इतना बढ़ा हुआ है कि उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को यह अवश्य सोचना चाहिये कि जब तक पानी का प्रबंध नहीं किया जायगा तब तक कृषि में वांछित उन्नति नहीं हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती इन्द्रमोहनी]

जहां तक बीज और फर्टिलाइजर का संबंध है, सरकार की ओर से हाई ईल्डिंग वैराइटी के काफी बीज और फर्टिलाइजर का प्रबन्ध है परन्तु जो भी इस प्रकार की सुविधायें हैं, उनसे बड़े-बड़े काश्तकार ही लाभ उठा पाते हैं, एक तो वे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और दूसरे उनके पास रुपया भी नहीं होता है। तकावी का कर्ज भी उनको आसानी से नहीं मिल पाता है। वे लोग कर्ज से भी डर जाते हैं अगर किसी को तकावी का रुपया मिल भी जाता है। मैं चाहूंगी कि जो ३ एकड़ से कम वाले किसान हैं, उनको तकावी का रुपया कम इन्टरेस्ट पर मिले ताकि जिससे कर्ज के लौटाने में ऐसे काश्तकारों को कोई तकलीफ न हो।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये भी हमें सोचना चाहिये कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जा सके। हमारे ग्रामों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पर जो हमारे अध्यापकगण हैं, वे अच्छे किस्म के होने चाहिये। साथ ही साथ उनके वेतन में जो कमी है, उसको दूर करना चाहिये। जब उन बेचारे अध्यापकों को भर पेट खाना ही नहीं मिलेगा तब वे किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दे पायेंगे।

जहां तक इन्डस्ट्रिलाइजेशन का संबंध है जब तक इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पायेगा तब तक जो हमारी लैंडलेस लेबर है या और लोग जो हैं, वे अपनी रोटी नहीं कमा सकेंगे। हमारी सरकार ने गत ३ पंचवर्षीय योजनाओं में १,४०० करोड़ रुपया खर्च किया है। यद्यपि हमारे प्रदेश की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार से हमें और ज्यादा रुपया लेना चाहिये क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। हमें मांग करनी चाहिये कि जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार और प्रदेशों में बड़े-बड़े कारखाने लगा रही है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी, जो कि और प्रदेशों से पिछड़ा हुआ प्रदेश है, बड़े-बड़े कारखाने लगाने के लिये अधिक से अधिक रुपया दे। इसके लिये मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगी कि वे भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग दें और प्रदेश की इस मांग को वहां पहुंचायें ताकि हमारे प्रदेश की उन्नति हो सके।

अब मैं हरिजनों के संबंध में कुछ निवेदन करके अपने भाषण को समाप्त करती हूं। इनके बारे में माननीय राज्यपाल जी ने बहुत कुछ कहा है परन्तु अभी तक हरिजन बहुत पिछड़े हुए हैं। दौरानें इलेक्शन मुझे भी गांवों में जाने का अवसर मिला है। मैंने स्वयं देखा है कि उनके पीने के लिये पानी तक उन्हें मुयस्सर नहीं है। गांव वाले इन्हें गांव के कुंओं तक नहीं जाने देते। इसके अतिरिक्त जो २० प्रतिशत का रिजर्वेशन इनके लिये सरकार ने निर्धारित किया है, वह केवल कागज पर होकर रह जाता है, वास्तव में उन आदेशों पर कार्यवाही नहीं होती। यह बहुत आवश्यक है कि सरकार इन दोनों बातों की ओर ध्यान दे।

अन्त में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय गेंदासिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री नसीम उद्दीन—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि बार-बार अर्ज करने पर भी मुझे बोलने को नहीं मिला है, मैं इसके एहतिजाज में सदन का त्याग करता हूं।

(इसके उपरान्त माननीय श्री नसीम उद्दीन सदन त्याग करके चले गये।)

*श्री भामी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भूमिहीन छोटे काश्तकारों, छोटे कर्मचारियों, और छोटे उद्योगों के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला है। मुझे यह भी निवेदन करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि प्रदेश में आदमी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो सबके लिये भोजन जरूरी है कपड़ा, शिक्षा, दवा और रहने के लिये मकान जरूरी है। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता के पास इतनी कम जमीन है कि वह अपने भोजन, कपड़े, शिक्षा, दवा तथा रहने के मकान आदि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। इन सबकी पूर्ति के लिये आवश्यकता होती है आमदनी के जरिये की और जरिये हैं खेती, नौकरी तथा उद्योग-धन्धे। लेकिन इस प्रदेश में ८० प्रतिशत जनता ऐसी है, जिसके पास इतनी खेती, नौकरी अथवा उद्योग-धन्धे की व्यवस्था नहीं है, जिससे वह अपनी आमदनी बढ़ा सके। हम सभी को एक राय हो कर इस मसले पर विचार करना चाहिये। इतने साल हो गये हमको आजादी मिले हुए लेकिन इस प्रदेश की गरीब जनता के पास न भूमि है, न नौकरी है न उद्योग धन्धा है, जिससे वह अपनी आमदनी बढ़ा कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

मुझे यह निवेदन करना है कि भूमिहीनों के संबंध में राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं आया है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। छोटे किसानों के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। छोटे काश्तकारों का हक बड़े काश्तकार लिये हुए हैं। छोटे कर्मचारियों का हक बड़े कर्मचारी और छोटे उद्योग धन्धों का हक बड़े उद्योग धन्धे वाले लिये हुए हैं। जब तक इनमें सामंजस्य नहीं होगा तब तक हालत सुधर नहीं सकती है। एक तरफ छोटे काश्तकार के पास इतनी कम जमीन है कि वह अपनी आमदनी बढ़ा नहीं सकता और बड़े काश्तकार के पास इतनी जमीन है कि वह उसको जोत नहीं सकता, न उत्पादन बढ़ा सकता है और खर्चा भी उसके पास कम है। लिहाजा बड़े काश्तकार से जमीन लेकर छोटे काश्तकार को जमीन देनी होगी। इसी तरह से छोटे कर्मचारी का वेतन बढ़ाना होगा और बड़े कर्मचारी का वेतन कम करना होगा और छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना होगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अलाभकर जोतों का भी जिक्र नहीं है। अलाभकर जोतों का लगान माफ होना चाहिये। हमको ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा सके। हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिये। आजमगढ़ जिले में गरीबों की हालत यह है कि महुए तथा गोबर पर अपने को निर्भर करना पड़ता है हम सबको इस गरीबी को कैसे मिटायें इस समस्या पर विचार करना होगा। ज्यादातर मैं हरिजनों की बात कहता हूं। हमारे जिले में एक मुसहर जाति होती है जो जंगलों में रहते हैं। लेकिन हाय रे सरकार का यह कानून। ११० के जाली मुकदमें में फंसा कर उनको सजा करायी जाती है। सत्याग्रह के सिलसिले में जब मैं जेलखाने गया तो वहां मैंने देखा कि उनसे पाखाना साफ कराया जाता है। इतना ही नहीं, छोटे काश्तकारों की सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनके चक तो ऐसे जगह हैं कि जहां वह निजी ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं और सरकारी ट्यूबवेल भी वहीं बनाये जाते हैं लेकिन गरीबों के चक एक ऐसी जगह बनाये गये हैं जहां सिंचाई के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और निजी ट्यूबवेल भी वे नहीं लगा सकते। इसलिये अगर आप छोटे किसानों के लिये पक्के कुएं की व्यवस्था पर भी नहीं सोचेंगे और बड़ी-बड़ी योजनाओं पर ही ध्यान देंगे तो गरीब सिंचाई से भी वंचित रह जायगा।

रह गयी शिक्षा की बात। तो अगर हाई स्कूल तक पढ़ाई मुफ्त नहीं हुई तो गरीबों के लड़कों की पढ़ाई होना बिल्कुल असंभव है।

जहां तक पुलिस का सवाल है हर विधायक इस बात को जानता है कि गरीब आदमी पुलिस द्वारा भी सताया जाता है। जबरदस्त आदमी पुलिस और रिश्वत के बल पर गरीब को तंग करते हैं। इसलिये मुझे यह कहना है कि जो ८० फी सदी लोग हैं, जिनकी माली हालत बहुत खराब है, उनके बारे में एक भी कदम उठाने की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं कही गयी है। जिस क्षेत्र से हम चुन कर आये हैं वहां के लोगों की दशा सुधारने के लिये ईमानदारी से सोचने की बात है। यही मुझे कहना है। जय हिन्द।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाब स्पीकर साहब, मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं जनाब राज्यपाल महोदय को उनके संबोधन पर धन्यवाद देने के लिये, जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये। इसके पहले कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूं मैं समझती हूं मौका बहुत अच्छा है कि मैं आप को मुबारकबाद दूं। जिस तरीके से कि आप इस सदन के स्पीकर चुने गये हैं यह एक इतना सेहतमन्द कन्वेन्शन कायम किया गया है जिसके लिये कि मैं अपने नेता कांग्रेस पार्टी को और नेता विरोधी दल तथा और पार्टियों के नेताओं को मुबारकबाद देती हूं और मैं समझती हूं कि हमारी पार्लियामेंटरी जम्हूरियत इसी तरीके से कायम हो सकती है जबकि हम सेहतमन्द उसूल अपने यहां कायम करें और ऐसे कन्वेन्शन्स कायम करें जिनसे हम पार्लियामेंटरी जम्हूरियत को ताकत दें और उसकी जड़ें मजबूत हों। जनाबवाला, होना तो यह चाहिये कि इसका अगला कदम यह हो कि अगले चुनाव में स्पीकर का कोई पार्टी विरोध न करे। मैं उम्मीद करती हूं कि इस तरह से एक सेहतमन्द उसूल कायम होगा और आगे चल कर हम अपनी जम्हूरियत को ताकतवर बना सकेंगे जो कि अभी बहुत कमजोर है। इसके बाद मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देती हूं कि दो साल विल्डरनेस में रहने के बाद इस मध्यावधि चुनाव में फिर कामयाब हुई और यहां सरकार बनायी। कोई भी पार्टी होती मगर सबको, इधर के बैठने वालों को भी और उधर के बैठने वालों को भी इस बात का पूरे तरीके से तजुरबा हो गया है कि हमारे देश और प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार ही चलनी चाहिये। यह जो हमारे प्रदेश में प्रेसीडेंट रूल रहा यह किसी राजनीतिक पार्टी के लिये फायदेमन्द चीज नहीं है बल्कि इसने हमारे प्रदेश को पीछे डाल दिया है। इसलिये मैं उम्मीद करती हूं कि अब आगे चल कर कोई ऐसी फिजा पैदा नहीं होगी जिसकी वजह से ऐसे हालात, ऐसी कंडीशनन्स का फिर से सामना करना पड़े।

जनाबेवाला, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि नेता विरोधीदल ने जो कुछ अपनी तकरीर में फरमाया, मेरे दिल में उनके लिये बेइंतिहा इज्जत है और मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूं और वह भी यह समझते हैं कि मैं उनकी हर तरीके से इज्जत करती हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी में वे बहुत अरसे तक रहे हैं और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रहे हैं इसलिये वे सभी बातों से बखूबी वाकिफ हैं और मेरे दिल में उनके लिये बहुत इज्जत है। लेकिन उस दिन जो उन्होंने अपनी तकरीर फरमाई वह नेता विरोधी दल की हैसियत से दुरुस्त थी और होनी भी चाहिये थी। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहती हूं कि जब खुद उनको मौका मिला था और वह इस सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे थे और उन्होंने इस सूबे की हुकूमत को अपने हाथों में लिया था, जिन हालातों में रहे और जैसे भी रहे, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूं, वह एक हिस्ट्री है जो हमारे सामने है। चन्द दिनों तक उनकी मिनिस्ट्री रही और इसे कोई नहीं कह सकता कि कैसे उनकी मिनिस्ट्री बनी और कैसे वह चली।

जनाबेवाला उन्होंने फरमाया कि कांग्रेस पार्टी ने मिनिस्ट्री में आते ही बहुत से आफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया। किसी आफिसर का ट्रांसफर उसी हालत में किया जाता है जब उसके खिलाफ कोई बात मालूम है। जब माननीय चौधरी साहब कांग्रेस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे और जब वे किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनते थे तो सबसे पहला काम, अगर मैं गलती नहीं करती हूं तो वे यह करते थे कि बहुत से आफिसर्स का ट्रान्सफर किया करते थे। इसलिये कि उनके दिल और दिमाग में एक खौफ पैदा हो जाय कि मिनिस्टर होने पर वे जो चाहे कर सकते हैं और टैरोराइज कर सकते हैं। अगर वे मिनिस्टर की हैसियत से आफिसर्स के ट्रांसफर कर सकते थे तो.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्या से यह जानना चाहूंगा कि कौन से अफसर का ट्रांस्फर मैंने टैरोराइज करने के लिये किया ?

श्रीमती कुदसिया बेगम—

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि माननीय चौधरी साहब का हाफ्ना इतना कम नहीं है कि जिस आफिसर को वह समझते थे कि यह ठीक नहीं है उनका ट्रांसफर कर देते थे और आफिसर्स टैरोराइज होते थे। कोई अफसर अगर ठीक काम नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर किया जाता है। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया या चीफ मिनिस्टर ने ऐसा किया तो क्या गलत काम किया। उनको यकीन हो गया था कि उन आफिसर्स ने काम ठीक नहीं किया। इसलिये उनके ट्रांसफर किये गये।

जनाबेवाला, मैं आपके जरिए अर्ज करना चाहती हूं कि नेता विरोधी दल ने फरमाया कि गवर्नर की स्पीच में कोई खास बात नहीं है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहती हूं कि प्रेसीडेंट रूल जिस तरह से काम चला उसको देखते हुए जब नई मिनिस्ट्री ने चार्ज लिया तो उसके लिये यह मुमकिन नहीं था कि बहुत ज्यादा तशरीह के साथ आयन्दा की पालिसीज को रख सकती। इसलिये उन्होंने वायस मीडिया देखकर इस तरह की चीज रखी है जिससे हमारा सूबा आगे बढ़ सके। जैसे जैसे मिनिस्ट्री चलेगी उसके तजुर्बे और पालिसीज सामने आयेंगी और उन पालिसीज पर अमल किया जायगा।

जनाबेवाला, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि जब चौधरी साहब इस सूबे के चीफ मिनिस्टर थे तो बड़े दुख के साथ हमें यह बात याद आती है कि सबसे पहला काम उनका औरतों को नौकरी से हटाने का था।

उस सिलसिले में जो कुछ बातें की गयीं, जिस तरह से उनको पुलिस के जरिये मारा गया उन पर लाठियां चलायी गयीं, जो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, यह ऐसी चीज नहीं है, जिसको चौधरी साहब छोटा समझकर अहमियत न दें।

श्री चरण सिंह, श्री—

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं बेगम साहिबा से कि महिलाओं से यह आशा की जाती है कि उनका हृदय सरल होगा। तो यह गलत सलत बातें कहने के लिये औरों के लिये छोड़ दीजिये।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

वह छोटी सी बात नहीं थी हम सब जितने पिछड़े हुये हैं उसमें औरतों के लिये जितना किया जा सके, उनको आगे बढ़ाने के लिये करना चाहिये। हमारी सामाजिक हालत जो है उसमें औरतें कितनी पिछड़ी हुयी हैं, उसमें अगर वह कुछ भी काम करती थीं, सौ फीसदी काम नहीं कर सकती थीं, तो भी ग्राम सेविकायें और गृह लक्ष्मियां गांवों में कुछ काम जरूर करती थीं। जिस समय चौधरी साहब ने उनको अलग कर दिया, गांवों में कोई जरिया नहीं रहा औरतों को ऊपर उठाने का, जिस से उनकी सामाजिक या शैक्षिक हालत को बढ़ाने के लिये गांवों में कोई कोशिश हो सकती। मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब इस पर गौर फरमायेंगे और आइन्दा इस तरफ से अगर कोई बात हो जिसमें औरतों के लिये कुछ किया जाय तो बहैसियत नेता विरोधी दल के उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का चौधरी साहब ने जिक्र किया। मैं यह अर्ज करूंगी कि स्टैटिस्टिक्स हमारे मुल्क और प्रदेश में कभी सही मिल नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स का ऐसा अहम मसला है कि वह अगर अच्छी तरह से छानबीन से न बनायी जायं तो सही आदादोशुमार नहीं मिल सकते। जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिये हैं वह सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। लेकिन पूरे तौर से यह ऐतबार नहीं किया जा सकता कि वह पूरी तौर से सही हैं। हमारे यहां बेरोजगारी, गरीबी बढती चली जा रही है। बेरोजगारी के कई स्टेजेज हैं। और मुल्कों में जिस तरह से अनएम्पलायमेंट को देखा जाता है

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

वह यह कि किसी तरह से अनएम्पलायमेंट न हो। हमारे मुल्क में वह नहीं है। हमारे यहां उसके कई तरीके हैं। कुछ नौकरियां हैं जो एम्पलायमेंट में नहीं आती हैं। इसलिये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना है। इसमें कोई शक नहीं कि व्हाइट कालर जाब्स में अनइम्पलायमेंट होता चला जा रहा है और इंजीनियर्स का महकमा बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है। लेकिन मुझे यह कहना है जैसा गवर्नर साहब ने अपनी तकरीर में इसका इशारा भी किया है कि अगर वह छोटी-छोटी इंडस्ट्रियल एस्टेटस की यूनिट्स बना सकें और उसके जरिये अपनी तालीम और कैपिटल से इंडस्ट्री को बढा सकें तो मैं समझती हूं कि हमारे प्रदेश को ज्यादा तकवियत पहुंचेगी और अनइम्पलायमेंट की प्राब्लम भी दूर हो जायगी। जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो कहा गया था कि अस्पतालों में डाक्टरों को बाहर से बुलाकर रखेंगे। जहां तक मुझे याद है चार सौ डाक्टरों के लिये कहा गया था कि बाहर से आने वाले हैं। हमने एक जगह भी कहीं नहीं देखा, चार सौ डाक्टरों में कितने आये हैं कहां उनका तकर्रुर हुआ है, बहुत सी बातें कहने की होती हैं लेकिन जिस वक्त करने का वक्त आता है वह नहीं हो पातीं। मुझे यह उम्मीद थी कि जनाब चौधरी साहब ने जब अपनी तकरीर की थी तो उसमें यह भी कहेंगे कि उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्ट्री के जमाने में क्या-क्या किया और उससे क्या क्या हासिल हुआ। हमें यह नहीं देखना है कि कोई इधर बैठा है या उधर बैठा है या कोई क्या कहता है, हमें तो यह देखना है कि हमारा प्रदेश जो है वह आगे जा रहा है या पीछे। इसलिये इन दो सालों में हमारा प्रदेश जितना पीछे चला गया है उस पर हमें गौर करना है। चौधरी साहब को जो मौका मिला था उस जमाने में उन्होंने क्या किया, प्रदेश को आगे ले जाने के लिये क्या काम किया, उनसे यह मालूम होता तो बहुत अच्छा हुआ होता। उन्होंने देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिये तथा दूसरी तकलीफों के लिये क्या किया।

मैं जनाबेवाला डिस्प्लिन की बात का जिक्र आपके सामने करना चाहती हूं। चौधरी साहब ने भी उसका बहुत जोरों में अपने तकरीर में जिक्र किया था। मैं समझती हूं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो डिस्प्लिन न चाहता हो। सभी चाहते हैं कि हमारे सभी तरफ डिस्प्लिन कायम रहे चाहे वह हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो सभी में इसका होना जरूरी है। चौधरी साहब के जमाने में कितनी डिस्प्लिन रही, इस पर वह स्वयं गौर करें। मैं इसके आगे नहीं पूछूंगी। उनके यहां डिस्प्लिन की क्या हालत थी, यह सबको आज पता है। जब ऊपर के लोग ही डिस्प्लिन पर न रहें तो दूसरे लोग नीचे तबके के लोगों से कैसे उस चीज की उम्मीद की जा सकती है। इस से वह बुरा सबक ही लेंगे।

जनाबेवाला, मैं उसके बाद यह अर्ज करूंगी कि पब्लिक मेन इंक्वायरी बिल का चौधरी साहब ने जिक्र किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के जमाने में उसे कैबिनेट से क्यों नहीं पास कराया। कैबिनेट से मंजूर होता तो आगे चलता उसे फिर कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने खुद वैसा नहीं किया और अब दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं। प्रेसीडेन्ट के आर्डर से उन्होंने वह चीज की थी, लेकिन उसके आगे तक कायम रखने के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रेसीडेन्ट रूल में ऐसी कोई भी चीज करना ठीक नहीं था। इसलिये मैं अर्ज करना चाहती हूं कि अगर चौधरी साहब जिनकी जाती ईमानदारी के मुताबिक किसी को कोई शक नहीं हो सकता, उनका इस बारे में इतना रुझान था तो उनको चाहिये था कि वह उसको सबसे पहले अपनी कैबिनेट से पास कराते।

करप्शन के मुताल्लिक भी चौधरी साहब ने जिक्र किया। करप्शन के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह बहुत बुरी चीज है और यहां पर काफी करप्शन है। इसके लिये हमें भी दुःख है कि करप्शन हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उसके लिये क्या कदम उठाये जायें, इसको सोचना है। चौधरी साहब ने उसको दूर करने के लिये क्या किया था? मैं कहना चाहती हूं कि जनसंघ के नेता भी इस वक्त यहां बैठे हुये हैं, चौधरी साहब ने क्या उस वक्त किया था जब उनकी मिनिस्ट्री थी और उसमें जनसंघ के मंत्रियों ने एजूकेशन कमेटीज में आर० एस०

एस० के मेन को भरा था और तमाम मोहकमों में अपने आदमियों को भरा था। यह भी करप्शन है और बहुत बुरा करप्शन है कि अपने यहां के आदमियों को गलत तरीके से ऐसे खास स्थानों पर रखा जाए।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

यह असत्य है। कोई भी आर० एस० एस० का आदमी किसी भी कमेटी में नहीं लिया गया है।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

मैं, जोर देकर कहती हूं कि ऐजूकेशन में ही नहीं, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट आदि में भी अपने आ मियों को भरा गया है। जिस तरह से भरा गया है यह करप्शन है या नहीं, यह मैं आप से पूछना चाहती हूं। और उनसे पूछना चाहती हूं जो सारी सीटें लड़कर आये हैं, लाखों रुपया खर्च करके आये हैं। उनके पास यह लाखों रुपया चुनाव में खर्च करने के लिये कहां से आया।

कुछ स्वर---

लाखों, करोड़ों रुपया तो आपने खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष---

कोई चीज आपके खिलाफ कही जाती है तो आप सब खड़े हो जाते हैं, यह अच्छा तरीका नहीं है। आप सुनिये और जब आपका समय आये तो उसका जवाब दीजियेगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि पूंजीपतियों से रुपया लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस सबसे खुला रुपया लेती है। लेकिन उन्होंने किससे लिया। पूंजीपति भी लखपति करोड़पति हैं वह कोई महा करोड़पति नहीं हैं कि वह कांग्रेस को भी पैसा दें और जो ५-६ दल सामने बैठे हैं, उनको भी पैसा दें, हर पार्टी को पैसा दें। यह पैसा बड़े गलत तरीके से आपके पास आया है। यहां पर चुनाव हुये हैं, मैं भी चुनाव लड़कर आयी हूं कि किस तरीके से अपोजिट पार्टीज ने रुपया खर्च किया है और इसलिये मैं चौधरी साहब से और मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि वह कौनसा तरीका था, जिनसे लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करके आपने एलेक्शंस लड़ाये।

राज्यपाल महोदय ने जो अपने एड्रेस में सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का जिक्र किया है, उससे मुझे खुशी हुई है कि हमारी मिनिस्ट्री यह सब करने जा रही है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है, हमारे गांवों की हालत इतनी खराब है कि जबतक वह दुरुस्त नहीं होगी तबतक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये सब से बड़ी जरूरत यह है कि जो कमी सड़कों की है वह पूरी हो क्योंकि हमारे काश्तकार अपनी पैदावार एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। वे शहरों तक पहुंच नहीं सकते। इसलिये मैं अर्ज करूंगी कि इर्रीगेशन में आसानियां पैदा हो जायं और सड़कें बनाई जायं, खासकर, बिलग्राम-संडीला-हरदोई की सड़क दुरुस्त करवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया और यह सब आप बजट के वक्त कह लीजियेगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

अपोजीशन और दूसरी पार्टीज को जब वे इतना-इतना एतराज करते हैं तो उन्हें भी अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिये। उनको मौका मिला था, लोग कांग्रेस से तंग आ गये थे और इसलिये उन पार्टियों को भी मौका मिला था कि उनकी वजारत बन जाय और वह बनी थी, लेकिन उन्होंने जो-जो वादे किये थे .....

श्री अध्यक्ष--

बेगम साहिबा, आपका समय समाप्त हो गया है, आप अब बैठ जायं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

उन्होंने जो-जो वादे किये थे, जनता के साथ कि अगर हमको रिटर्न करोगे तो यह यह करेंगे और अनएकनामिक होल्डिंग्ज पर से लगान माफ किया जायगा और यह किया जायगा और वह किया जायगा, लेकिन वह सब क्या हुआ और तमाम के तमाम वादे खत्म । अपोजीशन हील दाइ सेल्फ ।

श्री अध्यक्ष--

आप का वक्त खत्म, आप अब बैठ जायं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

इन अल्फाज के साथ में आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिये जो विरोधी दल के नेता जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस वजह से यह और भी खेद की बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई खास झलक नहीं मिलती । कृषि के बारे में, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो योजनायें अब तक चलायी गयी हैं, उनसे सफलता नहीं मिल रही है ।

[इस समय १ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष उठकर चले गये और अधिष्ठाता श्री नरेन्द्र सिंह (पिथौरागढ़) पीठासीन हुए ।]

खाद, बीज, पानी आदि की व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी इस अभिभाषण में उल्लेख है वह शून्य-सा है । खेती के लिये पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है । ट्यूबवेल्स से पानी मिलता नहीं, वह ट्यूबवेल लगवा नहीं सकता । पंम्पिग सेट्स और दूसरे छोटी-छोटी सिंचाई साधनों के लिये जो अनुदान दिये जा रहे थे राज्य सरकार की तरफ से वह भी बन्द कर दिये गये हैं । हमारा जिला बहुत पिछड़ा जिला है । हमारे जिले में आज तक कोई ऐसी योजना नहीं चालू की गयी है । पहले जो सिंचाई के साधनों में ५० प्रतिशत की छूट दी जाती थी वह किसानों को मिलनी चाहिये और दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिये । सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं कि लाखों खेतीहर मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि देहात में उनको पेट भर खाना नहीं मिलता । लेकिन आज उनके लिये सरकार के अभिभाषण में कोई बात नहीं लिखी गयी है । मैं एक बात और आप से कहना चाहता हूं कि आज बिड़ला जैसे उद्योगपतियों पर टैक्स का तमाम पैसा बाकी है । कानपुर की तमाम फर्मों पर करोड़ों रुपया सरकार का बाकी है । लेकिन सरकार आज उनके ऊपर अंगुली नहीं उठा सकती है क्योंकि वह उनसे दबी हुई है । कांग्रेस उनके पैसे पर चुनाव जीतकर यहां आती है । मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह टैक्स का बकाया जो पूंजीपतियों के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको वसूल होना चाहिये । यदि कहीं पर किसान के ऊपर लगान बाकी रह जाता है तो उसको घसीट कर तहसील में लाकर हवालात में बन्द कर दिया जाता है और उसको परेशान किया जाता है । इस तरह से उसके लिये तमाम परेशानी पैदा की जाती है । पूंजीपतियों ने तमाम मिलों को बन्द कर रखा है, जिसकी वजह से बेचारे मजदूर तबाह और बरबाद हो रहे हैं । उन मजदूरों के लिये इस सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है ।

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ३२ जिले ऐसे हैं जहां पर अधिक गन्ना पैदा होता है । उनके ४१ हजार गांवों में २२ लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी दशा इसकी वजह से बहुत शोचनीय हो गई है । खेतों के अन्दर उनका गन्ना आज भी खड़ा हुआ है ।

आज किसानों के गन्ने के साथ मिल मालिक और यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसानों के गन्ने की जो दुर्दशा हो रही है उस से वे किसान बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की यह दशा हो रही है कि कुल गन्ने का ३७ प्रतिशत भी अभी तक नहीं बिक सका है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके गन्ने की बिकने की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये। १९६६–६७ में गन्ने का भाव जो घोषित किया गया था, उस समय खाद सस्ता मिला और बीज भी उनको सस्ता मिला था और पानी भी उस समय उनको सस्ते रेट पर मिला था। उस समय गन्ने का दाम १२ रुपये ७३ पैसे से ले कर १८ रु० क्विन्टल तक किसानों को मिला। लेकिन जब किसानों ने १५ रुपये से लेकर १८ रुपये क्विन्टल तक बीज का दाम दिया, उस समय गन्ने का दाम उनको १० रुपये मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गन्ने का दाम पच्छिमी जिलों में घटा है। वहां पर किसान तड़प रहे हैं और उनका गन्ना खेतों में खड़ा है। उन किसानों की दशा शोचनीय हो गई है। उनके गन्नों की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण उनकी पर्ची की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। बभनान गन्ना समिति की जहां पर भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री केशवदेव मालवीय पाताल की गंगा को धरातल पर उतार कर लाना चाहते थे वहां की यूनियन को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कर्जा १६ लाख दिला कर वहां की यूनियन को दिवालिये की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर १ लाख ६२ हजार यूनियन को प्रति वर्ष घाटा होता है। आज उस यूनियन की जो दशा हो गई है उस पर बहुत लिखापढ़ी हुई है। वहां के किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन न[illegible] किया ज[illegible]सकता है। केशवदेव मालवीय के कर्मों के कारण उस बोर्ड को भंग हो[illegible]ड़ा। सन् ६३ से वहां के बोर्ड को भंग किया गया और आज भी सन् १९६३ से वहां राष्ट्रपति शासन है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में साल भर तक राष्ट्रपति शासन था। जहां पर गन्ना किसानों की दुर्दशा है हां गन्ना ग्राम सेवकों की भी वही दुर्दशा हो रही है। वे गांवों में जाते हैं, छोटी तनख्वाह के हैं, उनकी भी हालत बड़ी शोचनीय है। वे गावों में जाकर सारे गन्ना किसानों का काम करते हैं। उनकी कुछ मांगें हैं जिन मांगों को लेकर पिछले सन् १९६६ में एक आन्दोलन हुआ।

एक सदस्य--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कोई मंत्री उपस्थित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

एक मंत्री मौजूद हैं, वे पीछे बैठ गये थे।

श्री सुखपाल पांडेय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ना ग्राम सेवकों में से कुछ लोगों ने आज से भूख हड़ताल फिर शुरू कर दी है। बार-बार आन्दोलन करने के बाद ही उनकी मांगें मानी जायं तो यह उचित नहीं है। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा ३९ (बी) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि समान काम करने वालों को समान वेतन मिलना चाहिये। मैं आप से कह देना चाहता हूं कि ऐसी दशा में ऐसे लोगों की उपेक्षा करना उचित नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस प्रदेश में फैले हुये भ्रष्टाचार का किंचित मात्र भी जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर संविद और राष्ट्रपति शासन काल तक अधिकारीगण किसानों को लूट कर माल माल हो गये हैं इसकी कुछ मिसालें मैं आपके द्वारा सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। बस्ती जिले की हरैंया तहसील बहुत ही पिछड़ी हुई तहसील है जहां के भ्रष्ट अधिकारियों का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं और जिसके बहुत से प्रमाण मेरे सामने हैं। कानूनगो और लेखपाल ने दो-दो वर्ष तक खसरा रख कर फार्म २४ को खसरा में नहीं चढ़ाया है। तहसील के अधिकारी तमाम जिले के गुंडे और बदमाशों को मिला कर गरीबों के खेतों को दूसरों के नाम दर्ज करवा देते हैं और गरीब बेचारा तड़पता है, परेशान होता है। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता

[श्री सुखपाल पांडेय—]

हूं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। वर्ग ९ के नाम पर पैसे लेते हैं, इसकी भी जांच कराई जाय। ये प्रमाण हैं। और प्रमाण में कोई त्रुटि हो तो अध्यक्ष महोदय जिस ढंग से चाहें उसकी जांच करावें और जांच की कार्यवाही में मैं प्रमाण देने के लिये तैयार हूं।

२६ सितम्बर, १९६८ को सिकन्दरपुर तालाब का बोली द्वारा नीलाम किया गया। एक बोली ८,००० रु० की और दूसरी बोली ८,१०० रुपये की आयी। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ८,१०० रुपये की बोली बोलने वाले श्री राम लखन को तालाब छोड़ दिया गया लेकिन कुछ समय के बाद तहसील के सब अधिकारियों ने मिल कर ८,१०० रुपये के स्थान पर १,८०० रुपया कर दिया और बाकी सब रुपये सारे अधिकारी और गांव समाज के पदाधिकारी गण मिल कर खा गये। २८ सितम्बर, १९६८ को श्री अम्बिका प्रसाद ने अधिकारियों के सामने प्रार्थना-पत्र दिया कि अगर नीलाम की बोली का चौथाई रुपया न जमा हुआ तो मुझसे वह रुपया जमा करवा लिया जाय। लेकिन उस दरख्वास्त को तहसील के अधिकारियों ने दबा लिया। १३ सितम्बर, १९६८ को जिलाधीश, बस्ती जब हर्रैया में मुआयने पर आये तो उनसे लोगों ने शिकायत की। उन्होंने शिकायत को मानकर उस पर आदेश दिया कि इसकी जांच होनी चाहिये और वह नीलाम रद्द होना चाहिये। फिर भी हर्रैया तहसील के अधिकारियों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। बल्कि उस पर उनकी वही रफ्तार जारी रही। श्री रामसिलन सिंह एम०एल०सी० ने जिलाधीश को एक पत्र लिखा कि फिर से कार्यवाही की जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष भी इसी तरीके से वहां के तहसीलदार ने उस ताल को ४ हजार के स्थान पर ३ हजार रुपये पर नीलाम किया था और फाइल से पता लग जायगा कि किस तरीके से गांव समाज के सारे धनों की लूट अधिकारीगण कर रहे हैं। मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाना चाहता हूं कि २६ तारीख को जब पुनः नीलाम की बोली हुई, फिर उन्हीं अधिकारियों को ने दो जगह बनाकर नीलाम किया और नीलाम में ३,००० के स्थान पर १,७०० रुपया पर नीलाम हुआ। उसी दिन कुछ गुंडों ने बोली बोलने वालों पर देशी पिस्टल लेकर मारने के लिये हमला किया और गांव के लोग जुटे तो उस पिस्टल को छीना और हाकिम परगने को रात के १० बजे जाकर जमा किया और उसमें मुकदमा हुआ।

आपके प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय और शिक्षक कर्मचारियों की संख्या लिपिक वर्ग ५,४४६ हैं और चतुर्थ श्रेणी के ३,६४५ हैं, लेकिन आज सन् ४७ से लेकर इनके बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका दो मिनट समय और है।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं उसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस बाढ़ पीड़ित हमारे जिले में बहुत सी नदियां हैं—राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा, घाघरा कुआनो, मनोवर राप्ती इन दियों से उसका बहुत-सा भाग पीड़ित रहता है। घाघरा नदी के कटाव से हमारे निर्वाचन क्षेत्र के ६९० गांवों में से लगभग २५० गांव बाढ़ पीड़ित रहते हैं और घाघरा के कटान से पीड़ित रहते हैं। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में सरजू नदी के किनारे बांध लगाकर बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की जाय। मनोर नदी में जिस तरीके से बाढ़ आती है, उससे किसान परेशान रहता है, फसल मारी जाती है, लोग भुखमरी के शिकार रहते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर फरजी बैनामे होते हैं, दूसरे आदमियों को खड़ा करके दूसरे गरीबों की जमीन के बयनामे कर दिये जाते हैं। वह लड़ाई-भिड़ाई नहीं कर सकते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। इस मामले में राज्य सरकार को सी० आई० डी० से जांच कराने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने का समय दिया है। अब तक ३ दिन के दरमियान मुझे अभिभाषण पर बहुत-सी बातें सुनने को मिली हैं। आज इस गांधी शताब्दी के अवसर पर मुझे यह कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सरकार ने हमारे उत्तराखण्ड के तीन जिलों में मद्य-निषेध की व्यवस्था लागू की है, यह उनको गौरव प्राप्त हुआ है। वह तिब्बत से मिले हुए हैं और वहां के लोगों की कई वर्षों से इच्छा थी कि वहां शराबबन्दी कर दी जाय। मैं राज्य सरकार का बड़ा आभारी हूं कि उसने सारी परिस्थितियों को देखने की कोशिश की है। अधिष्ठाता महोदय, जब अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने हमारे यहां के लिये एक डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऐक्ट लागू किया था क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थिति यहां से बिल्कुल भिन्न होती है। अंग्रेजों के जाने के बाद वह ऐक्ट समाप्त हो गया। हमारे यहां के इलाके तिब्बत से मिले हुए हैं। वहां की आवयकतायें यहां से भिन्न हैं। जब संविद की सरकार बनी थी तो उसने हमारे यहां की ओर कतई ध्यान नहीं दिया। वहां की शिक्षा की ओर, सड़कों की ओर, विकास की ओर, संविद सरकार ने किसी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न वहां की समस्याओं को समझने की चेष्टा की। उन्होंने एक विकास परिषद् बनायी, परन्तु उसमें वही सदस्य बनाये गये जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया था, जो चुनाव में हार गये थे। अधिष्ठाता महोदय, ८ अक्तूबर, १९६७ को माननीय चरणसिंह जी ने, जो इस समय विरोधी दल के नेता हैं, पहाड़ों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इस प्रदेश में करों में अंशदान पहाड़ों का प्रति व्यक्ति अधिक है। उन्होंने बताया था कि बिक्री-कर में जब कि प्रति व्यक्ति यहां पर १ रुपया आता है तो वहां पर १.१६ रुपया आता है। मनोरंजन कर में जब कि यहां १ रुपया आता है तो वहां १.४४ रुपया आता है। आबकारी कर में यहां जब कि एक रुपया आता है वहां पर १.८९ आता है। तो जब पहाड़ के लोगों का अंशदान करों में ज्यादा आता है, तो कैसे कहा जा सकता है कि वहां के लोग यहां से कम खुशहाल हैं। किन्तु स्थिति यही है कि पहाड़ के लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं। न वहां पर यातायात के साधन हैं, न बच्चों की पढ़ाई का ही उचित प्रबन्ध है, न चिकित्सा आदि की ही सुविधायें हैं।

राज्य सरकार ने वहां के लिये जो एक उच्च शक्ति सम्पन्न पर्वतीय विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं। उससे हमारे यहां की बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। भोटियों के बारे में जो सबसे पहली बार राज्य सरकार ने सुविधायें दी हैं उसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज उनके पास रहने को मकान तक नहीं है। उनकी हालत बहुत दयनीय है। उनको अनुसूचित जाति में जोड़ कर उनके साथ सरकार ने न्याय किया है, मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। अभी हाल ही में महामहिम राज्यपाल ने जो एक बुकलेट छपवाई थी उसमें लिखा था कि यदि उत्तराखण्ड के तीन जिलों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जायगा तो वहां का जन-जीवन दूभर हो जायगा। मुझे आशा है सरकार वहां पर पर्याप्त ध्यान देगी। मुझे यह गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज पिथौरागढ़ के करीब ५६ हजार सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं। उन सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई आदि की सुविधायें होना चाहिए। उनकी विधवाओं के गुजारे के लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये। आज वहां के नागरिक उत्तरी सीमाओं पर, नेफा और लद्दाख में डटे हुए देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी समस्याओं के हल के लिये कोई उपाय ढूंढ़ा जाना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपालदत्त—]

अधिष्ठाता महोदय, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां नैतिक बल की कोई कमी नहीं है। हमारे पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी तथा चमोली के लोग अधिकतर मिलिटरी में हैं। इन बहादुरों से और उनके मारल से हमारा देश सदा उत्साही रहता है, वह देश की रक्षा करने को तैयार हैं परन्तु यहां के लोगों को भी जितने यहां पर विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं, उन्हें भी सोचना चाहिये, विचारना चाहिये कि हमारे जो उत्तराखण्ड के लोग हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी समस्याओं के समाधान में आपका भी योग होना चाहिये। मैं इतना ही कह कर, अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं।

कुंवर देवेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिये गये संशोधनों के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल ने बहुत ऊंचे आदर्श और बहुत अच्छा अभिभाषण हम लोगों के सामने रखा लेकिन देखना यह है कि वह अभिभाषण और वायदे जो उन्होंने अपने अभिभाषण में रखे हैं वह कहां तक पूरे होते हैं। कहां तक किसानों को और इस खेतिहर प्रदेश को उन वायदों से फायदा पहुंचता है। शुरू में ही उन्होंने कृषि विकास को सर्वप्रथम स्थान दिया और इसके लिये अच्छे बीज, सिंचाई, उर्वरक, नाशिकीट नियंत्रण को ठीक करने का और इन्हीं सारे साधनों को ऊंचा उठाने का प्रस्ताव रक्खा। लेकिन इसके साथ-साथ में उनसे पूछना चाहूंगा और खासतौर से अपने इधर बैठने वाले साथियों से और ट्रेजरी बेंचेज वालों से पूछना चाहूंगा कि सारे ये जितने भी विकास के साधन हैं, इनको एक किसान कैसे जुटा सकता है जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा। जब तक पैसा मिलने का सही साधन नहीं होगा तब तक जितने भी साधन हों वह इनका उपयोग में नहीं ला सकता है। इन को पाने की क्षमता उसमें नहीं होती। इसके लिये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पैसा लेने के लिये किसान जब आपके सहकारी बैंकों में या जो उसको पैसा देने के इन्स्टीट्यूशन्स सरकार ने बनाये हैं, उनमें उसको सौ रुपये लेने के लिये बीस या पच्चीस बांटने पड़ते हैं, जब तक वह बीस या पच्चीस रुपये नहीं बांटता तब तक सौ रुपया भी नहीं प्राप्त होता। हमें चाहिये सब से पहले कि इस चीज का कोई तरीका निकालें कि किसानों के जो पैसा मिलने के साधन हैं वे ठीक बन सकें। इसके साथ-साथ जो हमारे सहकारी बैंक देते हैं वह उसकी टोटल बारोइंग का सवा प्रन्द्रह परसेंट भी पूरा नहीं कर पाते। बाकी पैसा पूरा करने के लिये वह उन्हीं पुराने हथकण्डों में फंस जाता है और जो ऊंचे दर से इन्टरेस्ट लेते हैं उनके फन्दे में आ जाते हैं। इसके साथ-साथ जो किसान पैदा करता है, उसके अनाज और खेती की उपज आदि और जो आवश्यक वस्तुयें वह कारखानों की बनी हुई लाता है, उनके मूल्यों में कोई पैरिटी नहीं है। अनाज सस्ता बिकता है लेकिन बाकी सारा सामान शहर में महंगा खरीदता है। गन्ने का भाव दिन प्रतिदिन गिरता है और चीनी का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जब तक इस तरह की पैरिटी और इस तरह का संतुलन हमारे इस समाज में नहीं होगा तब तक हमारे देश में गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जायगा और मिल मालिक दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जायगा। दूसरी चीज किसानों को ट्यूबवेल्स लगाने के बारे में है। जहां तक नजीबाबाद क्षेत्र का सवाल है हमारी गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो ट्यूबवेल्स ही लग पाये हैं। जो किसान अपने आप ट्यूबवेल्स लगाना चाहता है उसकी मदद नहीं की जाती है, उसको बिजली की सुविधा नहीं दी जाती है। बिजली की दर उद्योग और कारखानों को तो सस्ती दी जाती है और किसानों को महंगी दी जाती है जबकि किसानों को कम होनी चाहिये।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में समाज का हर अंग असंतुष्ट दिखायी पड़ता है। राज्य कर्मचारियों में अजीब असंतोष है। सरकार उनकी मांगों को बिलकुल भी सुनने को तैयार नहीं है और मांग न सही, लेकिन उनकी यह मांग कि उनका महंगाई-भत्ता केन्द्र के समान हो जाय, मान लेनी चाहिये। जब छोटे-छोटे प्रदेश उसको दे सकते हैं तो यह प्रदेश क्यों नहीं दे सकता। शिक्षकों की हालत भी ठीक नहीं है। राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कहा है कि हमारे

देश में शिक्षकों का बड़ा ऊंचा स्थान रहा है लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिये सत्याग्रह करना पड़ा। गिरफ्तार हुए और बेइज्जत हुए। हमें तो चाहिये था कि शिक्षकों द्वारा मांग रखे जाने से पूर्व ही उनकी मांगों को पूरा कर देते। आपने कोठारी कमीशन स्थापित किया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों की सारी सुविधायें दी जानी चाहिये थी। हमारे समाज का तीसरा वर्ग विद्यार्थियों का है। उनकी असुविधाओं के बारे में भी सरकार की ओर से कभी गौर नहीं किया गया। पता नहीं यह सरकार उनकी ताकत को क्यों नहीं समझती। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि फ्रांस की क्रांति में इन्हीं लोगों का हाथ था, डाक्टर सुकार्नो को इंडोनेशिया में हटाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। अगर आपने इन की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं है जब एक बहुत बड़ी क्रांति इसी वर्ग के द्वारा यहां भी लायी जायगी।

नजीबाबाद क्षेत्र में जंगलों के गांव बहुत ज्यादा है। वहां लोगों को बहुत असुविधायें हैं। नजीबाबाद शहर में आबादी के हिसाब से एक-डेढ़ यूनिट का अस्पताल हो सकता है लेकिन उसका वहां कोई आयोजन नहीं किया गया है। आशा है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अनुसार सरकार उस ओर ध्यान देगी। वहां जंगल के गांवों में पीने के लिये पानी की भी बहुत कमी है। खासकर लाल ढांग में चमरिया, कोड़िया में पानी का बहुत कष्ट है। वहां के कुंए जमीन से ८–१० फुट नीचे हैं जो बरसात में भर जाने के कारण, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता। आशा है इस ओर ध्यान दिया जायगा। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तो बहुत अच्छा है लेकिन वह ठीक प्रकार से कार्यान्वित हो और अपने क्षेत्र का जो कष्ट मैंने बताया है उसको दूर किया जाय।

श्रीमती बेगम ऐजाज रसूल ने चौधरी चरण सिंह जी की व्यक्तिगत आलोचना की, जब कि इस सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही थी। इस तरह से व्यक्तिगत रूप से कहना कि हमें बताया जाय कि वह किस रूप में आये, क्यों आये और वह कैसे मुख्य मंत्री बनेंगे मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस छोड़कर इसलिये आये कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था और जिस तरह कि कीचड़ से कमल पैदा होता है उसी तरह से वह कांग्रेसी कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की भांति खिले और जहां तक कांग्रेस छोड़ने की बात है उसकी अब जितने भी अच्छे नेता थे वे सभी छोड़ चुके हैं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ अच्छे नेता तो दुनिया ही छोड़ गये हैं जैसे हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे और जो जिन्दा हैं जैसे राजगोपालाचारी जी, अम्बेदकर आदि से लेकर अब चौधरी साहब तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। उर्दू के शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा :

"बुद्धू मियां भी हजरते गांधी के साथ हैं,
मुश्तए खाक है मगर आंधी के साथ हैं।"

कांग्रेस में सब जवाहर लाल और लाल बहादुर ही नहीं थे बल्कि कुछ ऐसे भी कूड़ा करकट और तिनके थे जो उस आजादी की आंधी के साथ उड़ रहे थे वही लोग आज की कांग्रेस में रह चुके हैं और बाकी जो अच्छे लोग थे वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कुछ लोग बी० के० डी० में, कुछ रिपब्लिकन्स में, कुछ स्वतंत्र पार्टी में चले गये हैं और कांग्रेस में धूल मिट्टी ही अब रह गई है और उस को जितनी जल्दी खत्म किया जाय प्रदेश के लिये सुखकारी होगा।

श्री गुप्तार सिंह (जिला राय बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो श्री गेंदा सिंह जी का धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। इसके बाद कुछ बातें मुझे अपने क्षेत्र की कहना है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जिले में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महान् विद्वान और हिन्दी के सुधारक पैदा हुए और उन्हीं के नाम से १९६७ के बजट में एक सड़क जो कि सराय बैरिहार खेड़ा से उनके गांव होती

[श्री गुप्तार सिंह—]

हुई ऊंवा गांव को जाती है और राय बरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर को जोड़ती है, बनाने का प्रस्ताव था, उसका सर्वे हो चुका था, बजट भी रखा गया था लेकिन संविद सरकार ने न मालूम क्यों उस पर कुठाराघात कर के उस क्षेत्र को इस सड़क को समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूं कि वह सड़क जो आचार्य महाबीर प्रसाद जी के नाम पर बनने जा रही थी और जिस का सर्वे हो चुका था उसको फिर बजट में शामिल किया जाय। इस तरह से उस सड़क को छोड़ कर आचार्य महाबीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मा को दुखित न किया जाय।

इसके बाद में अपने यहां की चकबन्दी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां चकबन्दी में जो आबादी के लिये जमीन छोड़ी गई है, वह अधिकतर बड़े आदमियों के घरों के पास जिनके बड़े मकान है, जिनका बीघों जमीन पर कब्जा है, जिनके मकान दस दस बिसवा पर बने हैं, उनके लिये मकान के पास ही जमीन अधिक छोड़ी हुई है। जिनके पास केवल एक झोपड़ी है उनक घर के पास बहुत कम जमीन छोड़ी गई है। जो छोड़ी भी गई है आबादी या खलिहान के लिये और वह छोड़ी हुई उस भूमि के एवज में छोड़ने वाले को अन्यत्र भूमि मिल गई है। किन्तु उसने उस भूमि पर भी कब्जा कर रखा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके रहने के लिये मकान नहीं है उस भूमि में जगह मिलना दुश्वार है और अभी आज से ही मुश्किल हो रही है। बड़े आदमियों के ही जानवर वहां पर बांधे जाने लगे हैं और उन्हीं की मकान और कोठियां व चरही बन रही हैं। अब हमारे पास क्या चारा है। किसी से कहें, कोई सुनता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आबादी व खलिहान की जो जमीन छोड़ी गयी है, और जिस पर उन लोगों का अधिकार है जिनका पहले था और जिन्होंने उसके एवज में जमीन ले ली है उनसे लेकर, १४५ द्वारा कुड़क करके उनको दिलाई जाय जिनके पास मकान की जगह की तंगी है जैसे हमारे हरिजन भाई। इसके अतिरिक्त जो चक रोड छोड़े गये हैं, उनमें भी अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। मैं चाहूंगा कि डी० एम० या अन्य किसी अधिकारी जैसे एस० ओ० सी० आदि से इसको छुड़वाने का प्रयत्न होना चाहिये।

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय आप कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

श्री गुप्तार सिंह—

कछार की जो पंचायती भूमि है उसको बड़े बड़े आदमियों ने अपने कब्जे में कर रखा है, वह जमीन भूमिहीनों को नहीं मिल रही है। यह उन्हें दी जानी चाहिये। जो व्यक्ति भूमिहीन हैं या जिनके पास जमीन कम है उनको इस प्रकार की पंचायत की कछार की भूमि दी जाय।

माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों के प्रति बहुत हमदर्दी जाहिर की गयी है, उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनके बारे में रह नहीं कहा गया है कि सिंचाई और फर्टिलाइजर के बढ़े हुए रेट को कम कर दिया गया है। इन दोनों चीजों के दाम तो बढ़ा दिये गये हैं परन्तु किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े हैं। मैं चाहूंगा कि सिंचाई की दरों और फर्टिलाइजर के दाम में कमी होनी चाहिये। विरोधी दलों की बनाई हुई संविद की सरकार ने भी अपने समय में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया हालांकि वे बार बार सिंचाई के रेट कम करने की बातें किया करते थे। वे कहा करते थे कि ट्यूबवेल्स को बिजली देने के रेट कम कर दिये जायेंगे, आधी छूट कर दी जायेगी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अतः मैं चाहता हूं कि ट्यूबवेलों व फर्टिलाइजर के रेट आधे कर दिये जायं। एक बात और देखी गयी है कि जिस इलाके में नहरें बनी हुई है, वहां पर बिजली की लाइनें ले जायी गयी हैं परन्तु जहां पर नहरों का प्रबन्ध नहीं है, जहां पर बिजली की लाइनें नहीं लगायी गयी हैं। मेरे विचार में प्राथमिकता उस स्थान को मिलनी चाहिये जहां पर नहरें नहीं है ताकि लोग अपने ट्यूबवेल्स बना सकें।

यह भी देखा गया है कि हमारे जो ग़रीब किसान हैं, उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। जब चीन से लड़ाई हुई तो किसी अधिकारी और न किसी कर्मचारी की तनख्वाह कम की गयी न मिनिस्टर की तनख्वाह कम हुई, न एम० एल० एज की तनख्वाह कम हुई, न किसी व्यापारी पर टैक्स लगा लेकिन किसान का लगान चीन की लड़ाई के बाद सवाया कर दिया गया। मालूम होता था कि चीन का हमला किसानों के ऊपर नहीं था। गल्ला सस्ता हो इसका बड़ा शोर है लेकिन किसानों के उपभोग की वस्तुयें भी सस्ती हों, इसके बारे में विपक्ष की ओर से कोई बात नहीं कही जा रही है। किसान का गल्ला सस्ता होना चाहिये लेकिन उसके उपभोग की जो वस्तुयें हैं उनके भी दाम घटने चाहिये। उसको कपड़ा खरीदना पड़ता है, दवाएं लेनी पड़ती है, और खेती के लिये नौकर रखने पड़ते हैं व औजार खरीदने पड़ते हैं। उसको आप क्या सुविधायें दे रहे हैं? कोई भी सुविधा आप उसे नहीं दे रहे हैं।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र खीरों से रालपुर तक की सड़क बननी चाहिये। कोआपरेटिव से किसानों को जो गल्ला मिलता है उनसे सवाया वसूल किया जाता है, यानी २५ रुपये सैकड़े का ब्याज पड़ता है जबकि पूंजीपतियों को ३ प्रतिशत से ५ प्रतिशत के भीतर ही ब्याज पर सरकारी ऋण दिया जाता है वह खत्म होना चाहिये और किसान को दिये गए सरकारी ऋण पर भी ३, ४ रुपये सैकड़ा ब्याज होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

नरेन्द्र सिंह भंडारी....

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)---

सबको समय मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

सबको ही समय मिलेगा।

श्री हबीब अहमद---

मैं तीन रोज से देख रहा हूं कि सभी पार्टीज के लोगों को मौका दिया जा रहा है लेकिन हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। हम भी कोई तमाशा देखने नहीं आये हैं, कुछ कहने आये हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आपने अभी जो शब्द कहे हैं, वे संसदीय नहीं है। आप अपना स्थान, ग्रहण करें। जहां तक स्पीकर की आई कैच करती हैं न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्था की जाती है।

श्री हबीब अहमद---

मैं कैसे समझूं कि न्याय हो रहा है?

श्री अधिष्ठाता---

४२६ सदस्य तो नहीं बोल सकते चाहे कितनी ही ईमानदारी की जाय।

श्री हबीब अहमद---

हर पार्टी का प्रतिनिधि तो बोल ही सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

जितनी पार्टीज हैं और उनके जितने प्रतिनिधि आये हैं उसी हिसाब से समय का वितरण किया जा रहा है।

श्री हबीब अहमद—

आप आगे मुझे मौका देते हैं तो दीजिये नहीं तो मैं बाहर चला जाऊं।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आपकी मर्जी पर है। वैसे हर पार्टी को समय दिया जा रहा है।

श्री हबीब अहमद—

इस समय तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद देने के लिये उस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मैं अपने को वैसे तो इस प्रस्ताव के साथ सम्बद्ध करना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से जिस पार्टी के हाथ में प्रदेश की बागडोर आई है वह पार्टी विगत २१ वर्षों से निरन्तर अपने समाजवादी लक्ष्य व ध्येय से दूर हटती जा रही है। स्थिति यह है कि अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे न केवल उधर के लोग स्वीकार करते हैं बल्कि इधर के लोग भी स्वीकार करते हैं। आवड़ी प्रस्ताव पास हुए वर्षों बीत गये, पर समाजवादी समाज की स्थापना होती कहीं दिखलाई नहीं देती। उस तरफ से एक माननीया सदस्या ने संविद सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं आपके द्वारा उन सदस्या महोदया से पूछना चाहता हूं कि आवड़ी के उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसके द्वारा कांग्रेस ने अपने आपको समाजवाद के लक्ष्य से संबद्ध किया था? आज हालत यह है कि सारी कांग्रेस और कांग्रेस हुकूमत हमेशा वही कार्य कर रही है जो इस देश के पूंजीपतियों को भायें। अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय गोपालदत्त ओझा के मुंह से उत्तराखण्ड का नाम सुना। राज्यपाल के अभिभाषण में भी उत्तराखण्ड का नाम है। लेकिन सच यह है कि उत्तराखण्ड समाप्त हो चुका है। जिन परिस्थितियों के कारण उत्तराखण्ड बना था वे परिस्थितियां आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। चीन से हमें आज भी खतरा है वह खतरा एक कम्युनिस्ट देश रूस भी महसूस कर रहा है। मेरे जिले में जो फौजी व्यवस्थायें आज हैं वे भी याद दिलाती हैं कि उस पार से खतरा मौजद है। दूसरी स्थिति जिसके कारण उखराखन्ड बना था वह थी भारत–तिब्बत सीमा-क्षेत्र का पिछड़ापन। उत्तराखण्ड इस उद्देश्य से बना था कि उस भू-भाग का त्वरित विकास हो। लेकिन सन् १९६० से आजतक करोड़ों रुपये खर्च होने पर भी उस भू-खण्ड में रहने वाले लोगों की स्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वहां अन्य सरकारी कर्मचारियों को जो विशेष वेतन और भत्ता दिया जाता है वह आज भी वहां के अन्तरिम जिला परिषद के अध्यापकों को नहीं दिया जाता। आज भी वह विशेष वेतन और भत्ता वहां के पंचायत राज मंत्रियों और अन्य निम्नवेतन भोगी कर्मचारियों को नहीं मिलता है। जब विशेष वेतन और भत्ता इस उद्देश्य से दिया जाता है कि वहां महंगाई है, जीवन की परिस्थितियां वहां कठिन है तो क्यों उन बेचारे अध्यापकों को जिनका कसूर यह है कि वे जिला परिषदों की सेवा करते हैं और क्यों उन पंचायतराज के मंत्रियों तथा अन्य निम्नवेतन भोगियों को जिनका कसूर केवल यह है कि वे गांवों में काम करते हैं और क्यों उन फारेस्ट गार्ड्स को जिनका कसूर केवल यह है कि वे जंगल जैसी अमूल्य राष्ट्रीय निधि की रक्षा करते हैं, विशेष वेतन और भत्तों से म किया गया है?

उत्तराखण्ड का विघटन न हो इसके लिये इसके तीन जिलों, उत्तर काशी, पिथौरागढ़, और चमोली की कांग्रेस कमेटियों ने बार-बार राज्यपाल से मांग की थी कि उत्तराखण्ड का विघटन न हो। मुझे याद है कि जिला पिथौरागढ़ की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री हीरासिंह बोरा ने तो वहां तक लिखा था कि अगर उत्तराखण्ड का विघटन हुआ तो वहां एक विशाल जन आन्दोलन शुरू होगा। उत्तरकाशी की जिला कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था। टेहरी-गढ़वाल की जिला कांग्रेस पार्टी ने तो यह भी कहा

था कि उत्तराखण्ड को तोड़कर अगर गढ़वाल मण्डल बना तो उन्हें वह मण्डल स्वीकार नहीं होगा जिसमें देहरादून जिला शामिल न किया जाता हो, लेकिन इन तमाम विरोधों के बावजूद उत्तराखण्ड का विघटन हुआ। कहा तो यह जाता है कि उत्तराखण्ड प्रभाग में लोगों को जो सुविधायें मिलती थीं वह समाप्त नहीं होंगी। लेकिन जिस ढंग से जनता के विरोध के बावजूद उत्तराखण्ड का विघटन किया गया इससे लोगों में विश्वास नहीं रह गया है कि जो आश्वासन दिये जाते हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी। गढ़वाल मण्डल का निर्माण बहुत अच्छा हुआ इससे लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी और उनके बीच में विश्वास पैदा होगा लेकिन दुख की बात यह है कि गढ़वाल कमिश्नरी का हेड क्वार्टर पौड़ी में रखा गया है। यहां न रखकर अगर इसको मध्यस्थ स्थान में रखा जाता तो बहुत अच्छा होता, वह स्थान श्रीनगर है जो अपनी केंन्द्रीयता के कारण ऐतिहासिक गढ़वाल राज्य की राजधानी भी रहा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उत्तराखण्ड का जिक्र मद्य निषेध के सिलसिले में किया गया है। मैं माननीय मेहरबान सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मांग पेश की है जिस तरह से पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के जिलों में मद्य निषेध का संकल्प किया गया है, जो अप्रैल से लागू होगा उसी प्रकार शेष पर्वतीय जिलों जैसे पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल में भी उसे लागू किया जाय। लेकिन सोचना यह है कि उत्तराखण्ड में कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका आय का मुख्य साधन आज मद्य उत्पादन ही रह गया है। शासन को याद होगा कि अंग्रेजों के शासन काल में भोटिया जाति को मद्य उत्पादन करने की छूट है। यह वह जाति है जो भारत चीन-सीमा विवाद एवं संघर्ष में विस्थापित हो चुकी है और जिसकी रोजी का कोई साधन नहीं रह गया है। अगर मद्य निषेध किया जाता है तो उत्तराखण्ड में सबसे ज्यादा कठिनाई इसी समुदाय को होगी। इससे पुलिस को अधिकार मिलेगा वह मद्य निषेध की आड़ लेकर जिसको चाहे पकड़ ले। इससे मद्य निषेध हो सकेगा या नहीं यह तो समय ही बतायेगा लेकिन जनता की परेशानी बढ़ जायगी और बहुतेरे भोटिया भाई अपनी रोजी के साधन से महरूम हो जायेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

भोटिया जाति के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उनके पुनर्वास के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है और यह सही है कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में यह कहा है कि उनके पुनर्वासन के लिये सोचा जायगा। विगत वर्षों में इसके संबंध में कई योजनायें सरकार के सामने आई हैं। एक योजना यह थी कि भोटियाओं को स्थान-स्थान पर जसे उत्तर काशी में डूंडा, चमोली में मोहनखाल और पिथौरागढ़ में डीडाहाट में औद्योगिक नगरियां बनाकर बसाया जाय। मैं सरकार से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वह इस पुराने प्रस्ताव पर विचार करने की कृपा करें ताकि जो हजारों लोग रोजी से महरूम हो गये हैं उनकी रोटी-रोजी की व्यवस्था हो सके, ऐसी ही बस्तियां स्थान-स्थान पर हरिजनों के लिये भी बनाई जायं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुमायूं यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। मैं उनका आभारी हूं कि इससे पर्वतीय जन को उच्च शिक्षा की सुविधा देने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन गढ़वाल मण्डल के बन जाने से विवाद पैदा हो गया है। गढ़वाल मण्डल की भी मांग है कि उसके लिये एक पृथक यूनिवर्सिटी बनाई जाय। मैं इस मांग का समर्थन कर रहा हूं।

*श्री रामविलास (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आये हुए श्री गेंदासिंह जी के धन्यवाद के प्रस्ताव पर मैं बोलना चाहता हूं। दो तीन दिन से इस पर चर्चा चल रही है। श्रीमन्, मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के चतुर्मुख विकास की तरफ संकेत किया है। अपने अभिभाषण में उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सर्वसम्मति से पास होना चाहिये और होगा भी ऐसी मुझे आशा है। यह सही है कि प्रदेश के पूर्वी अंचल में गरीबी है, सूखा है, पानी की कमी है और इधर हमारे साथियों ने संकेत भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम विलास]

किया है। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी की चर्चा पार्लियामेंट में एक बार हुई थी और उससे प्रभावित होकर स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग की नियुक्ति की थी। उसके मातहत कुछ थोड़े से काम उत्तर प्रदेश में हुए थे। बीच में वह ठप्प कर दिये गये। माननीय राज्यपाल ने पटेल आयोग की सिफारिशों पर पुनः ध्यान देने का जो इशारा किया वह प्रशंसनीय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान है। मैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम की बात नहीं करना चाहता। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गढ़वाल, पहाड़ का भी दक्षिण और उत्तर का भी चौतरफा प्रदेश की चर्चा है। उस पक्ष के लोगों ने इशारा किया कि बारबार पूर्व के लोग पूर्व की बात किया करते हैं। क्या यह हकीकत नहीं है मैं आपको १९६७ की बात की याद दिलाता हूं जबकि माननीय चरणसिंह की सरकार थी। वह आजमगढ़ जिले में गये थे। उनसे एक डेपुटेशन मिला प्रतिनिधि मण्डल ने मांग की कि हमारे किसानों की लहलहाती हुई फसलें सूख रही हैं आप देखिए, उन्होंने देखा भी। जब उनसे यह मांग की गयी कि प्राईवेट ट्यूबवेलों पर बिजली दी जाय, और चार फर्लांग तक हर फर्लांग के लिये पैसा जमा करने की जो बात है जो पिछली सरकार ने की थी वह आप दूर करें आप प्राइवेट ट्यूबवेलों को बिजली दें तो विरोधी दल के नेता जो उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल से यह कहा कि आप कुंए खोदें, रहट लगायें, ऊंट मंगायें। हमारे आजमगढ़ के किसान राजस्थान में जा कर ऊंट लायें यह मुमकिन नहीं।

आज का वैज्ञानिक युग है, जनता को विज्ञान का लाभ मिलना चाहिये। आज यह प्रदेश अपनी गरीबी से चिपटा हुआ है। यह मुल्क गरीब है, इसका एक गरीब बजट है, उसी के मातहत इसका उत्थान करना है। बड़े सौभाग्य की बात है कि विरोधी दलों के नेताओं ने एक तजुर्बा हासिल किया है कि जब कि एक पार्टी के हाथ में नहीं सभी पार्टियों के हाथ में हुकूमत आयी थी। वह समय नन्हा ही क्यों न हो लेकिन एक तजुर्बा हासिल किया है विरोधी दल के नेताओं ने। यह सही है कि उस समय के बहुत से मंत्री हार गये हैं,लेकिन तब भी उनके लोग यहां पर मौजूद हैं। वे प्रोग्रेसिव लोग थे। क्रांतिकारी लोग थे। वे देश का उत्थान करना चाहते थे। समय कम मिला था। हमारे बीस वर्षकी चर्चा करते हैं। मैं उनके नन्हें नौ महीने की चर्चा करना चाहता हूं। यह सही है कि हम बीस साल में गरीबी खत्म नहीं कर सके लेकिन आपने उस नन्हें समय में प्रगति की तरफ जाने का कोई इशारा दिया? जी हां, ९ महीने का बच्चा सब खा गया, जिसको दूध पीने का ढंग नहीं आता था। तो श्रीमन्, सही बात यह है कि संविद की सरकार के समय में उन मासूम विधवा महिलाओं, जिनकी गोद में दूध पीते मासूम बच्चे थे, के ऊपर पुलिस द्वारा निर्दयता पूर्वक लाठियां बरसाई गईं। उनकी इज्जत को लूटा गया। आप बेकारी और बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, आपको यह कहने का क्या अधिकार है। आप बेकारों को रोटी न देते यह हकीकत है, लेकिन आपने ग्राम सेविकाओं की रोटियां छीन लीं, उनको नौकरी से निकाल दिया, जिनको रोटियां मिल रही थीं। इन्होंने न केवल महिलाओं को ही निकाला बल्कि इन्होंने किसानों को बिजली भी महंगी कर दी। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई थी जब किसानों के नेता, जो इस पक्ष में बैठकर किसानों के हित के लिये बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे, चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री की चेयर पर बैठे थे, उनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनके लिये कुछ भी नहीं किया। यह हमारी कोई बपौती नहीं है, आप भी कर सकते थे। आपकी हुकूमत से प्रदेश की जनता को एक आशा बन्धी थी कि चौधरी साहब के नेतृत्व में इस प्रदेश का उत्थान होगा, खास कर गरीबों का उत्थान होगा और कृषि की तरक्की होगी, लेकिन उसमें कोई तरक्की ९ महीने में नहीं दिखाई दी। महंगाई जो कांग्रेसी शासन में फैली थी, श्रीमन्, उस बाढ़ में कमी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन बढ़ने देने का हक उनको हासिल नहीं था। जहां पर भाव कुछ गिरा नहीं सकते थे उसको आगे बढ़ाने की उनको क्या आवश्यकता थी।

मैं ज्यादा न कहकर एक मांग करना चाहता हूं आपके द्वारा कि जैसे पटेल आयोग की तरफ राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है। वैसे कांग्रेसी सरकार ने सन् १९६४ में जो हरि राम

सोशल वेलफेयर एवेल्यूशन कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष माननीय जुगल किशोर जी आचार्य थे और मैं भी जिसका एक मेंबर था, उस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के समूचे जिले का दौरा करके हरिजनों और पिछड़ी जातियों के कामो को देखा और पिछले २० साल में उनका क्या काम हुआ, कितना उनका कल्याण हुआ और क्या काम बाकी रह गया है, इस पर उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी सरकार को। किन्तु मूल्यांकन कमेटी ने वह रिपोर्ट सरकार को उस समय दी थी जब सरकार जा रही थी और नई सरकार संविद की आ रही थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली संविद की सरकार ने क्या कोई कार्यवाही उस मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर की है। मैं जानता हूं कि उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं अब चाहता हूं कि पटेल आयोग की सिफारिशों की तरह राज्यपाल महोदय का ध्यान उस मूल्यांकन कमेटी की सिफारिशों की ओर भी अवश्य जाना चाहिये था। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जिस पर धन्यवाद का प्रस्ताव भी गेंदासिंह जी द्वारा आया है, समर्थन करता हूं।

श्री हबीब अहमद—

(अधिष्ठाता द्वारा राजा रणजंय सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

माननीय सदस्य, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मैं इतन बार खड़ा हुआ, लेकिन आपने अभी तक मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। मुझे मौका मिलना चाहिये, नहीं तो कहिये मैं सदन छोड़कर ही चला जाऊं, जब मुझे आपसे बोलने का मौका नहीं मिलना है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए। आप को मौका मिलेगा। लेकिन आपको इस तरह की बात चेयर के खिलाफ नहीं उठानी चाहिये।

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया। मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बड़े ध्यान से सुना और उसको पढ़ता भी रहा मैंने देखा कि उसमें सुधार की बहुत सी बातें कही हैं और इस प्रदेश की उन्नति के लिये जितनी बातें बतलाई गई हैं, उनमें कृषि की उन्नति, उद्योग की उन्नति, सूबे की उन्नति पर प्रकाश डाला गया है। मद्य निषेध के बारे में भी इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गांधी शताब्दी वर्ष है और उसको ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि वह सिद्धान्ततः स्वीकार है लेकिन ५६ जिलों में से तीन और जिलों में मद्य निषेध लागू की जा रही है। यह बहुत अच्छा है। जहां एक दिन के लिये मद्य निषेध के लिये दूकानें बन्द की जाती थीं वहां अब दो दिन बन्द रहेंगी परन्तु मैं सोचता हूं कि जब सिद्धांततः यह स्वीकार है कि मद्य निषेध लागू होने चाहिये तो समस्त उत्तर प्रदेश में उसे लागू करने में देर क्यों की जा रही है। हमारे यहां ११ जिले ऐसे थे जहां मद्य निषेध था लेकिन वहां की नशाबन्दी समाप्त कर दी गयी। जब मैं कौंसिल में था तब मुझे आश्वासन मिला था कि ११ जिलों के अतिरिक्त और जिलों में मद्य निषेध की जायगी परन्तु उन ११ जिलों से भी वह शराब बन्दी अधिनियम हटा लिया गया और उन स्थानों पर भी अब सप्ताह में केवल एक दिन के लिये शराब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा रणजय सिंह]

बन्द रहेगी, लेकिन जहां मद्य निषेध सप्ताह में एक दिन के लिये थी वहां पर भी स्थान-स्थान पर दूकाने शराब, अफीम और गांजा और भांग के दूकानों के ठेके दिये गये और उसका कारण यह बतलाया गया था कि इससे हानि होती है। मद्य निषेध करने पर भी लोग पीते ही हैं और शराब बनाते ही हैं तो फिर क्यों मद्य निषेध किया जाय और आर्थिक लाभ उठाया जाय।

प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए तो यह ठीक प्रतीत होता है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर नौजवानों का एक विशेष दल बैठता है और जो साथी वहां नहीं पीना चाहते उनको भी वे पिलाते हैं, उपद्रव मचाते हैं और झगड़े करते हैं, गालियां दी जाती है और उधर से यात्रा करने पर दुख होता है। हमारे नौजवान वहां पर नशे में चूर दिखलाई देते हैं। इसके लिये आर्यसमाज अमेठी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वहां की शराब की दूकान बन्द की जाय और केवल अमेठी की ही बात नहीं है वहां पर आस-पास गांवों में दुकानें खुल गई हैं, वहां के लोगों के मस्तिष्क विकृत हो रहे हैं और उसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर मद्य निषेध ठीक है तो फिर उसके लिये हमें देर करने की आवश्यकता क्या है। रहा, धन की हानि होगी तो जहां पर आज गांधी शताब्दी मनाने जा रहे हैं और उसको बहुत सुन्दरता से मनाने का विचार किया जा रहा है वहां यह जो कुत्सित उपायों द्वारा धनोपार्जन बन्द किया जाय और अगर यह बन्द नहीं किया जाता तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कुत्सित उपायों द्वारा धनोपार्जन भ्रष्टाचार नहीं है? क्या चोरी धन के लिये नहीं की जाती? क्या डाके धन के लिये नहीं डाले जाते? और क्या अन्य कुत्सित उपायों से धन जो पैदा किया जाता है वह धन के लिये नहीं किया जाता? और अगर कुत्सित उपायों से धनोपार्जन गलत है तो क्यों नहीं गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर कुत्सित उपायों से धन का उपार्जन बन्द किया जाय। मुझे दुख होता है कि महात्मा गांधी के नाम पर सड़कें बनाई गई, मैंने कई बार कहा भी है लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया महात्मा गांधी मार्ग पर शराब की दूकानें खुली हुई हैं। मैं निवेदन करता हूं कि गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी मार्ग पर जो दूकानें शराब की दिखलाई पड़ती हैं उन्हें बन्द किया जाय। लेकिन यह कहना कि लोग मानते ही नहीं हैं तो क्यों नहीं धन ही पैदा किया जाय तो उसी तरह से यह कहा जाय कि लोग चोरी करते ही हैं, डाके डालते ही हैं तो उसे भी कानूनन जायज कर दिया जाय और उससे धन पैदा किया जाय और उसके लिये भी छूट दे दी जाय ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। बड़ा भयंकर समय आ रहा है। आज रास्ता चलना कठिन हो रहा है। आज सभ्यता का नामोनिशान मिटता जा रहा है। आज बरबरता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से यदि वे लोग करेंगे तो प्रदेश का उद्धार कैसे होगा और प्रदेश की उन्नति कैसे होगी। मैं देहातों में देखता हूं कि लोगों को पिला-पिला कर ऐसे भद्दे उनसे काम लिये जाते हैं कि जो समाज के लिये अत्यन्त घातक हैं। उनसे मारपीट कराई जाती है और उनसे झगड़े कराये जाते हैं। हमारे इस प्रदेश का नाम सारे भारत में है। यह कितना प्रसिद्ध प्रदेश है। जहां पर ऐसे विद्वान और कर्मठ व्यक्ति हुये हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है। इस प्रदेश के बराबर केन्द्र में प्रधान मन्त्री होते आरहे हैं। इस प्रदेश की सब से बड़ी विधान सभा है और विधान परिषद् है जहां पर ऐसे विचारशील सज्जन एकत्र हों, नशाबन्दी के सम्मेलन होते रहे हों और समाज कल्याण विभाग बना हुआ हो वहां पर यदि इस प्रकार से काम होते रहेंगे तो यह पिछड़ापन प्रदेश का दूर होने वाला नहीं है। आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, उद्योग में उन्नति करना चाहते हैं जिससे यहां पर सड़क बनें और कृषि की भी उन्नति हो लेकिन पूर्णरूप से सच्ची सफलता क्यों नहीं मिलती है? आज भी बराबर यह संकेत मिल रहा है कि जिलों के अन्दर यातायात के साधनों की कमी पड़ी है।

हमारे मित्र रायबरेली के बारे में कह रहे थे कि वहां पर ऐसी सड़क बननी चाहिये। वास्तव में मैंने भी देखा है कि रायबरेली में सड़क की बहुत आवश्यकता उस स्थान पर है किसानों को भी अपना सामान लाने, ले जाने में बहुत असुविधा होती है। वहां पर इस प्रकार की सड़क न होने की वजह से समय पर किसानों को बीज नहीं मिलता है और ऐसा बीज तो उनके लिये बिलकुल

कठिन है जो बिलकुल शुद्ध हो । यह क्या हो रहा है । यह इसी कारण हो रहा है कि जब तक ईमानदारी पूर्णरूप से नहीं आयेगी तब तक चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है । जो भी कार्य होगा वह सुचारुरूप से संचालित नहीं हो सकता है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस बात पर सरकार दृढ़ता के साथ विचार करे कि इस मद्यनिषेध को लागू किया जाय और साथ ही साथ जितनी बातें चरित्र निर्माण की हो सकती हैं उनको किया जाय । सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र निर्माण की है इसलिये इसके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाय । बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे राष्ट्र के सेवक बनें और जो आदर्श रूप में हो । यह बात तभी हो सकती है जब यह सरकार आदर्श जनता के सामने रखे । यह सरकार स्वयं ऐसे उपाय करे कि लोगों की उस तरफ प्रवृत्ति हो । आज सरकार मनोरंजन कर वसूल करती है । हम भी कहते हैं कि कर वसूल करें और सिनेमाओं से आप कर प्राप्त करें लेकिन उन मनोरंजन का उपाय इस प्रकार होना चाहिये जिससे लोगों के विचार शुद्ध हों । जब विचार शुद्ध होंगे तो उनका चरित्र भी शुद्ध होगा । आज सिनेमाओं से नवयुवकों का जो चरित्र निर्माण हो रहा है उसका दुष्परिणाम सब जनता के सामने है । आज उसका नतीजा यह हो रहा है कि नौजवान बच्चे गन्दे गीत गाते हुये फिरते दिखाई देते हैं । यह विचार किया जा सकता है कि यदि उनका प्रसार किया जायगा तो जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और नौजवानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? छोटे-छोटे लड़के आज गन्दे गीत गाते फिरते हैं । यदि इस प्रकार से गीतों का प्रचार होगा तो शुद्ध संगीत नष्ट हो जायगा । इस तरह के गन्दे गीतों से आज भ्रष्टाचार, अनाचार और दुराचार बढ़ता जा रहा है ।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है । इस पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है जिससे हमारे देश का चरित्र निर्माण हो सके । यह हमारा देश किसी समय में संसार में सर्वोपरि माना जाता था । आज हंसी की बात यहां पर होती है । खाना पीना सब अशुद्ध हो गया है । भक्ष्य-अभक्ष्य का भी कोई भेद नहीं रह गया है । आप विचार सकते हैं कि जब शुद्ध खाना नहीं होगा तो शुद्ध विचार कैसे हो सकता है । हमारे देश में उद्योग की उन्नति हो लेकिन इसके साथ-साथ चरित्र निर्माण की भी आवश्यकता है जिससे मनुष्य-मनुष्य बने और मनुष्य के अन्दर मनुष्यता उत्पन्न हो । इन्सानियत इन्सान के अन्दर पैदा हो । जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक केवल सड़कें बना देने से, कृषि की उन्नति कर देने से और औद्योगिक उन्नति होने से ही देश आगे नहीं बढ़ सकेगा । इसके लिये आवश्यक है कि मनुष्य अच्छे हों, लोगों में मनुष्यत्व आवे, इंसानियत आवे, लोगों का चरित्र बल ऊंचा हो । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि अवसर यहां पर माननीय सदस्य इधर के और उधर के भी सड़कों के लिए, बीजों के लिये, और तमाम दूसरी चीजों के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं और उनमें असंतोष दिखलाई पड़ता है । ऐसा कहा जाता है कि कल्याणकारी बजट हो, कल्याणकारी बातें हो तभी चल कर उन्नति होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे आवश्यक यह है कि चरित्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय, खानपान की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय, भक्ष्य-अभक्ष्य की तरफ विशेष ध्यान रखा जाय, तभी जाकर देश की सर्वांगीण उन्नति हो सकती है । एक क्षण के लिये भी इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिये कि किसी कुत्सित कार्य के लिये किसी तरह का कुत्सित विचार मन में उत्पन्न हो । लेकिन हालत आज यह है कि "खुदरा फजीहत, दिगरां नसीहत !" "पर उपदेश कुशल बहुतेरे; जे आचरहिं ते नर न घनेरे ।" मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसे कार्य करने चाहिये जो सच्चाई पर आधारित हों हमें भोग में भी त्याग की भावना रखनी चाहिये और धन के लिये किसी तरह की लालच न होनी चाहिये । 'ईशावाद्यिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जात, येन त्यातेन मुंजीथा मागधः कस्यसिद्धनम्।" देश, राष्ट्र और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैंने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में जो प्रार्थना की है, उस पर ध्यान दिया जायेगा, ऐसी आशा करता हूं । मुझे आशा है कि माननीय नेता महानुभाव तथा अन्य महानुभाव इस तरह का वातावरण पैदा करेंगे जिससे यहां से भ्रष्टाचार दूर हो तथा नैतिक व चरित्र बल ऊंचा हो ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की अंतिम पंक्तियों से मैं आरम्भ करता हूं क्योंकि इन्हीं पंक्तियों में हमारी राजनैतिक अभिलाषाओं, हमारी राजनीतिक आशाओं का सारांश है। "जनता ने आम चुनावों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया है और प्रजातन्त्र में अपनी सुदृढ़ आस्था प्रकट की है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए शासन के स्थायित्व के साथ-साथ एक मजबूत व रचनात्मक विरोधी दल की आवश्यकता भी सर्वविदित है। न केवल हम सबको वरन् समस्त जनगण को मात्र राष्ट्रीय भावना में ओत-प्रोत होकर लगन एवं निष्ठा से इस प्रकार कार्य करना है कि राज्य में सुख व समृद्धि की गंगा बहने के साथ-साथ जन मन में प्रजातंत्र के प्रति आस्था अचल रहे।"

जनगण द्वारा चुने गये विधायक इस सदन में इकट्ठे हुए हैं, बहुत अरसे के बाद जनवाणी मुखरित हुई है। आम चुनाव की चुनौती का मुकाबला करके जो विधायकगण यहां आये हैं उनके सामने एक दूसरी चुनौती है वह प्रजातंत्र में आस्था अचल बनाये रखने की " यही इस क्षण की मौलिक चुनौती है। कहीं जो यह वाणी मुखरित हुई वह फिर से न सो जाय। यह विभिन्न दलों का जो कमल-दल है फिर से न मुरझा जाय। इस क्षण जो किसान खेत में हंसिया लेकर खेत काट रहा है, आज उसका विश्वास हम सबको मिला है। वह श्रमिक जो खेत में अपने श्रम कण से इस धरती को पवित्र कर रहा है उसके विश्वास को लेकर हम आये हैं। वह गरीब जो दवाई की जगह आंसू के घूंट पी रहा है उसके विश्वास को लेकर हम सब आये हैं। उस विश्वास को हमें स्मरण रखना है, हम राजनीतिक बाजार में नहीं बेंच सकते हैं।

आज की भूमिका में "प्रजातंत्र में आस्था" बनाये रखने का मतलब होता है "स्थायी सरकार" चले। आज की भूमिका में "प्रजातंत्र में आस्था" और "स्थायी सरकार" पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। महामहिम राज्यपाल को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अवसर दिया है कि फिर से प्रजातांत्रिक प्रणाली से हम प्रदेश का शासन चला सकें। हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण को रोजमर्रा का और घिसी-पिटी हुई चीज बताया। मानता हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं विरोधी दल के सदस्यों को एक बहुत गूढ़ चीज बता देना चाहता हूं कि दाल भात भी रोजमर्रा की चीज होती है और जो दाल भात छोड़ कर गुब्बारे के पीछे दौड़ता है वह बच्चा कहलाता है। आज हम राजनीतिक गुब्बारों के पीछे दौड़ने की हैसियत में नहीं हैं। हमारा प्रदेश यदि दाल-भात में लगा है, तो यही हमारा श्रेय और परम कर्तव्य है। माननीय सदस्यों ने जो कमियां बतायीं उस दिशा में प्रयत्नशील होना है। किसानों को और सुविधाओं का प्रबन्ध करना है, श्रमिकों को भी करना है। लेकिन, जहां सुविधाओं का प्रबन्ध करना है जो कि हम सब विधायकों की इच्छा है वहां आप याद रखिये झूठे वादे से और कोई चीज नहीं होती है। किसानों के खेत हरे करने हैं और जितना कर सकते हैं वह करेंगे, लेकिन किसान के सामने झूठा हरा नकशा हम नहीं रखेंगे। हमको भूखे का पेट भरना है और जितना भर सकते हैं उतना भरेंगे लेकिन झूठी रोटी का वादा नहीं करेंगे। १९ वादे संविद ने किये थे। आज तक उन्हीं वादों के भरोसे इस प्रदेश की जनता रही है। वह गलती हम दोहराने के लिए तैयार नहीं हैं, एक संवेदना होती है, उससे हम प्रेरित हैं, ओत-प्रोत हैं (व्यवधान) लेकिन संवेदना जो होती है वह व्यवहारिक होनी चाहिये। आज हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अन्दर हम क्या इन्तजाम कर सकते हैं उसके लिए राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो योजना रखी है वह बिलकुल व्यावहारिक संवेदना के आधार पर है, काल्पनिक संवेदना के आधार पर नहीं है। हम आकाश के सपनों से प्रदेश का उत्थान नहीं कर सकते हैं, इस धरती के श्रम से ही इसका कल्याण कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट बाकी हैं। अगर बोलना चाहें तो बोलें।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह—

विरोधी दल के नेताओं ने इस अभिभाषण को एक निराशा की सूची बताई है। अगर नये खेत, नये स्कूल, नये अस्पताल निराशा के सूचक हैं, यदि नये-नये उद्योग हमारे लिए निराशा के संदेश हैं, यदि कृषि को प्राथमिकता देने वाले कार्य हमारे लिये निराशा के संदेश हैं, तो मैं दृढ़ता के साथ यह एलान करना चाहता हूं कि इन्हीं निराशा के प्रतीकों को लेकर हम अपनी आशा की मंजिल बनायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री तिरमलसिंह का नाम पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

एक सदस्य—

हमारी पी० एस० पी० पार्टी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

मिलेगा, आप कृपया बैठें।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो प्रदेश को उठाने और पिछड़ेपन को दूर करने की चर्चा की है, उस अभिभाषण से मुझे ऐसा आभास नहीं मिलता है और इसलिये नहीं मिलता है कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हम झूठे वायदे नहीं करते, उनसे ही मैं यह पूछना चाहता हूं अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने ४ घोषणा-पत्र जारी किये हैं, एक घोषणा-पत्र ५ वर्ष के लिए होता है, उसमें जो उन्होंने शोषण मुक्त समाज बनाने और धर्म निरपेक्ष राज्य बनाने की जो घोषणा की है, क्या आज २० वर्षों के बाद भी वे उसे पूरा कर पाये हैं, क्या आज शोषणमुक्त समाज बन सका है? आज तक आप नहीं कायम कर पाये। इसलिये नहीं बना पाये कि आपने जो कानून बनाये वह दोहरे हैं, वह गरीबों को दबाता है, बड़े आदमियों को उठाता है, गांव को दबाता है, शहरों को उठाता है। वह गांधी जी की दुहाई जरूर देते हैं, मगर उनकी एक भी बात उन्होंने मानी? गांधी जी कहते हैं कि अगर मुल्क आजाद होगा तो मैं प्लांनिग खेती से शुरू करूंगा। गांधी जी कहते थे कि आजादी के बाद सम्पूर्ण मद्य निषेध होगा। आपने क्या किया? सारा पैसा हैवी इन्डस्ट्री व पर आपने खर्च किया, और उससे रिटर्न आपको क्या मिला। आज १ अरब ३० करोड़ का घाटा आप उसमें उठा रहे हैं। सम्पूर्ण मद्यनिषेध की जगह आज देशी और विदेशी शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? आज तक कोई भी बात गांधी जी की आपने नहीं मानी। आप केवल नाम ही उनका लेते रहते हैं।

इतना ही नहीं, यह निर्विवाद है कि उद्योग और उत्पादन साथ-साथ चलते हैं। जो आपकी विशेषज्ञ समिति बैठी थी उसने कहा है कि जो अब तक हुआ है वह गलत हुआ है। उन्होंने उसको इस कारण गलत बताया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम एक करोड़ रुपया लोहे की इन्डस्ट्री में लगायेंगे तो उससे १६ लाख का मुनाफा होगा, कपड़े में लगायेंगे तो ३५ लाख का मुनाफा होगा और अगर खेती व लघु उद्योग में लगायेंगे तो उससे ६९ लाख का मुनाफा होगा। यह बात २० वर्ष बाद मानी गयी जब कि देश तबाह हो गया। हमारा कृषि प्रधान देश है। आप कहते हैं कि हम कृषि को प्राथमिकता देंगे। लेकिन आप देखिये कि खेती के विकास के लिए जो कर्जा दिया गया उस पर नीचा ब्याज छः रुपया लिया गया और ऊंचा ब्याज २५ रुपया लिया गया। ६ रुपये तकावी मिली किसान को, ९ रुपये कोआपरेटिव से कर्जा और २५ रुपया सैकड़ा बीज मिला। उन्होंने उद्योगों को जो कर्जा दिया उसमें तीन रुपये नीची दर से और ऊंची दर से पांच रुपये से। तो

[श्री निरमल सिंह]

खेती के काम करने वालों और फैक्टरी में काम करने वालों दोनों के साथ भेदभाव बरता गया। ये खेती की बढ़ोत्तरी की बातें हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें कि फसल का बीमा नहीं किया गया परन्तु उनकी लोहे का बीमा, दीवार का बीमा तो किया गया। साथ यह नहीं किया गया कि उनकी फसल का बीमा कर दिया जाता तो उनकी फसल सुरक्षित हो जाती। अगर पैदावार बढ़ानी थी तो किसान को यह भी नहीं बताया गया कि स्वाइल कंजरवेशन के हिसाब से मक्के की फसल अच्छी होगी या गेहूं अथवा ईख की फसल अच्छी होगी, कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया और यह भी नहीं बताया गया कि तुम इन खेतों में यह चीज बोओ यह चीज उम्दा पैदा होगी। यह सरकार का काम था जो नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त आप देखें बिजली को। जो सिंचाई की दुहाई देते हैं। रिहन्ड डैम में बनी बिजली ५८ रुपये में बिरला जी को दी गई है पर किसान को नहीं दी जाती है। ४२ करोड़ रुपये टैक्सेज लगाकर किसानों से पूरा किया जाता है। बिजली में भी दुहरी पालिसी अख्तियार की जाती है। उद्योगों को ६५ रुपये के हिसाब से दी जाती है और ९५ रुपये किसानों को देकर गरीबी दूर करने का प्रयास किया है, उसको हतोत्साह किया जाता है उसको उत्साह नहीं दिया जाता है। ये तो बिजली के रेट हैं और ब्याज के रेट हैं। इसके अतिरिक्त आप यह देखें कि जो आज तक मकान बनाये गये हैं कभी यह नहीं कहा गया कि गांव वालों को मकान बनाने के लिए लम्बी अवधि का ऋण दें ताकि वह भी घर बना सकें। मवेशियों के लिए और अपने लिये। उनको यह मान लिया गया है वह पेड़ों के नीचे रहेगा। शहरों में आठ हजार रुपया तीस वर्षों की अवधि तक देने की रियायत है। मैं यह नहीं चाहता कि शहर न उठें। मैं चाहता हूं कि शहर और गांव दोनों उठें। शहर भी काफी चमकदार रहें और गांव भी खाते-पीते रहें, और सरसब्ज हों। उनमें भी खुशहाली आये। लेकिन मैं कांग्रेस की नीति बता रहा हूं सरकार ने शहरों में मकान बनाने को रुपया दिया परन्तु गांवों में कोई पैसा नहीं दिया गया, तीस साल की लम्बी अवधि तक का ऋण उन्हें नहीं दिया गया। दोहरी नागरिकता बरती गई गांव के लोग मकानों में नहीं रह सकते। ये लोग मवेशी हैं, ये पेड़ों के नीचे रहेंगे। इस तरह से किसानों के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और जितनी भी पैदावार किसानों की बढ़ी है उसमें सरकार का जितना सहयोग हो सकता है उतना योग क्या, चौथाई ध्यान भी नहीं दिया गया है। जहां तक पैदावार बढ़ाने का तरीका है, पैदावार बढ़ाने के लिए कम से कम बराबरी के कानून तो बनें। कानून नहीं बनाते आप। फसल मारे जाने का कानून है। वह साल में सोलह आने नुक्सान मानता है जबकि किसान की पैदावार ६ माह में सोलह आने है। हमारी फसल मारी जाने पर कानून के तहत में ८ आने नुक्सान मानकर आबपाशी लगान व तकावी मुल्तवी की जाती है। यह कानून हमें गरीब बनाता है इसे बदला जाय। दूसरी ओर, इसका दूसरा हिस्सा आप देखिये। यदि कोई उद्योग फेल हो जाय तो न सेल्स टैक्स और न इंकम टैक्स लगे। कर्जे में और रियायत हो जाती है। इस तरह से एक कानून लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट बना हुआ है। जो शहर में कालोनी बनती है लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट उसमें जरूर बीच में पड़ जाता है और १५० रु० एकड़ मुआविजा किसानों को दिलाती है। वह एक एकड़ जमीन किसी पर पहुंच जाती है तो वह खुद बीस हजार रुपये की हो जाती है। जिससे उसका भगवान ही बदल जाता है।

इस तरह से जो कानून है उनको सरकार को तरमीम करना चाहिये और जो समता संविधान में दी गयी है कानून के द्वारा उसका पालन होना चाहिये। क्योंकि असेम्बली कानून बनाती है इसलिये हमारी सरकार से शिकायत है कि वह कानून और ब्याज जहां तक विकास के लिए जो पैसा देती है उसमें वह समता का व्यवहार करे। एक बाप के दो बेटे हैं, फिर एक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है और फिर भी सरकार कहती है कि वह किसानों की खुशहाली बढ़ाना चाहती है। आपने मिट्टी के तेल पर दाम बढ़ाये, वह कौन खरीदता है? किसान पर ही तो उसका असर पड़ेगा। चीनी पर दाम बढ़ गये और गन्ने के दाम कम हो गये। अब

किसान अपने विवाह शादियों में जब चीनी खरीदेगा तो उसको ही तो अधिक पैसा देना पड़ेगा। आपने चीनी पर दाम बढ़ाये, कपड़े पर बढ़ाये और खाद पर बढ़ाये, इनका असर क्या किसान पर नहीं पड़ेगा? अगर हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर डिक्टेटरशिप होने पर भी खाद का भाव २४ रुपया है। जबकि हिन्दुस्तान में आप ५५-५६ रुपया में देते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने को हम प्रोत्साहन देते हैं।

किसानों के लिए उनकी हैसियत की पासबुक खुलने का मसला चला था, वह भी उनको नहीं दी गयी है। वह जल्दी ही दी जानी चाहिये। आपको जो मालगुजारी मिलती है उसका दो-तिहाई हिस्सा गांवों से मिलता है लेकिन उसकी पैदावार की कीमत उसको कम मिलती है और जो चीज उसको खरीदनी पड़ती है, उसकी कीमत उसको ज्यादा देनी पड़ती है। सरकार को सोचना चाहिये और किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलवाना चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं ने पटियाली में श्री बनारसी दास के विरुद्ध चुनाव लड़ा। उन्होंने स्वयं वोटों को खरीद कर भ्रष्टाचार किया। चुनाव में उन्होंने साइकिल और कम्बल बांटे और अनुमान है कि ६ लाख रुपया खर्च किया। बड़े-बड़े नेता लोग ही इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं और असेम्बली में बैठकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं। हमारा पटियाली क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां बिजली, सड़क और सिंचाई किसी का भी इन्तजाम नहीं है। इस बारे में गवर्नर महोदय को मैंने एक प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी नीयत पर तो आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन एक निवेदन अरूर करूंगा कि अब तक हमारे दल के केवल एक विधायक ही बोल पाये हैं, अतः कृपा करके इस बात पर गौर करके हम लोगों को भी बोलने का अवसर दें।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्दराय)—

श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सायंकाल को ५ बजे सब पार्टियों के चीफ ह्विपों की बैठक बुलाई गयी है। उसमें इस पर विचार किया जायगा कि किस प्रकार से दलों के सदस्यों को समय दिया जाय। वे सब लोग भी अपने-अपने सुझाव उसमें देंगे। इससे आपकी कठिनाई दूर हो जायगी। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे विचार करके आपको थोड़ा पहले ही बता दिया करें कि उनके दल के कितने लोग बोलना चाहते हैं, उससे आपको आसानी हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तक १७ भाषण हुए हैं, उनमें से ३ भारतीय क्रांतिदल के और एक आपका बोला है और इसी अनुपात में आपके सदस्यों की संख्या भी है। मैं नहीं समझता इस प्रकार से मैंने आपके साथ कोई अनुचित कार्य किया है। फिर आपको आगे और मौका भी मिलेगा। अभी दिन समाप्त नहीं हुआ है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, कल तक पद्धति यह थी कि भारतीय क्रांति दल का एक बोलता था फिर एक जनसंघ का बोलता था और फिर हमारी पार्टी का बोलता था।

आप समय नियत कर दें, अभी तो कोई चीज यहां नियत नहीं है इस सरकार में।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें यह सरकार का मसला नहीं है। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जैसा कहा कि यह मामला स्पीकर साहब के कमरे में आप लोग तय करेंगे इसलिये इस समय अभी इस पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, अधिक सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये आपने जो १५ मिनट का समय रखा है वह घटाकर कम कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब १५ मिनट नहीं १० मिनट ही दिये जा रहे हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना स्वागत भाषण करने आया हूं और साथ ही साथ श्री गेंदा सिंह जी का जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सूबे की प्रायः सभी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान और पूर्ति करने का संकेत किया है और इस माध्यम से उन्होंने भावी वर्ष के कार्यक्रम की ओर प्रकाश डाला है। लेकिन हमें दुख है कि हमारे विरोधी दल के बन्धुओं ने खुलकर अपने ढंग से आलोचना करने का प्रयास किया है। आलोचना कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन स्वस्थ आलोचना से ही बल मिलता है केवल आलोचना के लिये ही आलोचना नहीं होना चाहिये। उससे हमारा लाभ नहीं होगा बल्कि वह हमारा दुर्भाग्य ही होगा कि बेकार की आलोचना की जाय। हमारे विरोधी भाइयों ने बार-बार कांग्रेस के २० वर्ष की बात कही लेकिन अपने १० मास के लिये असमर्थता प्रकट की। इस का यह मतलब नहीं है कि २० साल में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इससे तो केवल उन की नीयत का पता चलता है, नीयत का पता तो एक दिन में जरा सी बात से चल जाता है कि किस नीयत से आदमी कोई बात कह रहा है। अगर वह यह कहें कि कांग्रेस ने २० साल में कुछ नहीं किया और ९ मास में हम कूड़ा साफ करते रहे तो उन्होंने बड़ी कृपा की लेकिन अगर हम भी यह कहें कि हम भी २० वर्ष तक ४०० वर्ष की गन्दगी को साफ करने का प्रयास कर रहे थे तो अतिशयोक्ति न होगी। लेकिन आप ने जो इन १० मास में किया उससे विरोधी शक्तियों की नीयत का पता जरूर चलता है, जो संविद ने किया वह किसी से छिपा नहीं है। सब से पहले विरोधी साथी किसानों के बारे में बड़े-बड़े नारे लगाते थे और रोज कहते थे कि आज सूबा है और आज वहां भुखमरी हो गई है सभी विरोधी साथी चिल्लाते थे और ऐसी-ऐसी समस्यायें लाते थे कि जिनको सुनकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती है और कोई भी समझ सकता है कि न मालूम प्रदेश में क्या आफत आ गई है। लेकिन जब उनकी सरकार आई और उन के हाथ में अधिकार आया तो सारे नारे भूल गये और उनके सारे कारनामे खुल गये।

किसानों से जमकर बकाया लगान वसूल किया गया, जबरदस्ती उनसे गल्ला वसूला गया और किस तरह से उनको परेशान किया गया उसका ज्ञान वे स्वयं करें तो उनकी कृपा होगी। कहां तक किसानों को दी गई असुविधाओं की कहानी सुनाई जाय? उन्होंने अपने शासन काल में बिजली की जो सुविधायें किसानों को मिलती थीं उन पर भी कुठाराघात किया, इन्होंने उन्हीं किसान से खरीदा हुआ गल्ला बीज में किस रेट पर दिया? यह सब भ्रष्टाचार नहीं था तो और क्या था? इन्होंने खुले आम जो किया उसकी कहानियां स्पष्ट हैं और मैं इन शब्दों में कहूंगा कि इससे इनकी नेकनीयती साफ जाहिर होती है। इन्होंने हरिजनों को बहकाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने काल में उनके लिये कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई कसर उनको बहकाने में नहीं रखी और हर तरह से बरगलाया और वह आज भी इन्हीं के पक्ष में हैं क्योंकि वह इनकी बहकाने वाली बातों से प्रभावित हैं लेकिन इन्होंने अपने काल में उन के लिये क्या किया? उनको मिलने वाली सुविधाएं समाप्त कर दीं। आज विरोध पक्ष

के एक हमारे साथी ने कहा कि गांवों में डोम और चंडाल दो कौमें रहती हैं, जिनको पानी पीने की सुविधाय भी प्राप्त नहीं हैं। मैं अपने विरोधी पक्ष के साथी से कहूंगा कि गांवों में हरिजनों की सुविधाओं को समाप्त करने वाला कौन सा शासन था ? इनका था, हमारा नहीं ? हमने किसानों को अनुदान दिए और तकावी में जो छूट दी, उनको इन्होंने खत्म किया, हरिजनों की सुविधाओं को इन्होंने समाप्त किया। इनके काल का तैयार किया हुआ बजट इस बात का साक्षी है कि कितनी कटौती की है, उनके लिये। इन्होंने उनको बरगलाकर एक ऐसी रूप रेखा बनायी है कि जो प्रदेश के हित में नहीं है।

आज जो प्रदेश की स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने मजदूरों के बारे में बड़े-बड़े नारे लगाये थे और हमको पूंजीपतियों के हिमायती और दलाल शब्दों से सम्बोधित किया गया था लेकिन मोदीनगर और कालागढ़ की घटनायें किसके समय में हुयीं ? उस समय इस विभाग के मंत्री कौन थे, जरा स्वयं ही सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझसे न कहलावें तो अच्छा होगा।

श्रीमन्, मैं संविद सरकार की आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का अभिवादन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ नेता सदन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो थोड़ी बहुत कमी रह गयी है, उसकी ओर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य को अपने समय का भी ध्यान रहना चाहिये।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र है जिस के आधार पर हम चुनाव जीत कर आये हैं, उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिये। मैं विशेष रूप से अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं। घोषणा पत्र में स्पष्ट दिया हुआ है कि कोठारी आयोग लागू होगा। इसलिये कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिये, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये, इसको लागू करने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिये। मैं नेता सदन का ध्यान उत्तराखंड और पूर्वी जिलों के साथ-साथ बुन्देलखंड आदि जिलों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। अन्त में मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री हबीब अहमद---

जनाबे सद्र, जनाबे वाला, मैं आपका बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे गवर्नर साहब के खुतबा पर बोलने का मौका दिया। इसके पहले कि मैं अपनी बात रखूं मैं आपकी इजाज़त से दो अशार पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं :

" जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पर
तो खून हमने दिया,
जब बहार आयी तो
कहते हैं तेरा काम नहीं।
गुल फेंके हैं औरों की तरफ
बल्कि समर भी,
ऐ खाना बरन्दाजे चमन,
कुछ तो इधर भी ॥

[श्री हबीब अहमद]

इन अशार में एक कैफियत बयान की गयी है और बड़ी बेबसी तथा बेकसी का इजहार किया गया है। इससे पहले मैं अपनी बात रखूं मैं चाहूंगा कि मुझे उर्दू जबान में अपनी बातें कहने की इजाजत दी जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आप उर्दू में अपनी बात कहें, कोई मुमानियत नहीं है लेकिन लिखा यह जायगा हिन्दी में।

श्री हबीब अहमद---

मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे उर्दू में बोलने का मौका दिया। गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में पेज १८ पर लिंगुइस्टिक मायनारिटीज कमीशन का जिक्र किया है। मैं इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि इस कमीशन की नुमाइंदगी सही तौर से होनी चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि ऐसे लोग जो अपने को ठेकेदार बतलाते हैं अकलियतों के, उनको इस कमीशन में न ठूंस दिया जाय और ऐसे लोग इसमें आने चाहिये जो सही नुमाइंदगी कर सकें।

मेरे बड़े भाई माधव प्रसाद त्रिपाठी जो जनसंघ के नेता हैं उन्होंने इस और कमीशन की मुखालिफत की है। मैं आपको तवज्जह दिलाऊंगा कि इलाहाबाद और मुख्तलिफ जगहों में बल्वे हुए, मैंने अपनी आंख से देखा कि मायनारिटीज के साथ क्या-क्या ज्यादतियां की गई उनकी दूकानें जलाई गयीं, जानोमाल की हिफाजत नहीं की गयी। इसके अलावा आप देखें कि इंडियन कास्टीट्यूशन के आर्टिकिल २९(१) में भी मायनारिटीज को गारंटी दी गयी है उनके हुकूक और उनकी जबान और रसमुलखत वगैरह के बारे में, उनकी महाफिजत के लिये यह क्लाज है। यह जो कहा जाता है कि उर्दू में आसानी बाहम पहुंचाई जायगी तो केवल जबानी बातों से काम नहीं चलने का। परसों स्पीकर साहब से मैं मिला और कहा कि हिन्दी मैं नहीं जानता। मुझे बड़ी दुश्वारी होती है एजेंडा समझने में। यहां बैठ कर मैं सोचता हूं कि न तो मैं जिन्होंने मुझे चुन कर भेजा है उनके साथ इंसाफ कर पा रहा हूं और न अपने साथ इंसाफ कर पा रहा हूं क्योंकि एजेंडा ऐसी जबान में दिया जाता है जिसमें समझने से मैं कासिर हूं।

श्री अधिष्ठाता---

हिन्दी तो इस सदन की जबान है।

श्री हबीब अहमद---

लेकिन उर्दू में सहूलियतें दी जा सकती हैं। ऐसी जबान हो जिसे हम भी समझ सकें। आपको सहूलियत देने का अख्तियार है। २५ फरवरी को जब हम गवर्नर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि उर्दू दां हजरात को सहूलियतें दी जायंगी। ट्रेजरी बेंचेज और अपोजीशन दोनों बेंचेज में उर्दू दां हजरात लगभग ३०,४० के हैं और करीब-करीब सभी को इस किस्म की परेशानी है। अगर उर्दू के साथ कोई इंसाफ करना है तो कोई ऐसी सहूलियत दी जाय जिससे कोई ठोस काम हो सके।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि सहूलियत की जो बात आप कह रहे हैं, यह आप माननीय अध्यक्ष से उनके कमरे में जा कर कह सकते हैं।

श्री हबीब अहमद---

उनसे दरख्वास्त की थी।

श्री अधिष्ठाता---

तो यह सदन में कहने की बात नहीं है।

श्री हबीब अहमद---

गवर्नर साहब के खुतबे से ही ताल्लुक रखती हैं यह बातें। यह हमारे हकूक की बातें हैं लिहाजा इस चीज को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसके अलावा मैं यह महसूस कर रहा हूं कि उर्दू को खत्म करने के लिये सरकारी और गैर सरकारी हर तरीके से कोशिश की गयी। आफिशियल लैंगुएजेज ऐक्ट जो १९५१ में बनाया गया था वह २६ जनवरी, १९६८ से लागू कर दिया गया। हमको हिन्दी से कोई शिकायत नहीं है, वह हमारी राष्ट्र-भाषा है, उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहां ऐसी जबान इस्तेमाल की जाती है, जिससे हमको बड़ी परेशानी है।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपसे कह चुका हूं कि यह जो हिन्दी की बात आप कह रहे हैं यह अध्यक्ष महोदय के विभाग की बातें हैं। इसके बारे में यहां चर्चा करने की कोई आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती। अगर आपको सहूलियत चाहिये तो अध्यक्ष महोदय के कमरे में जा कर उनसे मांग कर सकते हैं।

श्री हबीब अहमद---

मैं उर्दू के सिलसिले में यह अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो गालिब की सौ साला बरसी मनायी जा रही है, जिसमें गवर्नर साहब जगह-जगह जा कर मुशायरा करा रहे हैं और कहते हैं कि उर्दू के लिये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई जब एजेन्डा की कापी उर्दू में मांगता है तो वह नहीं दी जाती।

दूसरी बात मैं इलाहाबाद के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में यह बात नहीं कही कि इलाहाबाद में जो इलैक्ट्रिसिटी....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदय को समय का ध्यान होना चाहिये, ७ मिनट हो चुके हैं।

श्री हबीब अहमद---

मैंने आपसे पांच मिनट का और मौका मांगा था। तो इलाहाबाद में बिजली के महकमें में यानी एलक्ट्रिक सप्लाई अंडर ट्रेकिंग में बहुत ही बदउनवानियां हो रही है। मैं तारीखें नोट कर के लाया हूं। ११ जनवरी, १९६९ को वहां की महापालिका को भी शिकायत हुई। २१ जनवरी को पावर हाउस में आग लगी जिसके कारण एक इंजीनियर मर गया और दूसरे लोग भी पहले मर चुके। उसकी जांच हो रही है लेकिन अभी तक मालूम नहीं हुआ कि क्या नतीजा निकला। १५ अगस्त, १९६९ को जिस दिन सब लोग आजादी मना रहे थे इलाहाबाद का इन्तजाम ऐसा था कि सारे शहर में अंधेरा ही अंधेरा लाया हुआ था। बिजली आये दिन फेल होती रहती है इस सिलसिले में क्या हो रहा है अभी तक पता नहीं। वहां के रेजीडेंट इंजीनियर साहब के खिलाफ बहुत सी शिकायतें की गयी हैं और गबन के सिलसिले में एक स्पेशल आडिट भेजा गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। और न कोई कारवाई की गई।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि इलाहाबाद के जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। बहुत सी गलियां तो पक्की हो गयी हैं और छोटी छोटी गलियों की भी मरम्मत हो रही है लेकिन तीन, चार गांव जी० टी० रोड से लगे हुये ऐसे हैं जिनकी सड़कों की हालत बहुत खराब है। एक तो जी० टी० रोड से बमरौली, दूसरे जी० टी० रोड से मरियाडीह, तीसरी सड़क टिकरी को जाती है, चौथी अतरौली को जाती है और पांचवीं असरावेखुर्द को जाती है। ये सड़कें इतनी चलती हैं लेकिन सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। २२ साल में न मालूम कितनी गलियां पक्की हो गयीं, लेकिन

[श्री हबीब अहमद]

उन सड़कों की हालत वही है जो आज से २२ साल पहले थी। इन मवाजात में मुसलमान और अछूत आबाद हैं मुझे आपके जरिये से यह कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करे। बस यह बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपका दुबारा शुक्रिया अदा करूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने फरमाया कि उर्दू में बोलेंगे जरूर लेकिन लिखा जायेगा हिन्दी में तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी बोलते हैं उर्दू बोलते हैं लेकिन हिन्दी उर्दू स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट तो देवनागरी है या परशियन स्क्रिप्ट है तो आपका मतलब किस स्क्रिप्ट से है ?

श्री अधिष्ठाता—

देवनागरी से।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो सुझाव विरोधी पक्ष की ओर से दियेगये हैं उनको भी मैंने सुना है। जहां तक सम्मानित सदस्यों की बात मैं समझ सका वह यह है कि हर माननीय सदस्य ने कोशिश की है कि इस प्रांत की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, भुखमरी कैसे दूर हो, इसकी समस्यायें कैसे सुलझें, कहने का मतलब यह है कि हर माननीय सदस्य ने उसी नीति का समर्थन किया है जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। एक सदस्य कहरहे थे प्लानिंग मिनिस्टर से कि आंकड़ों में न पड़ें। लेकिन आंकड़ों की वजह से ही तो आपका प्रदेश पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। इसीलिये राज्यपाल महोदय ने इसके पिछड़ेपन को दूर करने का सुझाव दिया है। पहला सुझाव साधनों के जुटाने का है, दूसरा पिछड़े हुये क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों बराबर लाना, इसके संबंध में पर्वतीय क्षेत्र में विकास परिषद् के बनाने की घोषणा की है। पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक तथा कृषि के सर्वेक्षण का जिक्र किया है। कृषि को सर्व प्रथम प्राथमिकता दी है। इसके अलावा लघु उद्योगों, पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान तथा शिक्षा और शिक्षकों का भी जिक्र किया है।

एक हर्ष की बात है कि उत्तराखंड में मद्य निषेध का जिक्र किया गया है। पीने के पानी की समस्या को भी रखा गया है। गढ़वाल तथा रामपुर के बारे में भी जिक्र किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने तथा प्रदेश को उठाने के लिये यह सरकार दृढ़ संकल्प है। जब सब बातें भाषण में आगई हैं तो फिर कौन-सी बात रह गई है। आपको भी सरकार बनाने का मौका मिला था और आपकी सरकार दस महीने तक चली और आपने १९ सूत्री कार्यक्रम बनाया था। आपने कहा था कि इस आदेश की जनता को कर से मुक्त करेंगे, समान काम के लिये समान वेतन देंगे और किसी कर्मचारी को १५० रुपये से वेतन कम नहीं मिलेगा। यह संविद सरकार का १९ सूत्री कार्यक्रम है लेकिन साथियों, दस महीने के बाद, प्रान्त की जनता देखती रही क्या मिलने वाला है ? लेकिन लोगों को क्या मिला ? मिला भ्रष्टाचार, सुरासुंदरी का बोलबाला, जो कि अखबारों में छपा। १९ सूत्री कार्यक्रम पर जिक्र हुआ कि वह अब लागू होगा, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने कहा कि हमारे साधन सीमित हैं। सीमित दायरे के अन्दर ही काम कर सकते हैं। १९ सूत्री कार्यक्रम जब लागू होने की बात हुई तो उन्होंने यह उत्तर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल के नेता ने सबसे पहले कहा कि अनुशासनहीनता बढ़ रही है । मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अनुशासनहीनता इस विधान सभा में, उनकी सरकार में हुई जब कि वह चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले कभी हुई थी? आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक दल से दो दल बन जाते हैं, क्या हंगामा हुआ जिस रोज अविश्वास का प्रस्ताव हुआ । क्या वह अनुशासनहीनता नहीं थी । उनके मंत्री दिल्ली में जाकर धारा १४४ को तोड़ते हैं । जो अपने मंत्रियों पर और विधान सभा में अनुशासन नहीं रख सका वह प्रान्त पर क्या अनुशासन रख सकता है ?

इसके अलावा दूसरी बात पंचवर्षीय योजना की कही है। ठीक है आप प्रशासन को आगे बढ़ाइये । लेकिन जो इंजीनियर और महिलाएं थीं क्या उन पर अत्याचार नहीं हुआ ? इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने पर ज्यादा जोर दिया । मैं यह बात मानता हूं और हर सदस्य को सही बात मानने से इनकार नहीं करना चाहिए । आज हमारा सारा देश भ्रष्टाचार में फंस गया है । लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार से मुक्त हों । हमें १८ वर्ष तक कांग्रेस सरकार देखने को मौका मिला और संविद सरकार को १० महीने तक देखने का मौका मिला और फिर राष्ट्रपति का शासन देखने का मौका मिला । लेकिन एक बात अवश्य देखने को मिली---सुर नर मुनि सब की यहि रीति, स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती । मैं चौधरी साहब की बात बताता हूं जो उन्होंने अपने कार्यक्रम में की । सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने एक आदमी को नियुक्त किया जिसकी वजह से वहां के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद बदरीनाथ टेम्पिल कमेटी जो पवित्र मानी जाती है, उन्होंने एक ऐसे आदमी को, जब कि वह मुख्य मंत्री पद से अलग हो गये थे, तो फोन द्वारा उसकी नियुक्ति करायी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेचनराम जी बनारस वाले हैं उनकी नियुक्ति हुई जिनके विरुद्ध रिट दायर हुआ और गवर्नर शासन में उनको हटाया गया । यह कुछ चीजें हैं जो आपके सामने हैं । एक महानुभाव आज कह रहे थे कि जो अच्छे लोग हैं वह उस तरफ आ गये हैं और बुरे लोग हैं वह इस तरफ आ गये हैं । अधिष्ठाता महोदय, मुझे कम से कम पांच मिनट और दीजिये । मुझे अपने यहां की समस्याओं की बाबत कहना है । मेरा क्षेत्र दो सौ मील लम्बा और इतना ही चौड़ा है । हमारे मुख्य मंत्री ने माना है कि हमने गलती की है ।

हम अपनी गलती मानते हैं और उस पर मात खाने को भी तैयार हैं लेकिन यह जो हैं वह गलती करके भागने वाले लोग हैं । यह गलती करके इधर भाग जाते हैं। हमारी भागने वाली बात नहीं है । हम यह मानते हैं कि हमारी प्लानिंग में कुछ गलती हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते थे, इसलिये मैंने उनको अधिक समय दिया था । लेकिन वह क्षेत्र की बात नहीं कह रहे हैं । इसके अलावा जो क्षेत्र की बातें हैं उसके लिए तो यह वक्त नहीं है, यह क्षेत्र की बातें तो बजट के समय आनी चाहिए । इस वक्त गवर्नर के एड्रेस में नीतियों पर बातें होनी चाहिए । तो मैं अब आपको केवल २ मिनट का समय दे सकता हूं, उसमें आप मुख्य मुख्य बातें कह डालें ।

श्री इन्द्रमणी--

यों तो इसमें हमारी सब समस्याओं का समाधान हो गया है। केवल मैं एक बात बतलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में टेहरी गढ़वाल का जो जिला है, वहां पर प्रति व्यक्ति औसतन आमदनी सबसे कम केवल १२९ रूपया सालाना है । मैं आशा करता हूं कि वह इस सबसे पिछड़े इलाके को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे । मैं समझता हूं कि सराकर ऐसी प्लानिंग बनाए, ताकि वहां के लोग आगे जा सकें ।

यह भी कहा गया है कि मद्य-निषेध किया जाएगा । कोटद्वार में आज भी इसके शराब के लिए पिकेटिंग हो रही है। टेहरी गढ़वाल में शराब की दुकान खोलने की बात हो रही है।

[श्री इन्द्रमणी—]

हालांकि यह आदेश संविद की सरकार के समय के हैं । मैं चाहता हूं यह कांग्रेस सरकार उन आदेशों को शीघ्र रद्द कर दे ।

इसके अलावा हमारे एक सदस्य जो हमारे इलाके से आए हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर जातिवाद आदि के बल पर कांग्रेस चुनाव जीत कर आई है । श्रीमान् बात यह नहीं है । मैं यहां के माननीय सदस्यों को इस चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि यह पहाड़ी इलाका सीमा प्रदेश से लगा हुआ है और वहां पर साम्यवादियों की गतिविधियां बड़ी खतरनाक हैं राष्ट्र-घाती हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही है । वह वहां की गरीबी हालात से फायदा उठाना चाहते हैं । एक तरफ जहां वह कांग्रेस को कहते हैं कि वह टाटा और बिड़ला से रुपया लेती हैं, तो मैं कहता हूं कि वह रूस और चीन से रुपया लेकर चुनाव लड़ते हैं । श्रीमान्, आपने काफी समय दिया, उसका धन्यवाद । अब मैं समाप्त करता हूं ताकि भविष्य में भी आपके द्वारा समय मिल सके मैं इसलिए कोई धृष्टता नहीं करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, रामधारी शास्त्री जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाषण में दिया है कि वह जोड़ लिया जाए, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने के पश्चात्, उसके हर पहलुओं को मैंने देखा । राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है वह प्रदेश का एक दर्पण होता है, जिसमें हर एक प्रदेश के निवासी का चेहरा साफ दिखाई दे । मैंने भी उसको पढ़ा, उस दर्पण को देखा, तो गरीबों का चेहरा उसमें नहीं दिखाई दिया, किसानों का चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया । बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं जैसे नहर योजना । बड़ी योजनायें चलती हैं तो छोटे उसमें पिस जाते हैं, मारे जाते हैं किन्तु राज्यपाल के अभिभाषण में उनके लिये स्थान नहीं है । नहरें निकाली जा रही हैं और उनमें छोटे किसानों के खेत, जिनके पास एक या डेढ़ एकड़ खेत हैं, पड़ जाते हैं और उनको थोड़ा सा मुआविजा दे कर संतोष कर दिया जाता है जिससे उनका गुजर बसर होने वाला नहीं है । निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके खेत निकल जाते हैं उनके लिये मुस्तकिल इन्तजाम होना चाहिए केवल दो-चार सौ रुपया दे देने से वे भूमिहीन हो जाते हैं । ऐसे भूमिहीनों के लिये भूमि की व्यवस्था होनी चाहिये, कहीं जमीन हो तो उनको जमीन दी जाय अथवा ऐसी रकम दी जाय जिससे वे अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें और अपनी जिन्दगी सुखपूर्वक बिता सकें या उनको ऐसी कोई नौकरी दी जाय जिससे उनका काम चल सके ।

नहरें जो निकाली जा रही हैं वह पानी खारिज करने के लिये निकाली जा रही हैं । अब सिर्फ बाढ़ का पानी खारिज करने के लिये किसानों की जमीन लेली जाय तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता । नारायणी का पानी खारिज करने के लिये अगर ऐसा किया जायेगा तो ८ मील के किसान उससे पीड़ित रहेंगे और वह भी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमिश्नर ने बतलाया कि जितनी नहरें निकाली जा रही है वह सिर्फ नारायणी का बाढ़ का पानी खारिज करने के लिये हैं । हम चाहते हैं कि इससे अच्छा तो यह है कि देवरिया जिले के गांवों में बहुत सी छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाऐं हैं, पम्पिग सेट्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं वह बढ़ाये जायं और जहां पर कमी हो वहां ये सुविधायें बढ़ाई जायं और इन नहरों के जाल को वापस ले लें, न बनाये जायं ।

एक बात की ओर मैं और विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भूमिहीनों के लिये कोई चर्चा नहीं है । माननीय गेंदासिंह ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है । मैंने उनके और माननीय प्लानिंग मिनिस्टर, नारायण दत्त तिवारी जी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना किन्तु उनके भाषणों में कुछ था ही नहीं । जिस अभिभाषण में प्रान्त की दरिद्रता दूर करने के लिये साधन न हों, उसके लिये दल बदलू लोग, चाहे इधर

चाहे उधर के हों वे क्या कह सकते हैं, उनको सिर्फ कुर्सियों का मोह है प्रदेश की दरिद्रता दूर करने का मोह नहीं है । मुझको याद है कि जब माननीय गेंदासिंह जी इधर बैठते थे तब देवरिया जिले की, प्रान्त की गरीबी के बारे में हमेशा चिल्लाया करते थे और गन्ना किसानों की हमदर्दी में हमेशा बोला करते थे लेकिन किस तरह से लोग बदलते हैं यह मेरी समझ में ही नहीं आता । इधर के लोग हों चाहे उधर के दरिद्रता दूर करने की कोई बात नहीं करता और कभी अगर याद आ जायगी तो बात भी करें तो न कोई प्रोग्राम रहेगा और न कोई व्यवस्था रहेगी और न कोई सुन्दर सुझाव रहेंगे । तो मैं यह चाहता हूं कि भूमि व्यवस्था के बारे में राज्यपाल महोदय ने कोई सुझाव इसमें दिया होता तो अच्छा था वह नहीं है । इसमें कृषि के बारे में कुछ पैसा खर्च करने के बारे में आया है लेकिन उससे भी लाभ किसको होगा । बड़े-बड़े किसानों को भी उससे लाभ होगा जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं । छोटे किसानों के पास कम जमीन है । जितने भी काम आज कांग्रेस सरकार ने किये हैं वे सब बड़े लोगों के फायदे के लिये किये हैं । गरीबों के फायदे के लिये कोई भी काम नहीं किया है । दरिद्रता दूर करने के लिये कोई काम नहीं किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन दिया गया है हमारी ओर से उसको ले लेने पर सारी बातें पूरी हो जायेंगी ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा कि अनाज के दाम इतने हो गये और इतना सस्ता हो गया । अनाज का भाव तो उन्होंने दिखाया लेकिन इसके साथ उन्होंने कपड़ा का मूल्य नहीं दिखाया कि वह कितना बढ़ गया । सीमेन्ट के दाम कितने बढ़ गये, लोहे के दाम कितने बढ़ गये, मिट्टी के तेल के दाम कितने बढ़ गये, इनका विवरण उन्होंने नहीं दिया । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन थोथी दलीलों से काम नहीं चलेगा । भूमि के बटवारे का ठोस प्रोग्राम होना चाहिये । उत्तर प्रदेश में जितने भूमिहीन किसान हैं उनको बड़े-बड़े लोगों के फार्म लेकर बांट दिये जांय । जो बंजर जमीन हैं वह भूमिहीन किसानों को दे दी जाय । जितने लोग बिना रोजी रोटी के फिरते हैं उनको पेट भरने के लिये रोटी का इन्तजाम किया जाय । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस दरिद्रता को दूर करने के लिये कोई प्रोग्राम नहीं दिखाई देता है । इन शब्दों के साथ मैं रामधारी शास्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन तमाम का समर्थन करता हूं ।

श्री डूंगर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं बाबू गेंदासिंह जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में पेश किया है । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सर्वांगीण उन्नति के लिये जो उत्तर प्रदेश में सम्भव हो सकती है उसका दिग्दर्शन कराया है । विशेषकर आगे आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में खेती के विकास की तरह सब से अधिक ध्यान देने की कोशिश कराई है । मान्यवर, खेती के विकास में आज बिजली की सप्लाई करने की सब से बड़ी आवश्यकता है । आज हर कोई वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रयास करता है । वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिये बिजली की सब से अधिक आवश्यकता होती है । मैं समझता हूं कि प्रदेश भर में यह समस्या होगी । तराई भाबर के किसानों को बिजली की उपलब्धि न होने से बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है । महोदय, हमारे तराई भाबर में पंजाब से, बंगाल से और पूर्वी इलाके हजारों परिवार आकर बसे हैं वे सब भूमिहीन परिवार हैं । हमारे सम्मानित भाई कहते थे कि भूमिहीन परिवारों के लिये कहीं जगह नहीं रही है । तराई में हम देखते हैं कि वहां पर हजारों भूमिहीन परिवार आकर बस गये हैं । १९५२-५३ में एक कमीशन ने यह तय किया था कि तराई की भूमि केवल पर्वतीय प्रदेश के भूमिहीन लोगों को वितरित की जायगी । उसके बाद भी लगातार उस जमीन में बाहर से बराबर लोग आये और सहर्ष कांग्रेस सरकार उनको वहां पर बसाती चली गई । आज वहां की स्थिति यह है कि बिजली के न होने से वहां के किसान उत्पादन के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं ।

[श्री डूंगरसिंह---]

और न उनको सरलता से बिजली उपलब्ध हो सकती है । बिजली है, सारे प्रदेश में---रुहेलखंड डिवीजन के सारे जिलों में बिजली की लाइनें बिछी हुई हैं मगर विद्युत् विभाग कहता है कि किसी भी किसान को या सामूहिक रूप से किसानों को बिजली की लाइन लेने के लिये उसका पूरा खर्चा देना पड़ेगा तब जाकर बिजली की लाइन उपलब्ध की जा सकती है । अभी हाल में ही पंत नगर के नगला फार्म के किसानों ने सामूहिक रूप से विद्युत् विभाग से निवेदन किया तो उनको यह जवाब दिया गया कि १२ हजार रुपया जमा किये बिना बिजली की लाइन नहीं बिछाई जा सकती है । मान्यवर, छोटी होल्डिंग के किसान १२ हजार रुपये लाइन के ऊपर खर्च करें तब जाकर बिजली उनको उपलब्ध हो, यह बड़ा मुश्किल है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय विद्युत् मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विद्युत् विभाग बिजली जल्द से जल्द और सस्ते दामों में उपलब्ध कराने की कृपा करे । तराई बहुत उपजाऊ जगह है । हजारों लाखों मन वहां गल्ला पैदा होगा जो इस प्रदेश में गल्ले की कमी की पूर्ति में काफी सहायक होगा । मैं समझता हूं कि इस ओर अवश्य ही ध्यान दिया जायगा ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्थानीय संस्थाओं का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जिला परिषद् अधिनियम के सम्बन्ध में मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि यह जो अधिनियम है विकेन्द्रीयकरण का, यह कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी देन है । उसे ठीक तरह कार्यान्वित नहीं किया गया जिसकी वजह या तो अधिकारियों की शिथिलता है या उनकी लापरवाही है ।

जहां तक क्षेत्र समितियों का सम्बन्ध है वे सभी निष्क्रिय हैं । उनको किसी तरह का कोई पावर नहीं है । तो मैं नियोजन मंत्री महोदय से इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि विकेन्द्रीयकरण की दिशा में इन छोटी संस्थाओं को अवश्य मजबूत किया जाय । जिस तरह से जिला निधि होती है उसी तरह से क्षेत्र समिति की निधियां भी स्थापित की जायं ।

मैं महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुमायूं विश्वविद्यालय का इसमें जिक्र किया है । यह बड़ी अच्छी बात है । इससे उन्होंने पर्वतीय लोगों के मनोबल को ऊंचा किया है । जिन दिनों मेरठ और गोरखपुर विश्वविद्यालय की मांग चल रही थी उन्हीं दिनों कुमायूं विश्व विद्यालय की मांग भी पेश की गयी थी । उसे स्वीकार भी कर लिया गया था । गोरखपुर और मेरठ विश्वविद्यालय तो बन गये लेकिन कुमायूं विश्वविद्यालय बनने से रह गया ।

पिछले साल जब संविद की सरकार बनी तो हमारे आदरणीय नेता जो इस समय विरोधी दल के नेता हैं और उस समय मुख्यमंत्री थे---उनसे जब निवेदन किया गया तो उन्होंने सीधे यह कहा कि विश्वविद्यालय या कालेजों की कोई जरूरत नहीं है । मैं शिक्षा को इतना महत्व नहीं देता हूं । आज सब लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे कर्मठ नेता माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने तथा हमारे इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों ने इस बात के लिये प्रयास किया और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को अंकित किया है ।

कुमायूं विकास परिषद् की भी बात हुई । कल टेहरी के एक सम्मानित सदस्य ने जो उधर बैठते हैं, उन्होंने एक गलत तसवीर पहाड़ी प्रदेश की इस सभा के सामने रखी जिससे मैं समझता हूं कि इस तरह से वहां के मतदाताओं का बड़ा अपमान हुआ है । मैं तो ऐसा समझता हूं कि वे कुछ ऐसी आंय बायं कह गये जिससे हम सब लोगों का सर नीचा ही होता है । जिस तरह की तस्वीर पेश की गयी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । मान्यवर, हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि बुंदेलखंड में कुछ न हो, पर्वतीय जिलों में ही सब कुछ हो । सारा शरीर ठीक हो, सारा शरीर स्वस्थ रहे तभी मानव चल सकता है । मगर बात यह है कि थोड़ा सा अवश्य ख्याल रखना पड़ेगा, सीमावर्ती इलाका होने से गौर से सोचना पड़ेगा कि वहां की समस्या तजी से हल की जाय । अभी गैरोला साहब ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था कि एक पर्वतीय प्रांत, कुमायूं प्रान्त अलग बनाना चाहिए, मगर हम अखंड भारत में, अखंड प्रदेश में, राष्ट्रीय

दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले लोग हैं और हर आम चुनाव में साबित करते हैं कि हम अखंड प्रदेश में विशेष रुचि रखते हैं । तो हम तो इस बात को किसी तरह विश्वास में नहीं लेंगे, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो पर्वतीय विकास परिषद् स्थापित करने के लिए घोषणा की है मैं उसके लिए राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि वह बहुत जल्द से जल्द गठित की जायगी ।

दो मिनट मुझे और दे दें । तराई भाबर में भूमिधरी अधिकार की बात है । शायद इस सदन के सदस्य तराई-भाबर की हालत को न समझते हों, क्योंकि मैदानी इलाके में भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो गये हैं, पर्वतीय क्षेत्र में प्राप्त हो गये हैं, कुछ ही हिस्सा ऐसा रह गया है जिसमें भूमिधरी अधिकार नहीं है जिसमें अधिक से अधिक गल्ला पैदा होता है । इन किसानों का अपना इनिशिएटिव होना चाहिए, उनको झोपड़ी लगाने के लिए अधिकार न हो, उससे उम्मीद करना कि अच्छी से अच्छी खेती, अन्न और फल पैदा करें कहां तक संभव है ? तो गवर्नर महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने इस भाषण में कृपा की है कि जल्द से जल्द तराई भाबर में ये भूमिधरी अधिकार लागू किये जायंगे । ये जितनी जल्द से जल्द लागू हो जायं तो वहां के किसानों और सब लोगों के लिये आगे बढ़ने का मौका रहेगा । इतना कहने के बाद में आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हर प्रशासन.....

श्री अधिष्ठाता—

कुछ नये माननीय सदस्यों को शिकायत है कि उनको मौका देना चाहिए बोलने का तो... (व्यवधान) ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे शिकायत है कि जब कोई चेयर के पास पहुंच जाता है और सिफारिशी ढंग को लागू करता है तो आप उसीको मौका देते हैं । क्या इस तरह से सिफारशी ढंग से कुर्सी तक पहुंचना और आपका उन्हीं को मौका देना क्या न्यायोचित है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, किसी सदस्य को कुर्सी तक नहीं आना चाहिए, मगर वह माननीय सदस्य, रामपालसिंह जी, मैं देख रहा हूं कि दो तीन दिन से लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता था, इसलिये मैंने नाम जानने के लिए खुद उनको यहां बुलाया था ।

श्री रामपाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने का । जहां तक प्रशासन का सवाल है, हर प्रशासन अपनी नीति में, थ्योरी में यही कहती है खेती की तरक्की करेंगे किसानों की भलाई करेंगे । लेकिन हमें देखना यह है कि उस नीति में और अमल में लगातार अन्तर क्यों पड़ता जाता है। खेती की उन्नति के लिए, जैसा अभी मेरे प्रतिपक्षी महोदय ने कहा, बिजली का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । उसकी उपलब्धि अगर हमें आसानी से हो, बिना किसी तकलीफ के हो तो उत्तम रहेगा । मैं, मान्यवर, आपका ध्यान जिला लेविल पर जो पावर कमेटी बनी हुई है, बिजली की अर्जी मंजूर करने के लिए, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । उस कमेटी में एक भी जनता का नुमाइंदा नहीं है । यह इस पक्ष के लिए और उस पक्ष के लिए भी सोचने की बात है। यह कमेटी उस जमाने में बनी थी जब कि कांग्रेस की सरकार थी । उसमें बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, जिला नियोजन अधिकारी हैं तथा कुछ और अधिकारी हैं । किसानों की तकलीफों को समझने वाला उसमें कोई भी सदस्य नहीं है मेरा इस सरकार से निवेदन है कि उसमें जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी रखे जायें, इसमें न इस पक्ष को एतराज होगा, न उस पक्ष को एतराज होगा ।

[श्री रामपाल सिंह]

जहां तक बिजली के रेट का संबंध है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्योगों के लिये दी जाने वाली बिजली के रेट्स में छूट की बात कही गयी है, लेकिन राष्ट्रपति शासन काल में खेती के लिए दी जाने वाली बिजली का रेट १२ और १४ पैसे से बढ़ा कर १८ पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया जबकि यह सरकार कृषि को प्राथमिकता देने की बात कहती रहती है। इससे मालूम पड़ता है कि सरकार थ्योरी में किसानों को सर्वोच्च स्थान देने की बात तथा उद्योगों को दूसरे नम्बर पर रखने की बात करती है, किन्तु व्यवहार में उद्योगों को पहले नम्बर पर तथा खेती को दूसरे नम्बर पर रखती है।

(इस समय बजकर मिनट पर, श्री अध्यक्ष ने पुनः सभापति का आसन ग्रहण किया।)

बिजली के एस्टीमेट्स आदि बनाने तथा उनका सर्वे आदि कराने में बड़ा टाईम लगता है। बहुत-सी दरख्वास्तें तो दो-दो साल तक पड़ी रहती हैं। क्यों पड़ी रहती हैं यह मैं बताना नहीं चाहता, आप स्वयं समझ लेंगे। जो पैसा दे देते हैं, जिनकी पहुंच हो जाती है उनको ३ महीने में ही बिजली मिल जाती है, किन्तु जिनकी पहुंच नहीं होती, जो पैसा खर्च नहीं करते वे दो-दो साल तक परेशान होते हैं। मैं नाम बता सकता हूं। मैं ऐसे केसेज भी बता सकता हूं कि कहीं-कहीं दो पोल ४-४ हजार में तैयार किये गये, और कहीं-कहीं दो पोल ५०० रुपये में ही तैयार किये गये। इसके अलावा जो बिजली के वितरण का तरीका है वह भी बहुत गलत है। नियम यह है कि जो पूरा रुपया जमा करेगा उसे फर्स्ट प्रायरिटी मिलेगी और ३ महीने में बिजली उसको मिल जायेगी। लेकिन कहीं-कहीं बहुत थोड़ा-सा रुपया देने पर भी बिजली मिली है। यानी ४०० रुपये जमा करने वाले और ५००० रुपये जमा करने वाले दोनों को एक ही पंक्ति में रखा गया है, एक साथ बिजली मिली है। यह सब बातें समाप्त होनी चाहिये। यह मैं कांसट्रक्टिव सुझाव दे रहा हूं, डैस्ट्रक्टिव नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा प्रतिबन्ध यह लगा रखा है कि सरकारी नलकूप के ६०० मीटर के अन्दर बिजली नहीं मिलेगी। अगर किसी का खेत ऊंचे लेविल पर है और बदकिस्मती से ६०० मीटर के अन्दर आता है तो उसे बिजली नहीं मिलेगी। आप अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में हर खेत पर पानी देने की बात कहते हैं। तो यह तो देश के हित में है कि आप ६०० मीटर से कम वालों को भी बिजली दें। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेज हैं जहां आपने बिजली दी है और उनका फासला ६०० मीटर से कम है। अब तो एक और नई बात पैदा हो गई है। मैं सरकार के लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दो फर्लांग के अन्दर तक के लोग भी उसमें शामिल कर लिये गये हैं। ऐसा गवर्नमेंट आर्डर जारी कर दिया गया है कि ब्लाक के लोग और प्लानिंग के लोग उस पर एतराज लगाते हैं। यह दूसरी चीज है कि प्राइवेट ट्यूबवेल को बिजली मुहैया न की जाय। मैंने अपने भाषण में आपका ध्यान चार-पांच बातों की ओर आकर्षित किया है। मेरा ख्याल है कि इस ओर सरकार ध्यान देगी।

अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उस अंश की ओर आपकी तवज्जह दिलाना चाहूंगा जिसके अन्दर कामर्शियल बैंकों से यह कहा गया है कि किसानों को कर्ज की सहूलियत दी जायेगी। लेकिन जो लैन्ड डेवलपमेंट बैंक्स हैं उससे क्या परेशानी किसानों को होती है इसका अन्दाजा आप लगायें। उसके अन्दर सुधार की कोई बात नहीं की गई है। किसान अपनी जमीन तक गिरवी कर देता है और फिर वह किसान बैंकों के दरवाजे खटकाता फिरता है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि किसानों का मान होगा। उन्होंने यह नारा दिया था कि "जय जवान, जय किसान" और वही एक कर्जदार की तरह है और एक भिखारी की तरह पड़ा है। साढ़े आठ प्रतिशत का वह ब्याज देता है तथा नियमानुसार ३५ दिन के अन्दर उसका प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होना चाहिये परन्तु उसे कर्जा देने के लिए छः छः महीने लग जाते हैं। जहां वाणिज्य बैंकों से रुपया देने की बात कही गई वहां इन बातों के अन्दर यह सहूलियत की बात होनी चाहिये कि वहां किसानों को ब्लाक के अन्दर, प्लानिंग के अन्दर और पटवारी के द्वारा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।

चुनाव की बात कही गई। चुनाव के संबंध में जातिवाद की बात कही गई। इस संबंध में मैं यह अर्ज करूंगा कि यह सब जातिवाद कांग्रेस की तरफ से ही है दूसरी ओर से नहीं है। हमारे यहां कांग्रेस द्वारा मुसलमान भाइयों को कहा गया कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी? उधर हरिजनों के लिए यह कहा गया कि चौधरी चरण सिंह ने एक कारखाना खोल रक्खा है जहां हरिजनों की हड्डियां पीसी जाती हैं। जहां हरिजन और दूसरे भाई आपस में बराबरी से रहते थे, एक दूसरे से लगाव व प्रेम रखते थे, एक दूसरे से उन्सियत रखते थे, वहां हमारे कांग्रेस के लोग, जो आपस की दूरी की खाई जो अब तक पटती जा रही थी उसको और चौड़ा करना चाहते हैं। यह इल्जाम तो हमारा है इन पर, परन्तु लगाया जाता है हमीं पर। मैं इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। हमारे बुजुर्ग भाई गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और जो विरोधी दल के नेता चौधरी साहब ने जो संशोधन पेश किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण के संबंध में सिंचाई के बारे में किसानों को सुविधा देने के लिये जो कुछ बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं, वह मेरे खयाल से जिस तरह से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, वह बहुत कम हैं। इससे अधिक खर्चा होना चाहिये और इससे ज्यादा किसानों को सुविधायें बढ़ानी चाहिये। जिससे किसान अन्न उत्पादन में सहायता कर सकें। मान्यवर, शिक्षा की बात जरूर कही गई है। शिक्षा भी जितनी होनी चाहिये उससे बहुत कम की गई है। देहातों में शिक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है। शिक्षा है तो वहां केवल प्रारम्भिक स्तर तक। हमारा जिला बस्ती इतना बड़ा है परन्तु वहां पर एक ही डिग्री कालेज है। हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल ही हुए हैं उनमें भी हर प्रकार की असुविधायें ही दिखाई देती हैं। सरकार की तरफ से चाहे जितनी भी सहायता हो सके दी जाय ताकि हमारे किसानों के बच्चे शिक्षित हो सकें और देश की तरक्की में सहयोग दे सकें। मान्यवर, जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है उस में भी जो प्राविधान रक्खा गया है, मेरे ख्याल से वह बहुत कम है। मैं जिस बहादुरपुर, जिला बस्ती के क्षेत्र से चुन कर आया हूं, वह प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बस्ती जिले का भी स्वयं वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। माननीय चौधरी चरण सिंह भी वहां गये थे वहां सिवाय धूल के कुछ नहीं है। सड़कों का वहां नामोनिशान नहीं है, वहां स्कूल नहीं हैं। वहां पर एक सड़क राम-जानकी रोड है, यह ऐतिहासिक सड़क है। इस पर लोग केवल पैदल ही चल पाते हैं, साइकिल वाले मुश्किल से चल पाते हैं और सवारी वालों का चल सकना तो अत्यन्त कठिन है। सरकार इस सड़क की ओर ध्यान दे। यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, इससे वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यह इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसकी समस्याओं पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा विरोधी पक्ष की ओर से बेकारी की समस्या को दूर करने की बड़ी दुहाई दी गयी। जब विरोधी दल की सरकार थी उसने सन् १९६५ से जो मास्टर उम्मीदवारी में काम कर रहे थे उनमें से बहुत को उन्होंने निकाल दिया। इससे मालूम होता है कि वे लोग यह बात केवल बाहर से कहते हैं दिल से नहीं कहते। इसी प्रकार से महिलाओं के लिये भी हमारे साथियों ने कहा। मेरा तो ऐसा खयाल है कि जो महिलाओं की दुर्दशा संविद सरकार के जमाने में हुई, वह महाभारत में भी नहीं हुई।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग जनता के चुने हुए हैं, उसके नुमाइन्दे हैं, हमको जो कुछ कहना चाहिये वह दिल से ही कहना चाहिये, कुर्सी के लालच के कारण नहीं कहना चाहिये। जैसा कि जब उनकी सरकार बनी थी तो अपने-अपने स्वार्थ के लिये खींचतान हुई और पीछे से कुर्सी खिंच गयी। कुर्सी के गिर जाने से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन सिंह]

कमर टूट गयी और फिर चुनाव हुआ तो कहते हैं कि बहुत खर्चा हो गया। यह सारा खर्चा किसके कारण से हुआ ? इस प्रकार बेकार के काम करने से दूर होगी, खाली बात करने से नहीं होगी। याद रखो जनता किसी की गुलाम नहीं है। इसलिये मैदान में आओ और सब लोग हाथ मिला कर काम करो और जनता के भले की बात सोचो और अपने नेता को सहयोग दो और जनता की भलाई की सलाह उस को दो। हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता का कुछ काम नहीं कर पायेंगे, यह बात बुद्धिमत्ता से परे होगी। हमें केवल विरोध की बात छोड़ कर गलत काम का ही विरोध करना चाहिये।

हरिजन कल्याण की बात भी कही गयी। कांग्रेस सरकार ने अपनी शक्ति के अनुसार हरिजनों को बहुत-सी सुविधायें दी थीं, लेकिन संविद की सरकार ने उनकी बहुत-सी सुविधाओं को बन्द कर दिया। घर बनाने के अनुदान को खत्म कर दिया। इस के अलावा बड़े त्याग और बलिदान के बाद हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ लेकिन पिछले चुनावों में हरिजनों और पिछड़े हुये भाइयों पर बड़ा अन्याय किया गया। मोटे-मोटे सोटा लेकर गुंडों को गरीबों और हरिजनों के मुहल्लों में खड़ा कर दिया और ललकार कर उन्होंने कहा कि अगर तुम वोट देने जाओगे तो तुम्हारे घर नहीं रहेंगे, खेत नहीं जोतने देंगे और तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं जाने देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस सब की एक न्यायिक जांच कराई जाय और सब के पर्दे इस में खुलेंगे कि किस ने क्या क्या धांधलियां की हैं। बी० के० डी० वालों ने मेरे खिलाफ अपने आदमी को खड़ा किया और किस तरह से उस दल के लोगों ने हमारे यहां हरिजनों को डराया-धमकाया उसकी जांच जरूर कराई जाय। मेरे क्षेत्र में बाढ़पुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत हमारे एजेंट को उनके आदमियों ने मारा, वह बेचारा रो रहा था। मैंने पुलिस वालों को दिखाया, मेरा खून खौल गया, लेकिन चूंकि चुनाव का दिन था, मैं खामोश हो गया पर अफसोस है कि पुलिस ने कोई आवाज उनके खिलाफ नहीं उठाई। लालगंज में भी मैंने यही देखा कि हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, वह बेचारा भी रो रहा था, उसे पीट कर कहा गया कि तुम साले कांग्रेस को जिताने आये हो, तुम्हें जिन्दा नहीं रहने दिया जायगा, इस तरह का वातावरण पैदा किया गया और यह बहुत ही जरूरी है कि इन सब ज्यादतियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच कराई जाय। बड़े-बड़े लोगों ने गांव सभा की जमीनें अपने भाई, बेटे और औरतों के नाम लिख रखी हैं। जो जमीन गरीब हरिजनों और भूमिहीनों को मिलना चाहिये थी उन के नाम एक इंच भी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार अधिकारियों को सख्ती से हिदायत करे कि इस तरह की जमीनें गरीब भूमिहीनों को दिलाई जायं और जिन के नाम ज्यादती कर के लिखी गई हैं उन के नाम से कैंसिल कराई जायं। मैं जानता हूं कि हर प्रकार की ज्यादती विरोधी लोगों ने की हैं। और हरिजनों को सताया है, कांग्रेस वाले उनकी मदद करते हैं लेकिन यह हमेशा बहकाते हैं अगर न्यायिक जांच होगी तो सही तथ्य सामने आ जायेंगे। जो ज्यादतियां की गई हैं वह किसी से छिपी नहीं रह सकतीं।

हमारे बहादुरपुर क्षेत्र में डिप्टी एस०पी० जीप पर दौरे पर थे और वहां उन को हमारे साथियों ने दिखाया कि हरिजन पोलिंग पर वोट डालने गये और उन को डंडे मारकर भगा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो वोट डालने कौन रोक सकता है। इस पर हरिजन फिर चले लेकिन जब डिप्टी एस० पी० वहां से चले गये तो फिर उन पर गाली डंडे पड़ने लगे, हम ने इसकी शिकायत भी कर्मचारियों से की। वह लोग पोलिंग बूथ से वापस कर दिये गये। कर्मचारियों ने कह दिया कि उन के नाम लिस्ट में नहीं हैं। मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि नाम कैसे नहीं हैं, नाम सब के हैं, लिस्ट निकालो। तब वह कहने लगे कि नाम हैं, मिल नहीं रहे थे। इस तरह की ज्यादती हुई है बी० के० डी० के लोगों की तरफ से। कर्मचारियों ने भी कांग्रेस को हराने के लिए और बी० के० डी० को जिताने के लिए पूरी मदद की। मैं चाहता हूं कि इस की न्यायिक जांच हो कि किसने क्या-क्या ज्यादतियां इन

चुनावों में की हैं । इन शब्दों के साथ में श्री गेंदा सिंह के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि आज ३ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये थे, मैंने उन को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इन विषयों पर चर्चा राज्यपाल के संबोधन पर विवाद में हो सकती है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इसमें एक प्रस्ताव बड़े महत्व का था । उत्तर प्रदेश में ३५ हजार अध्यापक हड़ताल पर रहे और कई मास से उन का वेतन नहीं मिला है और उन को बड़ा असंतोष है ।

श्री अध्यक्ष—

संबोधन में भाषण देते हुए असंतोष व्यक्त किया जा सकता है ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

इस पर कम से कम २ घंटे की बहस ही अलग से करा दें । यह आन्दोलन राज्यपाल शासन में चल चुका है, हो सकता है कि फिर चले । यह बहुत आवश्यक है कि अब शिक्षा जगत में शांति रखी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रस्ताव लिख कर दे दीजिये ।

नियम ५१ के अन्तर्गत १०-११ सूचनायें आयी हैं, उनको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है । कुछ के बारे में मैंने कहा है कि वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दे दें, शेष को स्वीकार नहीं किया है ।

उर्दू में शपथ न लेने देने सम्बन्धी विवाद पर सरकार से वक्तव्य की मांग

एक सदस्य—

श्रीमन्, राज्यसभा और लोक सभा में उत्तर प्रदेश में उर्दू में शपथ न लेने के संबंध में वादविवाद उठा है तो मैं चाहूंगा कि सरकार उस संबंध में एक बयान दे दे ?

श्री अध्यक्ष—

सरकार ने बयान दे दिया है कि इस मामले में वे स्वतंत्र हैं । अगर नियमों में कोई परिवर्तन आप कराना चाहते हैं तो आप अपना लिखित प्रस्ताव भेज सकते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्य मंत्री जी अगर शपथ लेने के संबंध में अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और सदन को बता सकते हैं कि उनकी क्या नीति है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति)—

इस समय हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं है । जब कोई प्रश्न आयेगा देखा जायगा । इस समय मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्री विद्याचरण शुक्ल ने लोकसभा में बयान दिया है. . . .

श्री अध्यक्ष—

उस बयान पर कुछ नहीं हो सकता है। आप लिख कर प्रश्न भेजें, तब पूछ लिया जायगा। मैं चाहूंगा कि नियमों के अनुसार ही प्रश्न किया जाय।

एक सदस्य—

श्रीमन्, लखनऊ के बारे में मैंने एक प्रस्ताव किया था कि २५० पुलिस के जवान एक आदमी के....

श्री अध्यक्ष—

आप अपने भाषण में कह लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश, विधान सभा, की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९, जो विधान सभा द्वारा १९ मार्च, १९६९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज (दिनांक २१ मार्च, १९६९ को) वापस प्राप्त हो गया है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन दिए गये हैं, उनके संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस समय हमारे शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित हैं और मैं समझता हूं कि हमारी उन बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो शिक्षा के संबंध में हैं। सबसे पहले मुझे यह कहना है कि जो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं अथवा माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक या विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, उनकी एक मांग थी कि समान कार्य के लिये समान वेतन हो। किन्तु इस सिद्धान्त की बिल्कुल हत्या की गयी है। जो नवीन वेतनक्रम माननीय मंत्री महोदय ने घोषित किये हैं, उनसे सभी अध्यापकों में रोष है। राज्यपाल महोदय के काल में जो आन्दोलन अध्यापकों ने किया था और आन्दोलन वापस लेने पर जो राज्यपाल महोदय से इस संबंध में बातचीत हुई थी उसका पालन करने की चेष्टा भी यह सरकार नहीं कर रही है। राज्यपाल महोदय के समय जो आन्दोलन हुआ वह कितना तीव्र हुआ था। ५६ हजार अध्यापक उसमें सम्मिलित हुए थे और १८ हजार अध्यापक फेल हो गये। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापक भूख हड़ताल पर रहे और सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था ठप रही। इतना बड़ा आन्दोलन होने पर गंभीरता से उस पर विचार न किया जाय बड़े खेद की बात है। अनुपूरक अनुदान जब आवें और उनमें कोई घोषणा न हो तो सरकार के प्रति क्षोभ होना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि देश में यह जो इस प्रकार के आन्दोलन बार-बार चलते हैं यह कोई वास्तव में अच्छी चीज नहीं हैं लेकिन यह सरकार पर ही अधिक निर्भर करता है कि वह आन्दोलन करने का मौका देती है या नहीं। अभी जो घोषणा हुई है यदि थोड़ा सा भी अध्यापकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके वेतनक्रम और महंगाई भत्ता तय किया जाता तो यह खामी न रहती।

मैं आपका ध्यान प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों तथा सरकारी शिक्षा संस्थाओं के वेतनक्रम में जो अन्तर व कमियां रह गयी हैं उनकी तरफ दिलाऊंगा। इंटर कालेज के जो प्रिन्सिपल हैं उनके वेतनक्रम में ७ साल का गैप है। इसी प्रकार से हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के वेतनक्रम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में १२ साल का गैप, इंटरमीडिएट कालेज के अध्यापकों के वेतनक्रम में १२ साल का गैप, सी० टी० के अध्यापकों के वेतनक्रम में १३ साल का तथा जे०टी०सी० के अध्यापकों के वेतनक्रम में १० साल का गैप छोड़ा गया है। इसी प्रकार दक्षता अवरोध इन वेतनक्रमों में जो रखा गया है उसके मुकाबले सरकारी अध्यापकों का कम है और प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों में दक्षता अवरोध ज्यादा से ज्यादा रखा गया है तथा उनको मैनजरों तथा प्रबन्धकों की कृपा पर छोड़ दिया गया है। अधिक से अधिक दक्षता अवरोध होंगे तो मैनेजर व प्रबन्धक मनमानी करके किसी भी समय अध्यापक को परेशान कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का अध्यापक जब अन्तिम स्टेज पर पहुंचेगा तो उसे २६ साल लग जायेंगे और २६ साल की सेवा करने के बाद वह इस ग्रेड को ले सकेगा यानी कोई भी इस ग्रेड को नहीं ले सकेगा। लिहाजा शिक्षा मन्त्री जी, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर ध्यान दें और उसे स्वीकार करें तो यह क्षोभ जो प्रान्त व्यापी है वह काफी हद तक दूर हो सकेगा। यानी एक तो गैप कम होना चाहिये और दूसरे दक्षता अवरोध के सालों में कमी होनी चाहिये। इंटरमीडिएट कालेज के प्रिन्सिपल का जो ग्रेड हमने प्रस्तावित किया है उस में यह १६ साल में गैप पूरा हो जायगा और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनसे एक साल का अन्तर पड़ेगा। इसी तरीके के नान-गवर्नमेंट स्कूल्स के हेडमास्टर्स का ग्रेड २४०-१०-२५०-२५-४५०-३०-६०० रु० होना चाहिये, गैरसरकारी इंटरमीडिएट कालेज के असिस्टेंट मास्टर्स का ग्रेड २१५-१५-३००-२०-४००-२५-५५०रु० होना चाहिये, ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स का ग्रेड १३८-६-१५०-८-१९०-१०-२६०-१२-३२०-१५-३५० रु० होना चाहिये, ट्रेन्ड अंडर ग्रेजुएट्स का ग्रेड १००-५-१२०-६-१८०-१०-२५० होना चाहिये और जे० टी० सी० का ग्रेड ८०-४-१२०-५-१८० होना चाहिये। ऐसा करने से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के ग्रेड की समानता बहुत कुछ पास-पास पहुंच जायगी। मैं आशा करता हूं कि यह जो प्रान्तव्यापी असमानता है माननीय शिक्षा मंत्री जी उसको दूर करने की चेष्टा करें।

दूसरे जो विश्वविद्यालय या माध्यमिक स्तर के अध्यापकों ने ३५ दिन की हड़ताल की थी उसका वेतन उनको अभी तक नहीं मिला है जबकि सरकारी कर्मचारियों ने जब ६२ दिन की हड़ताल की थी तो उस पीरियड का वेतन उनको दे दिया गया था। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पूरे प्रदेश में आदेश भेज कर उन ३५ दिनों का वेतन उन अध्यापकों को दिलवाने की कृपा करें।

जहां तक महंगाई की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि संविद सरकार ने महंगाई के मामले में सरकारी और गैरसरकारी कर्मचारियों को बराबर कर दिया था और आन्दोलन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी परन्तु आज यह सरकार फिर वैसी ही स्थिति ला रही है कि आन्दोलन करना पड़े। वह १ जनवरी से महंगाई भत्ता देना चाहती है जबकि १ अगस्त, १९६८ से मिलना चाहिये। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के सभी अध्यापकों ने राज्यपाल के शासन में आन्दोलन किया और राज्यपाल महोदय ने एक रात में यानी ४ तारीख को उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जिससे कि ४ करोड़ का अधिक खर्चा हुआ। यह केवल कांग्रेसी प्रत्याशियों को जिताने के लिये किया गया। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों को महंगाई भत्ता देने में केवल ३५ लाख रुपये का ही खर्चा था। उसके लिये राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि जब जनप्रिय सरकार आयेगी तब होगा। अब जब जनप्रिय सरकार आ गयी तो इसे माना जा रहा है। इस प्रकार यह मंहगाई भत्ता भी नहीं दिया गया और ३५ दिनों का वेतन भी अभी तक नहीं दिया गया।

इसके अलावा गैर-शिक्षक कर्मचारियों की दशा तो बहुत ही दयनीय है। उनका सन् ४७ से लेकर आजतक वेतन-क्रम नहीं बना। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा नियम ही अभी तक नहीं बने हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्रम और सेवा नियम शीघ्रातिशीघ्र बनाने की कृपा करें।

इसके साथ ही जहां तक पुलिस का संबंध है हमारे जिले में भी पुलिस का बहुत अत्याचार हो रहा है। राज्यपाल महोदय ने जो पुलिस की प्रशंसा की है वह झूठी प्रशंसा है। मैं एक

[श्री मोहन लाल कपूर—]

ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जो कभी सुनने में नहीं आया होगा। एक थाने में एक सज्जन दो व्यक्तियों की जमानत करने गये तो उनको जेल में डाल दिया गया और उसके बाद वहां के थानेदार ने जो दिल्ली गेट थाना है उसमें कुत्ते छुड़वा दिये और कुत्तों ने उनको काटा और काटकर जख्मी कर दिया। जमानत करने वाले के प्रति इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निन्दनीय है। ऐसी पुलिस की प्रशंसा नहीं की जा सकती है और वह निश्चित रूप से निन्दा की हकदार है।

पश्चिमी जिलों की यह मांग है कि न्याय सस्ता हो और जल्दी मिलना चाहिये। इस दृष्टि से उन लोगों की आकांक्षा है कि वहां पर हाई कोर्ट की बेंच खुलनी चाहिये। मैं आपने द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां के लिये एक हाई कोर्ट की बेंच खोल दी जाय।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल किस तरह से हमारे शिक्षा जगत में शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में केवल नकल कराकर पी० एच० डी० की डिग्री दी गई है। इसका समाचार समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। लेकिन सरकार ने इसका पता लगाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जांच करायें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में दिसम्बर—जनवरी में नकल कराकर पी० एच० डी० की डिग्री क्यों दी गई है। इसके बाद धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन मेरा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को जहां तक मैं समझा हूं वह यह है कि इनको कार्य रूप में लाना चाहिये जिससे हमारे प्रदेश में काफी सुधार और उत्थान हो सकता है। १९६७ में भी इसी प्रकार से मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये थे। उस समय मैंने अपने क्षेत्र की शाहबाद-पिहानी सड़क बनाने का सुझाव दिया था और राज्यपाल जी जब माह नवम्बर में हरदोई गये थे तो मैंने इसके संबंध में मौखिक रूप से भी कहा था। लेकिन अभी तक कोई जानकारी अथवा एकनालेजमेंट तक नहीं आया कि इसमें क्या कार्यवाही हो रही है। मेरे क्षेत्र के देहातों की सड़क बड़ी ऊबड़-खाबड़ हैं और इसके बारे में अधिकारियों से भी लिखा-पढ़ी की जा रही है लेकिन वे कुछ विचार नहीं करते हैं।

इस अभिभाषण में सिंचाई के संबंध में भी जिक्र किया गया है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि और अब भी सुझाव देता हूं कि हमारे क्षेत्र में अन्तोरा ग्राम के ७०/८० आदमियों ने छोटे माइनर बनाने के लिये प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसी तरह से बिजली के सिलसिले में भी साहती नगर, पंडरवानगर आदि गांवों से प्रार्थना-पत्र दिया गया था। वहां १५ ट्यूबवेल का बोरिंग हो चुका है लेकिन बिजली नहीं मिल सकी है। इस तरह से हम सदन में विचार व्यक्त करते हैं पर उसमें कुछ हो नहीं पाता है तो हम अपने क्षेत्र में क्या उत्तर दें। देहात की जनता यह तो देखती नहीं है कि हम यहां क्या कर रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिले की ऐसी एक कमेटी बनाई जाय जिसमें उस क्षेत्र के विधायक भी हों जो वहां की बिजली, सिंचाई और सड़कों आदि की समस्याओं पर विचार किया करें। चाहे किसी पार्टी के विधायक हों वहां की जनता तो राहत पायेगी वह भी क्या समझें कि २१ वर्ष हमारे देश में आजाद हुये हो गये हैं। जिसकी लहर देहाती क्षेत्र में भी कभी आती है। तो मेरा यह सुझाव सरकार से है, आशा है कि इस पर विचार किया जायगा।

हरिजनों के सिलसिले में माननीय राज्यपाल ने जिक्र किया है पानी पीने की व्यवस्था के संबंध में। पानी पीने के कुओं के संबंध में भी मुझे इस सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है मैंने कहा है कि इस संबंध में सबसे अधिक परेशानी हरिजन वर्ग में मेहतर वर्ग

को है। मैंने कई बार कहा है कि देहातों में केवल एक दो घर भंगियों के होते हैं। वहां पर इनके लिये कुंआं नहीं बन पाता है। कुओं और मकानों के लिये जो अनुदान मंजूर भी होता है तो इतना भ्रष्टाचार है वहां दफ्तरों के कर्मचारियों में कि वह अनुदान महीनों हो जाते हैं नहीं मिल पाता। मैं समाज कल्याण विभागा के मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सिलसिले में वह जानकारी करें, और मैं यह सुझाव रखूंगा कि बहुत ही शीघ्र वह हरिजन कल्याण बोर्ड की स्थापना करें ताकि खुल करहम सुझाव दे सकें। जब वहां घोषणा हो जाती है अनुदान की तो दो-दो महीने हो जाते हैं अनुदान नहीं मिलता। पांच सौ रुपया मंजूर होता है तो सौ रुपये रिश्वत मांगे जाते हैं। हरिजन वर्ग और विशेषकर भंगी वर्ग इन सुविधाओं से इस प्रकार वंचित रह जाता है।

माननीय राज्यपाल ने कुटीर उद्योगों का भी जिक्र किया। देहातों में मेहतर वर्ग की संख्या बहुत कम है, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। इनका भी आर्थिक उत्थान हो, इसलिये शहर में रहने वाले मेहतरों के मोहल्लों में इनकी सहकारिता समिति बनाकर झाड़ू बनाने का काम शुरू किया जाय। उसकी खपत भी वहीं हो सकती है। प्रत्येक नगरपालिका और महापालिका हजारों की तादाद में झाड़ू लेती है। मेहतर झाड़ू बनाने में होशियार भी होते हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योगों के जरिये इनका आर्थिक विकास हो सकता है। श्रीमन्, आप बत्ती जला कर भयभीत कर रहे हैं। मैं केवल तीन मिनट और चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है कि १९६६ में स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों की जांच करन क लिय एक कमेटी गठित की गयी। १९४७ में खेर कमेटी के नाम पर एक कमेटी गठित हुई थी। १९६६ में इस कमेटी का गठन हुआ था। मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। मैं उस कमेटी की बात याद करता हूं कि १९४७ की कमेटीकी सिफारिशों को १९ वर्षों में भी अधिकांश नहीं माना गया था। इसी प्रकार से इस कमेटी से जो मैंने सिफारिशें भेजी हैं एक काम तो यह किया गया कि हमारी सिफारिशों को काफी काटा छांटा गया। यह मेहतर वर्ग के साथ अन्याय किया गया। मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाय। एक और सुझाव देना चाहता हूं कि एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाय कि जो इस बात की जांच करे कि प्रदेश में किन-किन महापालिकाओं और नगरपालिकाओं ने मेहतरों के संबंध में इस कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है और मेहतरों की सुविधायें प्राप्त होने लगी हैं और किन्हीं ने इसकी सिफारिशें लागू नहीं की है। इसकी वह सरकार को रिपोर्ट दें। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपन मुझे समय देने की कृपा की।

श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में नीति निर्धारित करना होता है। जो बातें रखीं गई हैं वह देखने में हैं। मेरी समझ से तो बहुत बातें रखी गयीं और कही गयीं, लेकिन इस पर आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री से या कांग्रेस वर्ग के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिये वह कहां तक उस पर अमल करते हैं। अमल करना ही मैं समझता हूं इस अभिभाषण का महत्व होगा। इस अभिभाषण के अन्दर बहुत-सी बातों की चर्चा की गई है। भ्रष्टाचार के संबंध में कहा गया है। भ्रष्टाचार क संबंध में बहुत बातें की भी गयीं और आगे भी होंगीं। लेकिन हमको यह सोचना है कि भ्रष्टाचार शुरू कहां स होता है। म तो यह समझता हूं कि भ्रष्टाचार कोई नीचे से नहीं होता, ऊपर से ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशा खात है तो उसके पैर में कमजोरी तो नहीं आती, उसके मस्तिष्क में कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से पैर लड़खड़ाने लगता है और वह नाली में गिर जाता है। आज भ्रष्टाचार के संबंध में मैं तो यह समझता हूं कि भ्रष्टाचार ऊपर से ही होता है नीचे से नहीं। आज मस्तिष्क में ही भ्रष्टाचार है। मैं यह आप से कहना चाहता हूं कि कोई नीचे के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार नहीं होता, बल्कि होता है ऊपर से और उसमें क्या चीज है, उसको यहां पर कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

[श्री नगीना सिंह—]

दूसरी बात यह है, अभी हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारी चतुर्मुखी योजनाएं हैं। ठीक है आपकी चतुर्मुखी योजनाएं हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें आपने कौन से अंग लिया है। मैं तो यह समझता हूं कि जो कार्य होना चाहिये, जिस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिये, उस पर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि ऐशो आराम वाली चीजों पर आपने विशेष ध्यान दिया है। आज होता क्या है कि जब हम बैठते हैं कहीं थोड़ा-सा आनन्द लेने के लिये तो वहांपर जैसा कि हमारे मित्र ने अभी कहा है गाने के संबंध में—आनन्द लेने के लिए हम गाना सुनते हैं। वह वास्तव में बहुत ही अश्लील होता है और उसमें ही हम आनन्द लेते हैं। सड़कों पर भी नौजवान और बच्चे हर एक वक्त अश्लील गाना गाते हुए चलते हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है, वह आपकी चतुर्मुखी योजनाओं की कारगुजारी है, जिसमें आपने ऐशो-आराम पर बहुत जोर दिया है। जिसके कारण नौजवान और बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सचमुच सुधार हो और ऐसे गाने बन्द हों, तो उसके ऊपर भी आपको विचार करना है।

मैं निर्माण के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। निर्माण मंत्री तो यहां नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है जहां पर जो चीजें आवश्यक होती है जिस चीज को बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पर वह नहीं बनती। आप जिसके जरिये काम कराना चाहते हैं यानी अधिकारी वह अपने मन को करता है और वह भी अपने मन की क्या वह उसके अनुसार कार्य करता है जो ठेकेदार होता है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, कोई पुलिया बन रही है, तो उसमें ठेकेदार होते हैं, उस ठेकेदार के कहने से वहां की इंजीनियर काम करता है। वह ठेकेदार बतलाता है कि यह काम करो इसमें विशेष फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर मैं बलिया जिले के एक बांध के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सन् १९६२ में वहां पर एक बांध बना और टोंस नदी की कटान हो रही थी उसके लिये वहां के लोगों ने कहा कि स्पर बनाओ कटान रुक जायेगी। लेकिन वहां पर इंजीनियर ने कहा कि स्पर नहीं बनना चाहिये बल्कि एक दूसरा बांध बनना चाहिये। यहां दो तीन गांव ऐसे हैं जिसके तीन तरफ बांध बन गया है और उसमें वहां के किसानों की जमीन चली गयी और उनके खेतों का मुआविजा तक नहीं मिला। वह ऐसी जमीन है जहां एक फुट जमीन खोदिये बालू ही बालू मिलेगी। वहां इंजीनियर की राय पर दूसरा बांध बनाया जाने वाला है जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो संविद् के मंत्री थे, उनसे भी कहा गया था लेकिन संयोगवश संविद् फेल कर गयी और वे हट गये। अब हमारे भाई कहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस। केवल कांग्रेस का नाम लेने से काम चलने वाला नहीं है।

मुझे आज की कांग्रेस को देखकर बड़ा दुख होता है कि जिसके नाम पर आज ये कांग्रेस के लोग बड़ी दुहाई दिया करते हैं। उस महापुरुष की तसवीर जो आपके ऊपर लगी हुई है उस महापुरुष ने ४८ में ही कहा था कि आप कांग्रेस का नाम बदल दो, दल का नाम बदलो और दूसरी तरफ काम करो। सरकारी काम जो दल करता है उसका नाम कांग्रेस रख दो कांग्रेस पार्टी का नाम बदल दो लेकिन लोगों ने जब ध्यान नहीं दिया तब उस महापुरुष ने कहा कि उनकी अब आवश्यकता नहीं है और भगवान से प्रार्थना की कि उसको दुनिया से उठा लो और बात भी वही हुई। उसके तीन-चार महीने बाद वह भगवान के यहां चले गये। लेकिन आज भी हमारे कांग्रेसी मित्र महात्मा गांधी के नाम की दुहाई देते हैं। मुझे दुख होता है कि हम महात्मा गांधी का काम तो नहीं करते, इसलिये गांधी का नाम लेना बन्द करें। तो कांग्रेसी सरकार से आशा करनी कि वह बांध जो बनने जा रहा है, उसको देखे कि उसकी आवश्यकता है या नहीं है। वहां पर जरूरत है सड़क बनाने की, ट्यूबवेल्स की और मैं यह सुझाव देता हूं कि ट्यूबवेल्स या पम्प नहर कुछ भी लगा दें जिससे वहां के किसान खेती करें और उन्नति करें। किसान के पास वहां न तो सिंचाई के साधन हैं और न उन्हें अच्छा बीज और अच्छी खाद मिलती है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच देश में आप चाहते हैं कि किसान पैर पर खड़ा हो, तो उसके

लिये सिंचाई प्रबन्ध हो, अच्छा बीज और अच्छी खाद समय पर मिले। मुझे अभी और भी बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन समय के बंधन में बंधने के कारण नहीं कह पा रहा हूं लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि दल बदलने की बात बहुत कही जाती है लेकिन दल बदलने से काम चलने वाला नहीं है मनों के बदलने की आवश्यकता है, मन बदलिये और जब तक हमारे मन नहीं बदलते, विचारों में परिवर्तन नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके द्वारा यह कहता हूं कि यदि यह मंत्रिमंडल के लोग अपने नीचे के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान न देकर जो ऊपर के वर्ग के कर्मचारी हैं उन पर विशेष ध्यान दें और जहां पर भ्रष्टाचार है उसको दूर करें तो देश और प्रदेश दोनों का कल्याण हो सकता है।

*श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच रहा था कि हमारे चौधरी साहब ने जिन बातों का जिक्र किया है, उसके सम्बन्ध में इस धन्यवाद के प्रस्ताव में कुछ कहूं। चौधरी साहब ने ज्यादातर हरिजनों को आकर्षित करने के लिये दो एक बातें कहीं। वह यह कि हरिजनों को तरक्की देने के लिये इनके साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किये जायं और समाज में ऐसा करने वाले को स्थाना दिय जाय। कुछ बड़े खेत वालों को आकर्षित करने के लिये कहा कि जमीन पर खेती का भार कम किया जाय। मैं नही समझता हूं कि चौधरी साहब इस भूमिहीन समाज के लिये और गरीबों के लिये कितनी हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि क्या कोई समाज में इस तरह के लोग हो सकते हैं जो गरीब हरिजनों के साथ, जिनके पास जमीन हो, जिनके पास निर्वाह के लायक भी साधन न हों, उनके साथ कोई विवाह जैसा सम्बन्ध हो सकता है। आकर्षक नारा लगाया जाता है। इसी नारे की बदौलत समाज को बहकाया जाता है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की एकता तो तोड़ने के लिये बी० के० डी० की तरफ से कितने बेजा कदम उठाये गये हैं। यही नहीं बल्कि मैं यह सोचता हूं कि जितना आकर्षण चौधरी साहब के नाम पर कांग्रेस छोड़ने के बाद हुआ है इसके पहले कभी नहीं रहा क्योंकि यह भाई लोगों ने कहा कि हम उम्मीदवार को नहीं देखते हैं, हम तो चौधरी साहब के नाम पर वोट देते हैं। ऐसी आशा दिखाई गई कि इससे गरीब समाज का हित होगा। इस तरह के नारे से गरीब समाज का हित नहीं हो सकता है। संविद् सरकार ने यह तय किया कि जिन लोगों ने सन् १९६४ में जमीन ली है उन किसानों को बेदखल किया जायगा। बड़ा शोर मचा कि बेदखली हो रही है। एक एक तहसील में ६, ६ हजार मुकदमे दाखिल हुये। वह केवल विश्वास के नाम पर हुआ। बड़े किसान बहुत कम बेदखल हुये तो गरीब ही बेदखल हुये। बड़े किसानों पर न जुरमाना हुआ और न जमीन छूटी। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा विधान बनाया जाय जिससे हरिजनों का लाभ हो। संविद् सरकार के शासन में लोग यह आशा करते थे कि अब हरिजनों को और भूमिहीन किसानों का, गरीब समाज का हित होगा लेकिन वह चीज अमल रूप में सामने नहीं आई।

हरिजनों के लिये बात तो बहुत कही गई लेकिन हुआ कुछ नहीं। बल्कि यह हुआ कि जहां-जहां ऐसी जरूरत हुई कि हम लोग आवाज उठायें कि इन गरीबों का हित किया जाय तो वहां वैसा नहीं हुआ बल्कि बड़े किसानों ने गांव समाज की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जिन लोगों ने सभापति से इजाजत लेकर पट्टा लिखाया था वह कांग्रेस के खिलाफ चले गये। इसलिये बी० के० डी० में वह सब चले गये। चौधरी साहब जब कांग्रेस में थे तो कहा करते थे कि सोशलिस्टों में कितने बुरे आदमी हैं और कितने खराब आदमी हैं। इसी तरह से कहते थे कि जनसंघ में भी कितने खराब आदमी हैं। पी० एस० पी० में वह कहते थे कि अच्छे आदमी नहीं हैं। कांग्रेस में कहते थे कि कम आदमी खराब हैं। मैं सोचता था कि चौधरी साहब संविद् में जाने के बाद, जिनको वह गलत आदमी और खराब आदमी कहते थे, उनका कितना सुधार किया। जो गलती समझते थे उसका कितना सुधार किया। मैं समझता हूं कि वह खराबी और बढ़ी। मैं यह भी अर्ज करूं कि हम कांग्रेस वालों ने एक साल पहले कुछ प्रदर्शन भूमिहीनों के पक्ष में किये थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वाला प्रसाद कुरील —]

भूमिहीनों के पक्ष में प्रदर्शन करने पर कहा गया कि गांव समाज का एक मैनुअल बनेगा जमींदारी एबालिशन के बाद और उसमें इस तरह की व्यवस्था होगी कि गरीबों को भूमिहीनों को जमीन दी जाय । लेकिन उस समय से लेकर आज तक कभी भी उसका सही ढंग से पालन नहीं हुआ है । प्रदर्शन में हमसे यह भी कहा गया था कि आज तो प्रदर्शन कर रहे हो लेकिन जब कांग्रेस सरकार बनेगी तब क्या करोगे ? हमने कहा कि हम उस वक्त भी प्रदर्शन करेंगे और उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं । एक बात ऐसी है जिसका हमें बराबर शक बना रहा कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस की हुकूमत न आवे और संविद की सरकार रहे तो हमारा हित कैसे होगा । तो मैं चाहता हूं कि ऐसे नियम बनाये जायं जिससे जिस परिवार के पास अधिक जमीन हो उससे उनको बेदखल करके वे जमीनें गरीबों को दी जायं । हरिजनों का बार-बार जिक्र किया जाता है लेकिन मैं हरिजनों की बात छोड़ता हूं और भूमिहीनों व गरीबों की ही बात करता हूं । ऐसे-ऐसे नारे लगाये जाते हैं भारतीय क्रान्ति दल की तरफ से जो मैं समझता हूं कि समाज को विघटन की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले हैं । बैकवर्ड एलिमेंट्स में खासतौर से यादव और कुर्मी के नाम पर जातिवाद के नारे लगाये गये जिसका नुकसान केवल हमें ही नहीं पहुंचा है बल्कि उस जातिवाद के कड़वे घूंट उनको भी पीने पड़े हैं । जैसे संविद् के दाहिने हाथ कहे जाने वाले श्री जयराम वर्मा जैसे आदमी को भी १६ हजार वोटों से हारना पड़ा । केवल नारे लगाने से ही गरीबों का हित नहीं होगा जब तक कि उनके लिये उस तरफ ठोस कदम नहीं उठाये जायेंगे । जमना और कानपुर के सेंगर नदी के किनारे के किसान अपने खेतों के दाने खेतों से घर पर नहीं ला सके ।

एक बात मैं और कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने इधर काफी दौरा किया है । राष्ट्रपति शासन काल में भी वे दौरे पर गये और अपना फर्ज अदा करने की उन्होंने कोशिश की । लेकिन एलेक्शन के दिनों में जब वे किसी उम्मीदवार के इलाके में गये तो वहां जलसा किया गया और उनको मानपत्र भेंट किया गया । लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि इसकी जानकारी न तो वहां जाने वाले नेताओं को हुई और न राज्यपाल को हुई कि यह सब किसलिये किया जा रहा है । बहरहाल, जो कुछ हुआ वह हुआ, लेकिन अब जनतांत्रिक हुकूमत आ गयी है । मेरी जानकारी में यह बात है कि सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता भूमिहीनों को जमीन देने के लिये नारे लगा रहे थे उनसे जब कहा गया कि अपने कब्जे की अधिक जमीन भूमिहीनों में बांट दो तो उसे किसी ने नहीं दिया । ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि एक-एक सोशलिस्ट नेता के पास गांव समाज की चार-चार सौ बीघे जमीन कब्जे में थी जिसे उन्होंने नहीं छोड़ा और पहुंच गये जेल में । इस तरह से जो अधिक जमीन है वह खासतौर से बड़े किसानों के पास ही में है और जिनकी शुमार बैकवर्ड क्लास में होती है । उनमें अधिकतर रुचि लेने वाले बी० के० डी० के ही लोग हैं जो गरीबों के हित की बात करते हैं । उनको चाहिये कि जब वे गरीबों के हित की बात करें तो पहले उन गरीबों और भूमिहीनों के लिये अपनी जमीन छोड़ दें । केवल इसका नक्शा दिखला देने से और गरीबों की बात करने से यह काम नहीं होने वाला है । गरीबों से हमदर्दी की बात तो सभी कहते हैं क्या सोशलिस्ट, क्या पी० एस० पी०, क्या बी० के० डी०, क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट लेकिन जब वे गरीबों के हित की बात करते हैं तो उसमें उनकी स्वार्थ सिद्धि की बात जरूर रहती है । सब लोग अपने-अपने हित की तरफ दौड़ते हैं । बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि किसान से कोई कर न लिया जाय । वह इसलिए कि उन्हें बड़े किसानों से मदद मिलती है । अगर बड़े किसानों से टैक्स लेते हैं तो वे कमजोर पड़ जायेंगे, इसलिए यही नारा लगाते हैं कि टैक्स मत लो । मैं कहता हूं कि देश और प्रदेश के उत्थान के लिए जहां जरूरी हो तो वहां गरीबों से टैक्स लिया जाय । साथ ही मैं देखता हूं कि कहीं की लेबर हो, मिल की हो, फैक्टरी की या सरकारी सर्विस, सब की तनख्वाह की बात करते हैं लेकिन खेतिहर मजदूर की हीन दशा की ओर कोई नहीं देखता । आजकल की विकट महंगाई में उनके लिये कितनी रोजी-रोजगार होना चाहिए उसके लिये जबतक एक आयोग द्वारा जांच नहीं की जाती है तबतक उनकी हालत नहीं सुधर सकती । इसलिए उधर अवश्य ध्यान दिया जाय । साथ ही जमना के किनारे कानपुर में ऐसी हालत है कि न रास्ते हैं, न पानी का इन्तजाम

है। एक अजीब इन्तजाम यह है कि जहां पानी ऊंचे लेविल पर है वहां सरकारी ट्यूबवल बनाने की बात होती है। जहां माइनर इरिगेशन से काम होता है वहां ट्यूबवेल बनते हैं। लेकिन जहां गहरी जमीन है, जहां न बम्बे से पानी मिल सकता है न पंपिंग सेट से, न वहां लिफ्ट इरिगेशन का जरिया है वहां सरकारी ट्यूबवेल बनाइये तो किसानों की हालत सुधर सकती है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उसमें कुछ संशोधन मैंने भी रखा है। मैंने सबसे पहले किसान की मालगुजारी के सवाल पर चर्चा की है। किसान की मालगुजारी का सवाल आज जिस तरह से इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले मान चुके हैं उस पर दो राय नहीं हो सकती। सवा छः एकड़ तक का लगान छोड़ने के बारे में कांग्रेस की तरफ बैठने वाले जो उधर बैठे हुए हैं वह उधर जाते ही भले ही भूल गये पर यह जरूर है जब इधर बैठे थे तो इधर आकर थोड़ी सी समझ आयी। उधर बैठकर थोड़े ही दिन में वह उस बात को न भूलें जो इधर बैठकर कहते थे वरना वही न हो जाय जो दुरुस्ती होती है —मैं इशारा करता हूं। माननीय बहुगुणा जी जो आजकल कांग्रेस के मंत्री हैं विधायक जब थे तो उनकी तरफ से सवा छः एकड़ तक लगान छोड़ने का संशोधन पेश हुआ था इसी सदन के अन्दर, मगर आज उधर से किसी माननीय सदस्य ने भी और जो चर्चा मेरी तरफ से हुई है, उसमें भी किसी माननीय सदस्य ने सवा छः एकड़ तक लगान छोड़ने की चर्चा नहीं की, इसलिए मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इधर माननीय नेता विरोधी दल ने भी उसकी कोई चर्चा नहीं की। माननीय नेता विरोधी दल जब कि उसकी पहले स्वयं घोषणा कर चुके थे और उस १९ सूत्री कार्यक्रम में सबसे प्रथम स्थान उसी को दिया गया था। सभी दल उसको मान चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। यह ऐसा विषय है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस आर्थिक क्रान्ति के बारे में लोग आशावान है, जिस प्रदेश की गरीबी को आप मिटाना चाहते हैं, और उसकी दुहाई देते हैं, जिसके बारे में २० वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, वह आर्थिक क्रान्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि आप मेहनतकश और मजदूर लोगों को साधन और सम्मान नहीं देंगे। बिना इसके आर्थिक क्रान्ति असम्भव है।

संविधान सरकार का बहुत जिक्र हुआ। पब्लिक इन्क्वायरी अध्यादेश के बारे में माननीय नियोजन मंत्री ने कहा और उसका बड़ा उपहास किया कि ४ महीने तक क्योंकि उसके सामने कोई केस नहीं आया, इसलिये उसकी जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उससे प्रदेश की जनता के मनोबल पर एक बड़ा अच्छा असर पड़ा था। उसका अहसास आज माननीय नियोजन मंत्री को नहीं है। अगर कहीं कत्ल या डकैती न पड़े, तो उसके कारण हम उसके कानून को ही समाप्त कर दें, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। उस समय पब्लिक इन्क्वायरी बिल का मसविदा भी तैयार हो गया था, मगर चूंकि सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, वह नहीं आ सका। इस सरकार को उसे पूरा करना चाहिये था। मान्यवर, मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक मौलवी साहब एक रोज जब कि उनकी बीबी भी मौजूद थीं, यह उपदेश दे रहे थे कि पराया माल नहीं खाना चाहिये। जब वे एक रोज घर आये तो पूछा कि क्या पका है। बीबी ने कहा कि मुर्गा पका है, मगर वह आपके खाने का नहीं है क्योंकि वह पराये घर से आया है। मौलवी साहब बड़े हैरान होकर तरकीब सोचने लगे। सोचकर बोले अच्छा पानी कहां से आया। बीबी ने कहा कि पानी घर का ही डाला है। तो उन्होंने कहा अच्छा पानी पानी ही दे दो। जब वह पानी देने लगी तो उसमें उसके साथ गोश्त के टुकड़े भी आने लगे। बीबी उनको रोकने लगी। तो मौलवी साहब कहने लगे, अरे भाई, उनको क्यों रोकती हो, वे तो अपने आप आ रहे हैं, जो अपने आप आये उसे मत रोको।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

श्रीमन् माननीय विकल जी मौलाना का नाम लेकर उदाहरण न दें, न ही किसी ऋषि का नाम लें, यह मजहबी चीज है, अन्य किसी मंत्री आदि का नाम लेकर कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई मजहबी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं "मौलवी" शब्द हटा लेता हूं अध्यक्ष महोदय। यदि मेरे शब्दों से किसी की भी भावनाओं को जरा भी तकलीफ हुई हो तो मैं उसे "मौलवी" के बजाय कोई भी गोश्तखोर कह लेता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि वह पानी पानी जब आ रहा था तो उसमें बड़े बड़े टुकड़े भी आने लगे तो घरवाली रोकने लगी तो मौलवी साहब कहने लगे कि यह क्या करती हो। क्योंकि आपके सिद्धान्त के मुताबिक जो खुद आ रहा है उसे क्यों रोकते हो। तो भ्रष्टाचार की बात खुद आ तो तब बुरा नहीं लगता। मैं अधिक नहीं कहना चाहता इस बारे में.....

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सोमवार को आप अपना भाषण जारी रखें।

विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे ने नियम ५२ के अन्तर्गत मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़ जौनपुर, गाजीपुर व झांसी जिलों में जो सूखा हुआ है उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिये।

श्री राजितराम (जिला इलाहाबाद)—

हमारा इलाहाबाद की तरफ से सूखे के प्रति एक काम रोको प्रस्ताव आया था....

श्री अध्यक्ष—

माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे बोल रहे हैं। आप कृपा करके बैठिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें जानना चाहता था। अच्छा होता इस प्रश्न पर सरकार और विशेषतया माननीय मंत्री यदि अपना मत हम लोगों के सामने रख देते तो हम लोग भी अपनी जानकारी उनके सामने रखते और एक बात और आपके द्वारा सरकारी पक्ष से कहना चाहूंगा कि सूखे का प्रश्न अकेला खाली तकावी बांटकर लोगों के पेट भरने का नहीं उसमें सिंचाई और बिजली का प्रश्न भी है और ऐसी अवस्था का प्रश्न है जो कि समस्या चीजें तुरन्त होनी चाहिये। मुझे खेद यह है कि न मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं और न ही उप मुख्य मंत्री जी, जो सौभाग्य से बिजली और सिंचाई दोनों को लेकर बैठे हैं। यह हो सकता है कि वे किसी हाई वोल्टेज के काम में लगे हों। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकारी पक्ष क्या सारी सूचनायें देगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नियम तो यह है कि जो प्रश्न उठाना चाहता है वह पहले अपनी बात कहे फिर सरकार उस पर अपना उत्तर देती है और सरकार के जो मंत्री यहां काम करते हैं वे मौजूद हैं यहां पर श्री चतुर्भुज जी शर्मा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

सिंचाई मंत्री तो हैं नहीं यहां पर। मैं समझ गया राजस्व मंत्री शर्मा जी शायद उस पर बोलेंगे।

मैं समझता हूं कि सूखा कोई नई चीज इस सूबे के लिये नहीं है। दुःख इस बात का है कि बारम्बार सूखा पड़ता है और फिर भी सरकार ने उसका सामना करने के लिय पूर्वी क्षत्रों में जो आवश्यक कदम चाहिये थे वे नहीं उठाये। सरकार इस बात की विश्वासी है कि जब सूखा पड़े, हल्ला मचे तो थोड़ी तकावी बांट दो, दो-चार ड्रम पानी घुमा दो और उसके बाद कह दो कि सूखा समाप्त हो गया। श्रीमन्, यह जो सूखा पड़ा है यह १९६४–६५, ६५–६६ और ६६–६७ म भी पड़ा था। मैं एक उदाहरण मिर्जापुर जिले का ले लूं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बराबर इस बात की रिपोर्ट दी और वह रिपोर्ट सरकार के पास भी है। मैं उसको सारी नहीं पढ़ना चाहता परन्तु इतना अर्ज कर दूंगा कि जब जमीन में १९६७ में १६.९ इंच पानी बरसा था और इस बार वह सोलह हो गया। इसका अर्थ यह हो गया कि इनके पास जानकारी होते हुए भी यह जो एक कान्टीनुअल प्रोसेस है, उसका सामना इन्होंने कैसे किया। अब देखिये इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, श्रीमन्, कहते हैं कि जिले में केवल २४ परसेन्ट सिंचित क्षेत्र है और ७६ परसेन्ट सिंचित है ही नहीं यह जानते हुए कि सूखा बराबर पड़ रहा है परन्तु उसके लिये कोई ठोस उपाय नहीं किया गया कि उसका किस प्रकार से सामना किया जायगा सूखे का सबसे बड़ा प्रभाव धनहर इलाके पर होता है और यह इलाका पूर्वी अंचल में अधिक है। जौनपुर को ही ले लीजिये उसमें धान की फसल तीन वर्ष से बराबर नहीं हुई सूखा के बाद पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। मालूम पड़ता है सरकार का इस बात पर विश्वास है कि घर में आग लग जाय तब कुआ खोदा जाय, उसका यह विश्वास नहीं है कि इस घर में कभी आग भी लग सकती है, इसलिये उसका पहले से प्रबंध कर लिया जाय। जौनपुर में मछलीशहर, मड़ियाहूं और केराकत में इतना भयंकर अकाल है कि वहां दिसंबर और जनवरी में, जिन कुओं में ४–४, ५–५ पुर चलते थे वह सूख गये हैं। लेकिन आज सरकार वहां के लिये योजना तैयार करने जा रही है।

मेरा आंखों देखा हाल है २–२, ३–३ मील तक गांव के लोग जाते हैं और कहीं अगर कीचड़ भी मिल जाती है तो उसको कपड़े में दबाकर पानी निकालते हैं और अगर कुछ बूंद पानी मिल जाता है तो उससे अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करते हैं और आपके सरकारी अधिकारी अब योजना पेय जल की बना रहे हैं और उनके बारे में जो भी सूचनायें हमको दी जाती है वे भी आश्चर्यजनक हैं। मुझे आशा थी कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में अवश्य ही उसके बारे में होगा, लेकिन ढूढ़ने पर भी उसमें कोई विशेष बात नहीं दिखायी दी। उल्टा जो १७ करोड़ रुपया पेय जल के लिय रखा गया है उसमें से केवल ४ करोड़ देहात में पेय जल के लिये है जो २५ प्रतिशत से भी कम है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या लखनऊ शहर के लोग ही अधिक पानी पीते हैं और देहात के लोग ओस चाट कर ही रह सकते हैं। मैं देखता हूं कि नियोजन मंत्री जी इस समय यहां मौजूद नहीं है। जब वे इधर बैठते थे तो नियोजन की बड़ी दुहाई देते थे और बड़े-बड़े आंकड़े पेश करते थे। मैं समझता नियोजन तो वह है जो भविष्य के बारे में यह सोच कर चले कि आगे किस चीज की आवश्यकता होगी नियोजन यह नहीं कि कोई आदमी बीमार पड़ गया अब उसके लिये दवा लाओ। जब वास्तविक नियोजन तो यह है कि भविष्य में अगर ऐसी आवश्यकता हो जायगी तो हम उसका यह इलाज कर देंगे, इतना सोच लिया जाय। लेकिन यहां तो जब लोग मरने लगे हैं तब आप योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गांवों के लोग जब प्यास के मारे ट्यूबवेल्स पर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि ट्यूबवेल खराब है। मेरा अपना अनुभव है। मैंने एक अधिकारी से कहा कि अरे भाई, सूखा पड़ा हुआ है, ट्यूबवेल चला दो, लोगों को पानी दो। उसने कहा कि बिजली का खर्चा कहा से आयेगा। मैंने कहा कि महापात्र तो सुनते थे जो मरने पर टैक्स लेते हैं लेकिन तुम मरने वालों से टैक्स लेना चाहते हो। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जहां पर उस के नलकूप हैं वहां वह उन सब कूपों से लोगों को पीने के लिये निःशुल्क जल दे और वह नलकूप बराबर चलाये जांय। जहां सूखा पड़ता है और असिंचित क्षेत्र हैं वहां पर सेचुरेशन करना चाहिये ट्यूबवेल की पावर का और अगर बिजली नहीं है तो उसका प्रबन्ध किया जाय, मैं नहीं मानता कि बिजली

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---]

नहीं , ५० लाख की बिजली बिड़ला को घाटे पर दी गई, उसका कई बार हल्ला भी मचा लेकिन कृषि, सचाई और पीने के पानी लिये बिजली नहीं है, वह बिड़ला के लिये है जिस की जांच करने के लिये यह सरकार घबराती है। उनको बिजली नहीं यह पूरा देश दान कर दें तो क्या बात है। जहां पर नलकूप लगना असम्भव है वहां पर सरकार डीप वेल्स बनवाये। दस बीघे पर अगर कुआं बन जाय तो पानी की और सिंचाई की सुविधा हो सकती है।

मैं एक चीज और निवेदन करूंगा कि सूखे की भीषणता प्रदेश के पूर्वाञ्चल में और बुन्देलखंड में बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन उसका सामना आज आराम से या रेडटेप के माध्यम से नहीं हो सकता। एक इस तरह की हाईपावर कमेटी बनाई जाय जो सूखे का सामना करे और उस को पूरे अधिकार दिये जायं। उसके सामने रेडटेप की अड़चनें न रहें, या आप के मेनुअल और नियम और फाइनेंशियल हैंडबुक बाधक न बनें, वह किसी समय के लिए बने होंगे लेकिन अब मनुष्यों की जानसे खेलने का समय नहीं है तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है। उस कमेटी में माननीय मुख्य मंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री विरोधी पक्ष के नेतागण तथा अन्य माननीय सदस्य जो इस में रुचि रखते हों और सदन के सीनियर सदस्य हों उन को उसमें रखा जाय और उसके द्वारा क्षेत्रीय बेसिस पर तात्कालिक स्टेप्स उसके द्वारा लिए जायं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो जिले सूखे से प्रभावित हैं उन में स्थानीय तौर पर भी आप अलग से कमेटियां बनायें। मैं आप की रिपोर्ट देख रहा था कि इतना इतना रुपया सरकारी अधिकारियों के पास भेज दिया गया है लेकिन केवल रुपया भेजने मात्र से काम नहीं चलेगा। सरकार की जिम्मेदारी जहां पैसा देने की है वहां उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि वह यह भी देखे कि उस पैसे का सदुपयोग होता है या नहीं उससे जरूरत मन्द को लाभ पहुंचता है या नहीं। ऐसी कमेटी में लोकल आदमियों को भी सदस्य बनाया जाय और उनके सुझाव पर सरकारी अधिकारी काम करें। बड़े दुख की बात है कि हमारे प्रदेश में एक दुष्प्रवृत्ति खड़ी हो गई है और लोग समझते हैं कि यह एक परामर्शदात्री समिति है और सब जमा हुये और चायपानी हो गया, अधिकारियों ने मनमानी की और काम खत्म हो गया। कानून और मैनुअल दिखाये नतीजा यह होता है कि जिसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसको लाभ नहीं पहुंचता और होता भी है तो समय से नहीं हो पाता। एक अविश्वास लोगों के मन में खड़ा है।

श्री अध्यक्ष---

आप संक्षेप में कहें, कई जिलों के लोग अभी बोलेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

इस काम में गैर सरकारी लोगों का भी सहयोग लेना जरूरी है। इसके अलावा यह जो पेयजल योजना है इस को जिला परिषद् को देना गलत है। जिला परिषद् के जो काम होते हैं उन का एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है और इस वास्ते यह काम जिला परिषद् को न देकर सरकार अपनी मशीनरी से ही कराये तो अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, अच्छा हो कि अधिकारी और स्थानीय सदस्य मिलकर इस कार्य को सम्पन्न करें, दोनों मिलकर करेंगे तो लोगों की कठिनाइयां काफी हद तक पीने के पानी की दूर हो सकती हैं। श्रीमन्, एक बात की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज सूखे का परिणाम भुखमरी भी हो रहा है। उदाहरण तो बहुत दे सकता हूं पर बनारस का एक उदाहरण देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का तो दौरा सड़क पर ही हुआ है या टैस्ट वर्क देखने में हुआ या अधिकारियों से बातचीत करने पर उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हुयी है। मेरी जो सूचना है वह यह है कि बनारस में बोझ गांव गुलाबी नाम की औरत जो नौगढ़ मरगना और चकिया तहसील की थी बिना भोजन के ५ दिन रही और उसके बाद वह स्त्री मर गयी। सूखे का दूसरा परिणाम भुखमरी पर आ गया है। उस इलाके के लोग अपने ५-५ और ६-६ वर्ष के बच्चों को ओबरा आदि जगहों में दलालों के हाथों मिशनरियों को बेच रहे हैं। आज इस प्रकार वे धर्म परि-

वर्तन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर इस खरीद फरोख्त को बंद करायें। वहां पर दलाल लोग जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिये। पिछली बार भी जब सूखा पड़ा था उस समय विदेशी लोग मिशन के नाम पर आये और उन्होंने कपड़ा, दूध दिया। मैं चाहूंगा कि विदेशी या जो भी ऐसे लोग गरीबों को मदद दें वे जो भी सामान दें सरकार के द्वारा ही दें और वह ही अपने माध्यम से समाज के लोगों को दिलवाये न कि सीधे विदेशी उन लोगों को दें।

पिछली बार जब गल्ला, कपड़ा, तथा दूध के डिब्बे आये, घी आया युनिसेफ के द्वारा, वह जौनपुर में जिन लोगों को मिलना चाहिये था, उन्हें नहीं मिला बल्कि उसका उपयोग एक महाशय ने इलैक्शन में किया। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करवायें और जो मुखमरी का लाभ इस प्रकार उठाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और आप के द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वह है कि उन्हें कोई टेम्पारेरी रिलीफ की स्थिति के स्थान पर कोई लांग रेन्ज प्रबन्ध करना चाहिये। एक हजार ट्यूबवैलों का पूर्वी अंचलों में क्या फायदा हुआ। मैं तो चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपने कुंए बनवा रखे हैं और उन पर पंपिंग सेट लगवाना चाहते हैं तो, उन्हें तुरन्त बिजली मंजूर की जानी चाहिये। इस बारे में जितने भी रेड टैपिज्म है, उसको समाप्त किया जाय और इस कार्य को वार फूटिंग के पैमाने पर लेकर नियम बनाये जायें कि जिनको पंपिंग सेट के लिये बिजली चाहे, उन्हें तुरन्त दी जाय। इसके लिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि विद्युत् परिषद् (हाइडिल) को प्रार्थना-पत्र देने के ७ दिन के अन्दर प्रार्थियों को कनैक्शन दिए जाने चाहिये। और जो व्यक्ति पंपिंग सेट के लिये कर्जा लेना चाहे, उसको डी० पी० ओ० को प्रार्थना-पत्र देने के १५ दिन के अन्दर, अधिक से अधिक, कर्जा मिल जाना चाहिये। अनुभव यह बताता है कि डवाक्स में जो प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं, वे वर्षों पड़े रहते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जिनका पोलिटिकल प्रैशर पड़ता है, उनका काम हो जाता है। यह व्यवस्था तुरन्त बन्द होनी चाहिये।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन सुझावों पर गौर करें और उनपर कठोरता के साथ कार्यवाही करें अन्यथा परिणाम यह होगा कि प्रदेश में भुखमरी फैलेगी, या एपिडैमिक्स फैलेगी, स्माल पौक्स, कौलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां प्रदेश में फैलेंगी। इन सबके बारे में वार फुटिंग पर कार्य होने की आवश्यकता है।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजा साहब का आभारी हूं कि उन्होंने आपके पास नोटिस भेज कर और माननीय सदस्यों ने और जिलों के नोटिस भेज कर एक ऐसे विषय पर यहां चर्चा करने का मौका हम लोगों को दिया। वास्तव में हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि इसमें बहुत सी आपदायें आती हैं और हमेशा आती ही हैं, आज ही नहीं रामराज्य तक में ये आपदायें आती रही हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

आप क्या कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पहले आप सुन लें। जो समस्या देश के सामने है, जो विपत्ति देश पर आती है उसका हौसले केसाथ, दिलेरी के साथ तथा लगन के साथ मुकाबला करना हमारा काम है। उसमें चाहे सरकारी पक्ष का आदमी हो या दूसरे पक्ष का आदमी हो सबके लिये यह देश और प्रदेश

[श्री चतुर्भुज शर्मा—]

का सवाल है। जहां तक सरकारी सवाल है यह सूखे की विपत्ति कोई नई नहीं है। यह पुरानी विपत्ति है और इस विपत्ति का बराबर मुकाबला किया गया। फिर भी अपना देश जिस तरह का है, जैसी भौगोलिक परिस्थिति है, उसको देखते हुए भरसक प्रयत्न किया गया है। जब भी सूखा पड़ता है या थोड़ी बहुत आपत्ति आ जाती है तो किया जाता है। कहा गया कि कोई काम पहले से नहीं किया गया कोई योजना नहीं बनायी गयी, मैं राजा साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि सिवा इसके क्या योजना हो सकती है कि जमीन के लिये अगर पानी नहीं है तो सिंचाई केलिये पानी का प्रबन्ध किया जाय और उस सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से शोर होगा तो मैं सदन का कार्य स्थगित कर दूंगा। राजा साहब बोल रहे थे और उन्होंने सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं रखी और सब लोग चुपचाप सुनते रहे लेकिन अब आपके दिल में भी सरकार का उत्तर सुनने की गुंजायश होनी चाहिये। आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा लेकिन अगर आप मंत्री जी को बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं कार्य बन्द कर दूंगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे अगर बहस के दौरान हम दोनों पक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं केवल एक बात का जवाब दे रहा था कि व्यवस्था कुछ कम नहीं की गयी। मैं आंकड़े यहां नहीं देना चाहता। चाहे बनारस का जिला हो, जौनपुर का हो, बांदा का हो या बुन्देलखंड का हो कांग्रेस के बीस साल के राज्य में से योजना बनाई गयी पहले से बहुत अधिक सिंचाई की व्यवस्था हुई है बड़े-बड़े बांध बनाये गये। बड़ी-बड़ी चीजें की गयीं। इस तरह से पहले से कुछ काम इस तरह के किये गये। पिछले जो सूखे पड़े उनसे ज्यादा भयानक यह सूखा नहीं है। जिस समय कांग्रेस सरकार आई सूखे की हालत पहले से शुरू हो गयी थी। प्रेसीडेंट रूल में सूखे की हालत शुरू हो गयी थी। जब कांग्रेस सरकार आई तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहला काम यह किया कि सारे काम छोड़ कर मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और फौरन हुक्म दिया कि मालगुजारी मुल्तवी की जाय। तकावी मुल्तवी की जाय, लोगों को तरह तरह की सहायता दी जाय, टेस्ट वर्क्स खोले जायं। यहां तक कि जो पहले साल कभी नहीं हुआ वह मुख्य मंत्री जी ने किया कि महुवे के पेड़ जो नीलाम होते थे, जिनका ठेका दिया जाता था उन ठेकों को रोक दिया गरीबों के मुफ्त खाने के लिये कि वे महुआ बीन कर खायें। तो जो समस्या हमारे सामने है उसके प्रति यह सरकार जागरूक है। मैं स्वयं मिर्जापुर दो रोज रहा। सूखे का प्रभाव मिर्जापुर में सब से ज्यादा है। वहां मैंने ऐसी जगहें देखी हैं जहां आजतक कोई मंत्री नहीं गया ऐसा मुझे बतलाया गया। इस समस्या का हमें उतना ही दर्द है जितना कि राजा साहब को। सिर्फ यह कसर रह जाती है कि अगर इस समस्या को निपटाने की जिम्मेदारी भी हम बंटाना शुरू कर दें तो यह जल्दी निपट जायगी। आठ जिलों में सूखे का प्रभाव पड़ा है जिनमें कोई २४ हजार से ऊपर गांव प्रभावित हुये हैं। लाखों आदमियों से सम्बन्ध इसका है। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि सभी गांवों में एक सी स्थिति है। कहीं १२ आने है, कहीं १० आने है, कहीं ८ आने है, कहीं ६ आने है। हर गांव एक सा नहीं है। राजा साहब सिर हिला रहे हैं। मैं आज उनको कहता हूं कि वह अपने जिले में एक टेस्ट वर्क के लिये जितने आदमी होते हैं उतने इकट्ठे कर के दें तो वहां टेस्ट वर्क खोल दिया जायगा। और अगर उतने आदमी नहीं आयेंगे तो यह इस बात की परीक्षा होगी कि राजा साहब ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं हर माननीय सदस्य को निमंत्रित करता हूं कि वह अपने यहां टेस्ट वर्क के लिये ५०० आदमी भी अगर इकट्ठा कर सकें तो उसकी नोटिस हमको दे दें। मैं मुख्य मंत्री की तरफ से और अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम वहां काम शुरू कर देंगे।

एक सदस्य—

उन्हें मजदूरी क्या मिलती है ?

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं बैठता नहीं हूं इसके माने है कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य मेरी बता सुन लें। मैं जब बैठता नहीं हूं तो यह कोई तरीका नहीं है कि आप यह उम्मीद करें कि ऐसे में आपके सवाल का जवाब दूंगा जोकि यहां के नियम के अनुकूल नहीं है। आज मिर्जापुर में जहां सूखे की सबसे ज्यादा स्थिति है हमने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट वर्क्स खोल रखे हैं। वहां ५० हजार आदमी काम कर आये और अब जब कटाई का वक्त आ गया है तो वह तादाद घट कर ३४ हजार रह गयी है। (कई सदस्यों द्वारा टोकने पर) मुझे अफसोस है कि सदस्य गण इस तरहसेचर्चा करनाचाहते हैं जैसे विधान सभा में न हो कर किसी चौपाल में हो रही हो।

पेय जल की बात जो उठायी गयी तो इस साल और खासतौर से मुख्य मंत्रीजी ने जो हमारी चालू योजना है उसमें सब से टाप प्रायोरिटी पीने के पानी को दी है। सब से ज्यादा हमने इस पर खर्चा किया है। जो योजनायें होती हैं उनमें टैक्नीकल बातें भी होती हैं, न उतने टैक्निकल हैंड्स मिलते हैं और न सामान ही मिलता है लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वह किया जाता है। हमने चीफ इंजीनियर एल० एस० जी० डी० को आदेश दे दिये हैं और ९०,००० की योजना उन्होंने बनाई है और उसके लिये रुपया भी दे दिया गया है। अगली पंच वर्षीय योजना में पेय जल के लिये रुपये की कमी नहीं होगी। लेकिन अकेले रुपये से ही काम नहीं होता है और कई फैक्टर्स होते हैं। राजा साहब ने कहा था कि ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करना चाहिये। उन्हें पहले देख लेना चाहिये था कि ऐसा हुआ या नहीं। जिलों में काम हो रहा है। ट्यूबवेल्स से भी पानी लेने का काम हो रहा है, जहां कुयें गहरे कराने की जरूरत है, कराये जायं और पम्प करके पानी भेजा जा सके वहां भेजा जाय।

हमारे मुख्य मंत्री और सरकार का यह दावा है कि किसी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जायेगा, किसी आदमी को पानी के अभाव में नहीं मरने दिया जायेगा। हर एक आदमी को पानी दिया जायेगा चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों न उठानी पड़े। भुखमरी की बात कहना ठीक नहीं है। जब इतना बड़ा सूखा पड़ा था तब तो ऐसी बात कही जाती थी। लेकिन हमारे राजा साहब ने शुरूआत इसी बात से की और वाराणसी की बात की। यह देखने के लिये कि लिविंग वेजेज के ऊपर काम करने के लिये आदमी मिलते हैं या नहीं टैस्ट वर्क्स चलाये जाते हैं। हमारे सदन के लिये और वहां के लोगों के लिये यह लज्जा की बात हैकि उनके रहते हुये कोई आदमी भूख से मर जाय। मेरा ऐसा विश्वास है कि भूख से कोई नहीं मरा। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता क्योंकि मेरे दोस्त इस समय उनको सुनना नहीं चाहेंगे। हमारी योजनाओं का मकसद यही है कि लोगों को काम और राहत मिले। मालगुजारी मुल्तवी हो गई है। जहां सूखे का पूरा प्रभाव नहीं है उन जिलों में भी मालगुजारी मुल्तवी कर दी गई है और अगर उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से यह मांग आयेगी कि जो किसानों पर जो देय है वह नहीं दे सकते और उसको मुल्तवी किया जाय तो इस पर भी विचार किया जायगा। उन सारे जिलों को जहां जहां इसका असर पड़ा है उन जिलों को पहले से आर्डर्स हुए हैं, पहले से जिलाधीशों को रुपये का अलाटमेंट दे दिया गया है और उनको आदेश दे दिये गये हैं अगर मुल्तवी करने की जरूरत हो वहां मुल्तवी का काम हो और जहां टेस्ट वर्क चल सकता है वहां टेस्ट वर्क करें और जो काम करने लायक नहीं है, उनको मुफ्त भी देने के लिये हर सम्बन्धित जिलाधीश को भेज दिया गया है ताकि वह भूखों न मरने पाएं। इसके अलावा १४० टन गल्ला हमने वितरित किया है, चार, पांच छः दिनों में जिसमें से मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद के लोगों को पहुंच रहा होगा गल्ला या पहुंच जायगा। (व्यवधान) इलाहाबाद में भी गया है। जो जिले पीड़ित हैं उन सब में गया है। इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, और बांदा इन चार जिलों में गया है, १४० टन ४० टन इलाहाबाद में, ८० टन बांदा में (व्यवधान) क्रास इग्जामिनेशन के लिये मैं नहीं खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष---

अगर सुनना चाहते हैं तो खामोशी से सुनिए ।

श्री राजितराम---

आप बड़ी लच्छेदार बात सुनाना चाहते हैं और आदमियों को मारना चाहते हैं । आज इलाहाबाद में हालत यह है कि लोग पानी के लिये तरस रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया खामोश रहें ।

श्री राजितराम---

इलाहाबाद की हालत यह है कि कुओं में पानी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया बैठिए ।

श्री राजितराम---

आप कहते हैं कि गल्ला भेज दिया ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठें ।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है । आप पहले सुनिए ।

श्री राजितराम---

लोग पानी के लिये तरस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गल्ला भेज दिया ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता हूं कि आप बैठें ।

श्री राजितराम---

इलाहाबाद की हालत बड़ी दर्दनाक है

(श्री राजितराम के स्थान न ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं । सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३८ मिनट पर सोमवार, २४ मार्च, १९६९ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२१ मार्च, १९६९ ।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० २ एल० ए०---१९६९---८७० ।